ध्येय IAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष : 4 | अंक : 19 | अक्टूबर 2022 / Issue-1 | मूल्य : ₹ 45

dhyeyaias.com

- खाड़ी देशों में भारत की बढ़ती सक्रियता के मायने
- कश्मीर में आतंकवाद को जटिल रूप दे रहे हाइब्रिड आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर
- उपभोक्ता अधिकारों के प्रति अधिक सतर्क होती सरकार तथा आरबीआई
- देश में सिविल एविएशन और अन्य परिवहन क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की तैयारी
- भारत में विश्व धरोहर स्थल घोषित करने हेतु नए स्थल की पहचान जरूरी
- राजनीतिक दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे के विनियमन की जरूरत
- पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्रबंधन के लिए वैश्विक गठजोड़ बढ़ाता भारत

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PMI
(PRE+MAINS+INTERVIEW) PROGRAMME 2022
OCTOBER 2022
SCHEDULE

9th October — PRELIMS

Timing : 12:00Noon-2:00pm

16th October — MAINS

Timing :
GS Test : 9:00am-12:00Noon
Essay Test : 1:00pm-4:00pm

30th October — INTERVIEW

Personality Test by a Panel of Retd. & Working Bureaucrats and Professors

SYLLABUS

PRELIMS & MAINS

TOPIC : FULL SYLLABUS (MAY TO SEPT.)
Current of June 2022

Source :
Dhyeya Class Notes + Magazine Perfect-7 + Open Sources

SYLLABUS

ESSAY

(TOPIC : Challenges to internal security through communication networks, role of media and social networking sites in internal security challenges, basics to cyber security; money-laundering and its prevention, Contributions of moral thinkers and philosophers from India and world)

Source : Open Source, Dhyeya Booklet

9506256789
7570009002

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
	:	बाघेन्द्र सिंह
संपादक	:	विवेक ओझा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
	:	सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक	:	अमन कुमार
प्रकाशन प्रबंधन	:	डॉ.एस.एम. खालिद
संपादकीय सहयोग	:	हरि ओम पाण्डेय
	:	सन्तोष सिंह
	:	शिव वरदान
	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
	:	लोकेश शुक्ल
मुख्य समीक्षक	:	ए.के. श्रीवास्तव
आवरण सज्जा	:	अरूण मिश्र
एवं विकास	:	पुनीष जैन
टंकण	:	सचिन
	:	तरून
कार्यालय सहायक	:	राजू
	:	चंदन

इस अंक में...

1. खाड़ी देशों में भारत की बढ़ती सक्रियता के मायने 5-6
2. कश्मीर में आतंकवाद को जटिल रूप दे रहे हाइब्रिड आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर 7-9
3. उपभोक्ता अधिकारों के प्रति अधिक सतर्क होती सरकार तथा आरबीआई 10-11
4. देश में सिविल एविएशन और अन्य परिवहन क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की तैयारी 12-13
5. भारत में विश्व धरोहर स्थल घोषित करने हेतु नए स्थल की पहचान जरूरी 14-15
6. राजनीतिक दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे के विनियमन की जरूरत 16-17
7. पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्रबंधन के लिए वैश्विक गठजोड़ बढ़ाता भारत 18-19

- राष्ट्रीय 20-26
- अंतर्राष्ट्रीय 27-30
- पर्यावरण.......................... 31-36
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी....... 37-39
- आर्थिकी 40-44
- कला-संस्कृति 45-47
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 48-52
- समसामयिक घटनाएं एक नजर में 53
- ब्रेन-बूस्टर 54-60
- प्रारम्भिक परीक्षा विशेष .. 61-68
- समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 69-71
- व्यक्तित्व 72
- नियुक्ति 73
- निधन 74

OUR OTHER INITIATIVES

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

UDAAN TIMES ©
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA EDUCATIONAL SERVICES PVT. LTD.

(AN ISO 9001:2008 COMPANY)

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR	:	9205274741, 9205274742
RAJENDRA NAGAR	:	9205274743
LAXMI NAGAR	:	9205212500, 9205962002
ALLAHABAD	:	0532-2260189, 8853467068
LUCKNOW (ALIGANJ)	:	0522-4025825, 9506256789
LUCKNOW(GOMTINAGAR)	:	7234000501,7234000502
GREATER NOIDA	:	9205336037, 9205336038
KANPUR	:	7887003962, 7897003962
BHUBANESWAR	:	8599071555
SRINAGAR (J&K)	:	9205962002

पहला पन्ना

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

अन्तर्राष्ट्रीय

खाड़ी देशों में भारत की बढ़ती सक्रियता के मायने

खाड़ी क्षेत्र और उसके देशों का सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक महत्त्व किसी से छिपा नहीं है। विश्व राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति इस क्षेत्र की उपेक्षा नहीं कर सकती। विश्व के एनर्जी हब कहे जाने वाले इस क्षेत्र पर भारत, चीन, रूस, अमेरिका सहित कई क्षेत्रीय शक्तियों की रुचि बढ़ती दिख रही है। चाहे आतंकवाद निरोधक सहयोग हो, ऊर्जा सुरक्षा का मामला हो, या फिर पश्चिम-एशिया और मध्य-पूर्व की स्थिरता की बात हो, खाड़ी क्षेत्र का महत्त्व निर्विवाद रूप से देखा गया है। भारत के लिए भी खाड़ी क्षेत्र बहुआयामी महत्त्व का है। इसीलिए भारत सरकार ने खाड़ी देशों से अपने कूटनीतिक आर्थिक संपर्कों को बढ़ाया है। हाल ही में भारत के विदेशमंत्री एस. जयशंकर की पहली सऊदी अरब यात्रा हुई। यह यात्रा कई मायनों में महत्त्वपूर्ण थी। जिन बातों के चलते यह महत्त्वपूर्ण थी उसे जानने से पहले यह जान लेना ठीक रहेगा कि भारत अब खाड़ी क्षेत्र को अपने 'एक्सटेंडेड नेबरहुड' के रूप में देखता है। इसी बात को मजबूती देते हुए विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने दो साल पहले संयुक्त अरब अमीरात को भारत का एक्सटेंडेड नेबर (विस्तारित पड़ोसी) कहकर संबोधित किया था। अब भारत ने सभी प्रमुख खाड़ी देशों के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को नए सिरे से मजबूत बनाने का काम शुरू किया है। विदेशमंत्री एस. जयशंकर की सऊदी अरब यात्रा इसी बात का प्रमाण है। भारतीय विदेश मंत्री ने भारत-सऊदी साझेदारी परिषद की राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समिति की सह-अध्यक्षता की और वर्तमान वैश्विक राजनीतिक एवं आर्थिक चिंताओं पर चर्चा की। दोनों देशों ने जी-20 और बहुपक्षीय संगठनों में मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। भारत-सऊदी अरब संबंध पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक, सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, सांस्कृतिक, रक्षा आदि क्षेत्रों में काफी मजबूत हुए हैं। कोविड महामारी के दौरान भी दोनों देशों का शीर्ष नेतृत्व करीबी संपर्क में रहा था।

भारत के लिए खाड़ी देश हर दृष्टि से महत्त्वपूर्णः

'संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग और इंडिया स्पेंड' की रिपोर्ट को देखें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय भारतीय प्रवासियों का है, वहीं सबसे अधिक प्रवासी भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग और इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट के अनुसार कामगार भारतीयों की संख्या 16 से 17 मिलियन के मध्य है। वहीं संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट में भी बताया गया है कि प्रवासी भारतीय कामगारों की संख्या 16 मिलियन से अधिक है। भारत की कुल डायसपोरा की संख्या देखें तो यह 30 मिलियन के आसपास है। वर्ल्ड बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी भारतीयों द्वारा 2021 में 89 बिलियन डॉलर का रैमिटेंस यानी वित्त प्रेषण किया गया है। यह रेमिटेंस भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का माध्यम है। उल्लेखनीय है कि खाड़ी देशों में 8.7 मिलियन से अधिक प्रवासी कामगार रहते हैं। इनमें भी संयुक्त अरब अमीरात में अकेले लगभग 3.5 मिलियन भारतीय कार्यरत हैं, वहीं सऊदी अरब में 2.5 मिलियन, ओमान और कुवैत में कुल 1.4 मिलियन प्रवासी भारतीय कार्यरत हैं।

अरब देशों से अच्छे संबंध के लिए भी खाड़ी देश महत्त्वपूर्णः

अरब विश्व के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ावा देना भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है लेकिन खाड़ी देशों, मध्य-पूर्व अथवा पश्चिम-एशिया के इस्लामिक देशों के साथ भारत के संबंधों में समय-समय पर उतार चढ़ाव देखे गए हैं। पैगम्बर मोहम्मद पर कथित तौर पर एक प्रवक्ता द्वारा दिए गए विवादित बयान ने हाल के समय में भारत और खाड़ी देशों के संबंधों को प्रभावित किया था लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जरूरी अनुशासनात्मक कार्यवाही करके, खाड़ी देशों के साथ मजबूत संबंधों पर जोर दिया। दूसरी तरफ पूर्व में भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से उपजे विरोध प्रदर्शन, दंगे और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों के प्रश्नों पर कई इस्लामिक देशों सहित खाड़ी देशों में एक असंतोष की भावना भड़काने का प्रयास किया गया था। इसमें कुवैत ने तो इस्लामिक सहयोग संगठन से मांग तक कर दी थी कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के संरक्षण के मामले को उसे संज्ञान में लेना चाहिए।

भारत के सबसे बड़े क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदारों में है जीसीसीः

खाड़ी सहयोग परिषद् भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक साझेदार रहा है। 2018-19 में दोनों के मध्य 121 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार था जो 2021-22 में यह 154.66 बिलियन डॉलर हो गया। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के साथ 60 बिलियन डॉलर और सऊदी अरब के साथ 34 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार रहा है। सऊदी अरब में भारत की करीब 745 कंपनियां काम कर रही हैं जिनका वहां पर

दो बिलियन डॉलर का निवेश है। इसके साथ ही सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर भारत कार्य कर रहा है।

भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर खाड़ी देशों पर निर्भर है। भारत के कुल क्रूड ऑयल आयात का लगभग 15 प्रतिशत सऊदी अरब से होता है, जबकि वर्तमान समय में ईरान से क्रूड ऑयल आयात लगभग न के बराबर है। इसलिए भारत को एक साथ सऊदी अरब और ईरान से अच्छे संबंध रखना, चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। वहीं कतर भारत के लिए एलएनजी प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत रहा है और कतर से जुड़े किसी भी राजनीतिक संकट का प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ना स्वाभाविक भी है। इसलिए भारत का यह सदैव दृष्टिकोण और मांग रही है कि खाड़ी क्षेत्र में किसी भी समस्या का राजनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। साथ ही खाड़ी देशों के मध्य विश्वास निर्माण बहाली के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। चूंकि खाड़ी क्षेत्र महाशक्तियों की क्षेत्रीय राजनीति की प्रयोगशाला भी रहा है, इसलिए वहां अलग-अलग राष्ट्रों के समूहों की गुटबाजी को भी बढ़ावा मिलता रहा है।

इसी क्रम में भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल मंगाने के मुद्दे पर अमेरिका के दबाव को भी झेला और साथ ही पूरी तरह यह भी कोशिश की कि उसे अपनी संप्रभुता से समझौता न करना पड़े। भारत को ईरान और रूस के साथ व्यापारिक समझौतों के आधार पर ही अमेरिका ने जीएसपी की सूची से बाहर भी निकाल दिया था। वहीं ईरान और रूस या फिर चीन के संबंध और प्रभाव खाड़ी देशों में न बढ़े, अमेरिका इसकी कोशिश करता रहा है। इसी क्रम में उसके नेतृत्व में 'अब्राहम एकार्ड' हुआ जिसके तहत इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात में संबंधों के लिए अभूतपूर्व समझौता किया गया है। इसका भारत ने भी स्वागत किया है। भारत का मानना है कि खाड़ी सहयोग

परिषद् के 6 देश अपने चार्टर के अनुरूप सहयोग समन्वय की राह पर चलकर क्षेत्रीय स्थिरता को प्राप्त करें।

पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए जीसीसी जरूरी:

सऊदी अरब को वर्ष 2019 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई है। सऊदी अरब एफएटीएफ का 39वां सदस्य बन चुका है। सऊदी अरब, इजरायल, अमेरिका भारत के सामरिक साझेदार हैं। इनके सहयोग के जरिए भारत, पाकिस्तान के आतंक के वित्त पोषण की प्रक्रिया पर प्रभावी नकेल कस सकता है। सऊदी अरब पहला अरब देश बन गया है जिसे ऐसी सदस्यता मिली है। सऊदी अरब की इस टास्क फोर्स में सदस्यता कई मायनों में दक्षिण-एशिया में आतंक के वित्त पोषण को नियंत्रित करने में एक कारगर कदम साबित हो सकती है। चूंकि इस टास्क फोर्स में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के छः सदस्यों के ब्लॉक के अलावा एक ब्लॉक के रूप में यूरोपियन कमीशन भी सदस्य है, इसलिए यह इन सभी सदस्यों के फंडिंग मैकेनिज्म को तार्किक बनाने में मददगार साबित होगा। सऊदी अरब इस टास्क फोर्स के पूर्ण सदस्य के रूप में किसी देश को अनुदान, ऋण देने से पहले सोचेगा कि कहीं इसका इस्तेमाल प्राप्तकर्ता देश आतंकी गतिविधियों को चलाने में तो नहीं करेगा। चूंकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक क्षेत्रीय ब्लॉक के रूप में टास्क फोर्स का सदस्य है तो संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर पर भी दबाव पड़ेगा कि वो पाकिस्तान जैसे देश को आर्थिक मदद देने के पहले सुनिश्चित कर लें कि पाकिस्तान ऐसे धन का क्या इस्तेमाल करने वाला है? ऐसे में 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में आतंकी गतिविधियों हेतु 'टेरर फंडिंग एण्ड ट्रांसफर' को रोकने के लिए किए गए अभिसमय को प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है।

भारत ने खाड़ी देशों को सतत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायन्स का सदस्य भी कुछ खाड़ी देश बन चुके हैं। बहरीन इनमें नवीनतम है। भारत ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक को भी खाड़ी देशों के साझेदार के रूप में देखना चाहता है ताकि डेवलपमेंट पार्टनरशिप को मजबूती देकर चीन को भी दबाव में लाया जा सके। यहां यह भी ध्यान रखने योग्य है कि खाड़ी देश ओपेक के भी सदस्य हैं, साथ ही इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग के भी सदस्य हैं। इन संगठनों में खाड़ी देश खासकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस लिहाज से इन खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों में लगातार मजबूती आनी जरूरी है। एक और आयाम जो खाड़ी देशों के महत्त्व को यहां उजागर करता है वो ये है कि रूस यूक्रेन के लगातार जारी युद्ध के बाद रूस ने जिस तरह यूरोप को गैस की आपूर्ति रोकने की धमकी दी है, उसे देखते हुए खाड़ी क्षेत्र का वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से महत्त्व भारत सहित अन्य क्षेत्रों के लिए भी बढ़ जाता है।

आंतरिक सुरक्षा

कश्मीर में आतंकवाद को जटिल रूप दे रहे हाइब्रिड आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर

जम्मू और कश्मीर स्थित बारामुला जिले के सोपोर शहर में पुलिस ने हाल ही में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े दो हाइब्रिड आतंकियों को गिरफ्तार किया है जिसके बाद यह प्रश्न एक बार फिर से खड़ा हो गया है कि क्या कश्मीर घाटी में आतंकवाद के नए रूपों का उभार पुनः हो रहा है? सोपोर क्षेत्र में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हाइब्रिड आतंकवादी और ओवरग्राउंड वर्करों की सक्रियता का साक्ष्य सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला है। यही नहीं जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में हाइब्रिड आतंकियों की कार्यवाही सुरक्षा बलों के सामने एक चुनौती के रूप में उभरी है। अभी हाल ही में जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले से भी प्रतिबंधित आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीयूएच) से जुड़े दो हाइब्रिड आतंकवादियों को सुरक्षा बलों के एक संयुक्त दल ने गिरफ्तार किया था। इन सभी अलग-अलग क्षेत्रों से पकड़े जाने वाले हाइब्रिड आतंकियों के पास से बड़े पैमाने पर हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए हैं। यह बाह्य और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से इसलिए संवेदनशील मुद्दा हो जाता है क्योंकि हाइब्रिड आतंकी भारत में ड्रग तस्करी और हथियारों की तस्करी के साथ-साथ जाली मुद्रा के अवैध प्रसार और हवाला कारोबार को भी बढ़ावा देते रहे हैं। आतंकवाद और संगठित अपराधों के बीच मजबूत लिंक स्थापित करने में अब हाइब्रिड आतंकी और ओवरग्राउंड वर्कर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं।

जम्मू-कश्मीर को आतंक मुक्त करना, सीमापार शून्य घुसपैठ को सुनिश्चित करना, कश्मीरी पंडितों में सुरक्षा की भावना को पैदा करना और जम्मू-कश्मीर को समावेशी विकास की राह पर ले जाना, ये वो कुछ जरूरतें हैं जिसके लिए जम्मू-कश्मीर ने लंबे समय से इंतजार किया है लेकिन अब जबकि धारा-370 हट चुकी है और जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की मुख्य धारा से जुड़ चुका है, तो ऐसे में एक रणनीति की जरूरत है जो जम्मू-कश्मीर पर आँख उठाने वाले किसी भी राष्ट्र विरोधी ताकत की मंशा को ध्वस्त कर सके।

कश्मीर में अभी भी सुरक्षा संबंधी चुनौतियां मौजूद हैं। लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को चोट पहुँचाने की फिराक में लगे हैं, लेकिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक के बाद से ऐसे आतंकी संगठनों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया है। जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा और शोपिया में भी लश्कर के आतंकियों को निशाना बनाया गया लेकिन भारतीय सेना की इन सैन्य कार्यवाहियों के बीच कश्मीर घाटी में एक बड़ी चुनौती 'हाइब्रिड आतंकवाद' की उभर रही है।

कौन हैं हाइब्रिड आतंकवादी: हाइब्रिड आंतकी वे होते हैं जो सुरक्षा एजेंसियों के आंतकवादियों की सूची में शामिल नहीं होते लेकिन संबंधित आतंकी संगठन के इशारे पर आतंकी हमले करके अपना सामान्य जीवन बिताने लगते हैं। इन्हें चरमपंथी के तौर पर चिह्नित नहीं किया जाता लेकिन ये इतने कट्टर होते हैं कि किसी भी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के बाद अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट जाते हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हाइब्रिड आतंकियों ने दहशतगर्दी को कश्मीर में अपना पार्ट टाइम व्यवसाय बना लिया है।

कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स आतंकवाद को दे रहे बढ़ावा: हाल के समय में भूमि ऊपरी कार्यकर्ताओं (ओवरग्राउंड वर्कर) के अप्रत्यक्ष सहयोग के चलते भी कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को सरल रास्ता मिला है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि जमात-ए-इस्लामी जो कि हिज्बुल मुजाहिदीन और हुर्रियत का अभिभावक संगठन है, वह कश्मीर घाटी में पृथकतावादी और कट्टर विचारधारा के प्रसार के लिए जिम्मेदार है। इसके साथ ही यह हिज्बुल मुजाहिदीन को सभी प्रकार के सहयोग और समर्थन लगातार उपलब्ध करा रहा है। यह हिज्बुल मुजाहिदीन को भर्ती, फंडिंग, हथियारों की सप्लाई, आश्रय और लॉजिस्टिक्स

हाइब्रिड आतंकवाद का उदाहरण:
जम्मू-कश्मीर के शोपिया में हाइब्रिड आतंकियों की कार्यवाही देखी गई है। शोपिया के सेडाव इलाके के दो स्थानीय लोगों (शौकत अहमद शेख और परवाज अहमद लोन) ने लश्कर-ए-तैयबा के इशारे पर हाइब्रिड आतंकी के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। इन दोनों ने शोपिया के सेडाव इलाके में किराए के एक निजी वाहन के अंदर विस्फोट कराया जिसमें उत्तराखंड के जवान प्रवीण शहीद हो गए थे। लश्कर-ए-तैयबा के मुख्य आंतकवादी आबिद रमजान शेख ने इन दोनों हाइब्रिड आतंकियों को वाहन में विस्फोटक फिट करने की ट्रेनिंग दी थी।

समर्थन प्रदान करते पाया गया है जबकि जमात-ए-इस्लामी का गठन धार्मिक मदरसों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। पिछले वर्ष भारतीय सुरक्षा बलों ने हिज्बुल मुजाहिदीन के एक ओवरग्राउंड वर्कर को किश्तवाड़ जिले से गिरफ्तार किया था और उससे भारी मात्रा में गोला-बारूद, पिस्टल, मैगजीन और चीनी ग्रेनेड जब्त किया गया था। इस भूमि ऊपरी कार्यकर्ता द्वारा अपने घर को आतंकवादियों के सहयोग करने के प्रयोग में लाया जा रहा था। भूमि ऊपरी कार्यकर्ता ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आतंकी घटना को संपन्न करने में तो संलग्न नहीं होते लेकिन आतंकवादियों को हिंसक आतंकी हमले करने और उनके अन्य उद्देश्यों को पूरा कराने में सहायक की भूमिका अदा करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आतंकी विचारधारा से धर्म और मौद्रिक लाभों के आधार पर प्रभावित होते हैं और आतंकियों के लिए अपने घरों में शरण देने, उनके लिए विभिन्न आवश्यक उपकरण जैसे-मोबाइल, सिम, हथियार, अन्य आवश्यक रसद मुहैय्या कराने में अप्रत्यक्ष रूप से लगे होते हैं। इनके द्वारा धर्म के आधार पर युवाओं को गुमराह कर आतंकी गुटों में भर्ती कराने के लिए सक्रियता देखी गई है। कश्मीर में भूमि ऊपरी कार्यकर्ताओं ने आतंकियों की भर्ती और प्रशिक्षण को संपन्न कराने में सहायक की भूमिका निभाई है। ये विभिन्न प्रकार के वाहनों का इंतजाम करके आतंकियों के लिए हथियारों की आपूर्ति करते हैं। दक्षिणी कश्मीर में सक्रिय हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी गुटों के भूमि ऊपरी कार्यकर्ताओं के नेटवर्क पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2019 के प्रारंभ में ही कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह संगठन अपने ओवर ग्राउंड वर्कर्स की सहायता से कश्मीर में अलगाववाद और पत्थरबाजी के साथ ही आतंकवादियों को सहयोग देने के कार्य में लिप्त पाया गया था।

कश्मीर घाटी में हाइब्रिड 'परसेप्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी' का काउंटर है जो आतंकी संगठन कर रहे हैं। दरसअल भारतीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल एवं देश के आर्मी चीफ की कई बैठकों के बाद केंद्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अगर जम्मू-कश्मीर में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाना है तो यह केवल सैन्य कार्यवाही द्वारा संभव नहीं है बल्कि इसके लिए कश्मीर घाटी के लोगों की मनोवृत्ति में बदलाव करने होंगे। इससे यहां के स्थानीय युवाओं की केंद्र सरकार अंजाम देते हैं।

दरअसल इस रणनीति पर काम करके जम्मू-कश्मीर के स्थानीय लोगों में भारत विरोधी दुष्प्रचार, भ्रामक सूचना तंत्र, पूर्वाग्रह, कट्टरता, अलगाववादी भावना को रोकने में बड़े पैमाने पर मदद मिल सकती है। इसलिए केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के समावेशी विकास के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं लांच की है। वहां वैज्ञानिक अनुसंधान आधारित शिक्षा को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे प्रस्तावित अग्निपथ योजना के तहत युवा ऊर्जावान

आतंकवाद के उभरने के कारण:

यहां अहम सवाल ये उठता है कि कश्मीर घाटी में आज स्थानीय नागरिकों का इस्तेमाल कर हाइब्रिड आतंकी, ओवरग्राउंड वर्कर, व्हाइट कॉलर्ड टेरोरिस्ट, स्लीपर सेल का नेटवर्क कैसे और क्यों बढ़ा है? इसका सीधा सा जवाब है कि ये भारत सरकार के कश्मीर घाटी में के नेतृत्व में विश्वास बढ़ेगा, कश्मीर में शासन के अंगों के प्रति लोगों में विश्वसनीयता का भाव बढ़ेगा, इसी को पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसके लिए देश का गृह मंत्रालय इन क्षेत्रों में 'सिविक एक्शन प्रोग्राम' चलाता है जिसे देश के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (जम्मू-कश्मीर के मामले में आइटीबीपी और बीएसएफ) लोगों को चार साल के लिए सेना में भर्ती करने का विचार हो, कश्मीर घाटी में चलाया गया 'ऑपेरशन ऑल आउट' हो, राइफल वूमेन की तैनाती हो, जम्मू में उत्तर भारत के पहले इंडस्ट्रियल बॉयोटेक पार्क की शुरुआत हो, कश्मीर में देश के पहले लैवेंडर फेस्टिवल के जरिये स्थानीय आजीविका को बैंगनी क्रांति से जोड़ने की बात हो, या

फिर साम्बा के पल्ली को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाने की बात हो, इन सभी के द्वारा कश्मीर का भविष्य संवारने की पूरी कोशिश चल रही है। इसी कड़ीं में जम्मू-कश्मीर में एक नई प्रवृत्ति 'इकोनॉमिक पाराडिप्लोमेसी' का उभार होना भी सुखद है। दरसअल संयुक्त अरब अमीरात से 40 सदस्यों का एक उच्च प्रतिनिधिमंडल जम्मू-कश्मीर में निवेश की संभावनाओं की तलाश करने सीधे जम्मू आया। जम्मू-कश्मीर शासन ने इस संबंध में 26 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसे अगले 6 माह में 70 हजार करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है। जब कश्मीर में सुरक्षा और भयमुक्त वातावरण रहेगा तभी तो निवेश आकर्षित होगा।

अब यहां समझने वाली बात ये है कि अगर कश्मीर के स्थानीय युवाओं और अन्य वर्गों में सुशासन, विकास, अधिकार और दायित्व के भाव मजबूती से विकसित हो गए, तो पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का एवं लोकल अलगाववादियों का प्रोपेगेंडा नेटवर्क धराशायी हो जाएगा। यहीं कारण है कि आज आतंकी संगठनों ने आम जनता को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल न हो पाने की चिंता के चलते हाइब्रिड आतंकी, ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को तेजी से हवा देना शुरू किया है, लेकिन केंद्र सरकार यदि बिना इन बातों से प्रभावित हुए एक तरफ 'बेस्ट गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी' के जरिये जन अवबोधन प्रबंधन का काम करते हुए जहां जरूरी हो वहां जीरो 'टॉलरेंस मिलिट्री एक्शन' लेने पर फोकस करती रहे, तो आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर की जनता खुद से ही अपने क्षेत्र को आंतकवाद मुक्त बनाने के अभियान में लग जायेगी, तब यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सुरक्षा बलों की ही जिम्मेदारी नहीं रह जायेगी। कुल मिलाकर माओत्से तुंग के एक वक्तव्य को कश्मीर में आतंकवाद की धारणीयता के कारणों से जोड़कर देख सकते हैं। माओ का कहना था कि 'गोरिल्ला उग्रवादी मछली के समान होते हैं जो जनतारूपी सागर में कब और कैसे तैरना है? इसे अच्छी तरह जानते हैं'। इस कथन का सीधा सा मतलब है आम जनता का विद्रोही मकसदों के लिए इस्तेमाल होना। ऐसा इस्तेमाल करके पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की 'वायलेंस इंडस्ट्री' लंबे समय से बिना किसी बाधा के फल फूल रही थी, परन्तु अब धारा-370 जाने के बाद से समय आ गया है कि जनतारूपी सागर हर उपद्रवी को तैरने का मौका न दे, बल्कि उनको डुबोने का साजो सामान तैयार रखे।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003
Offline & Online
Visit Website
COMPREHENSIVE
UPPSC PRELIMS
TEST SERIES 2023
Starting From 9th OCT.
Period : October 2022 to May 2023
TOTAL TEST : 30
Fee Structure:
Offline : Rs. 10,000/-
Online : Rs. 6,000/-
For Dhyeya Students -
Offline Fee - 8,000/-
Online Fee - 4,800/-
9506256789
7570009002
Scholarship Test
Only for Offline Students
9th October, 2022
Scholarship Criteria
Rank-1-5 : 100% Discount | Rank-6-10 : 75% Discount
Rank-11-15 : 50% Discount | Rank-16-20 : 25% Discount

आर्थिकी

उपभोक्ता अधिकारों के प्रति अधिक सतर्क होती सरकार तथा आरबीआई

वर्तमान समय में बढ़ती हुई तकनीकी प्रयोग तथा उपभोक्तावादी संस्कृति में डाटा का महत्त्व अधिक बढ़ गया है। इसी सन्दर्भ में हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर टी. रवि शंकर ने उपभोक्ताओं की निजता को सुरक्षित रखने के लिए कानून की आवश्यकता पर बल दिया है। आरबीआई ने कहा कि डाटा सुरक्षा कानून के द्वारा ही उपभोक्ताओं से संबंधित आंकड़ों का यथोचित मौद्रीकरण संभव होगा। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि ''आज के समय में डाटा का अर्थ पैसा है एवं डाटा का मौद्रीकरण किया जाना आवश्यक है। लिहाजा कारोबार के लिए डाटा का महत्त्व बढ़ गया है, लेकिन उसी के साथ हमें नियम-कानून भी बनाने होंगे जो उपभोक्ताओं के निजी डाटा को सुरक्षित रख सके।'' डाटा सुरक्षा के सन्दर्भ में यह बताना आवश्यक है कि भारत में व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधयेक लंबित है, वहीं गैर-व्यक्तिगत डाटा संरक्षण पर नियम बनाने के लिए समिति का गठन किया जा चुका है। यह स्थितियां बताती हैं कि वर्तमान समय में आरबीआई तथा सरकार डाटा संरक्षण एवं उपभोक्ता अधिकारों के प्रति अधिक सतर्क हो रही हैं।

उपभोक्ता अर्थात क्रेता के अधिकारों के संरक्षण की परम्परा समाज के विकास के साथ ही विकसित हुई है। कौटिल्य के प्रसिद्ध ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' में भी क्रेता के अधिकारों तथा विक्रेता की लोभी प्रवृत्ति का उल्लेख मिलता है। उपभोक्ता के संरक्षण से संबंधित आधुनिक आंदोलन जिसे उपभोक्ता आंदोलन भी कहा जाता है, की शुरूआत 15 मार्च, 1962 को अमेरिका से हुई। इस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने उपभोक्ता के अधिकारों को 'बिल ऑफ राइट्स' में सम्मिलित करने की घोषणा के साथ-साथ 'उपभोक्ता सुरक्षा आयोग' के गठन की घोषणा की थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रसार से तकनीकी एवं उच्च विशेषता वाले असहज उत्पादों के निर्माण होने से, उपभोक्ताओं में उनके उपभोग हेतु सस्ता एवं अच्छा उत्पाद चुनाव के लिए व्यापक संशय उत्पन्न हो गया है। आधुनिक लुभावने विज्ञापनों पर विश्वास कर लोग वस्तु की खरीद तो करते हैं परन्तु यह उनके उम्मीदों के विपरीत होती है। उपभोक्ताओं के हितों की देखरेख के लिए संगठनों का अभाव होने से यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं के व्यवहार को जानने के लिए कंपनियों के मध्य निरंतर डाटा का आदान-प्रदान होता रहता है। भारत की केंद्रीय बैंक तथा सरकार दोनों ही उपभोक्ता अधिकारों एवं उनके डाटा संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा रही हैं। भारत में सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण की शुरुआत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधिनियमन के साथ आरम्भ हुई। बदलते परिवेश के साथ 2019 में इस अधिनियम में व्यापक संसोधन हेतु इसे पुनः संसद में प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम में उपभोक्ता की परिभाषा, उसके कार्य-व्यवहार, उपभोक्ता के अधिकारों तथा उन अधिकारों का उल्लंघन करने पर प्राप्त होने वाले दंड पर व्यापक नियम बनाये गए हैं। इस अधिनयम में उपभोक्ताओं के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

(i) ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपरक हैं।

(ii) वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना।

(iii) प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर वस्तु और सेवा उपलब्ध होने का आश्वासन प्राप्त होना।

(iv) अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में मुआवजे की माँग करना।

इसके साथ ही केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों को मजबूती देने, उनका संरक्षण करने और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के गठन का प्रावधान किया है। यह प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करेगा। महानिदेशक की अध्यक्षता में सीसीपीए की एक अन्वेषण शाखा (इन्वेस्टिगेशन विंग) होगी जो ऐसे उल्लंघनों की जांच या इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इस अधिनियम में उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जिला, राज्य या राष्ट्रीय आयोगों के आदेशों का पालन नहीं करता तो उसे कम से कम एक महीने और अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है या उस पर कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे एक लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या उसे दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है। झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए मैन्यूफैक्चरर या एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का

दंड लगाया जा सकता है और अधिकतम दो वर्षों का कारावास भी हो सकता है। इसके बाद अपराध करने पर यह जुर्माना बढ़कर 50 लाख रुपए तक हो सकता है और सजा पाँच वर्षो तक बढ़ाई जा सकती है। दोषी को दण्ड और जुर्माने दोनों से भी दण्डित किया जा सकता है।

सरकार ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए ऑनलाइन पोर्टल्स भी बनाये हैं जिसके द्वारा त्वरित शिकायत दर्ज की जा सकती है। आरबीआई ने 1995 में शिकायत निवारण कक्ष की स्थापना, 1995-96 में बैंकिंग लोकपाल (बैंलो) योजना की शुरूआत के माध्यम से एक वैकल्पिक शिकायत निवारण (एजीआर) तंत्र की स्थापना,पूर्ववर्ती ग्रामीण योजना और ऋण विभाग से एक पूर्ण सीएसडी का सृजन तथा 2018 में एनबीएफसी में लोकपाल के गठन के द्वारा उपभोक्ता अधिकारों को संरक्षित करने के कई प्रयास किये हैं। इसी के साथ 12 नवंबर, 2021 को रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (आरबी-आईओएस) प्रारंभ किया गया। आरबीआई द्वारा ग्राहक चार्टर जारी किया गया है जो ग्राहक अथवा उपभोक्ता को उचित बर्ताव का अधिकार, पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा ईमानदार व्यवहार का अधिकार, उपयुक्तता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति का अधिकार प्रदान करती हैं। इसके साथ ही आरबीआई द्वारा बैंकों के लिए आंतरिक लोकपाल योजना, शिकायत प्रबन्धन प्रणाली को लागू कर उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रयास किया गया है। आरबीआई ने ऑनलाइन लोन की समस्याओं को कम करने के लिए फिनटेक कंपनियों को विनियमित किया जिसके साथ ही 'बाय नाऊ पे लेटर' की प्रवृत्ति पर भी लगाम लगाया है।

वर्तमान समय में ऑनलाइन प्रवृत्ति बढ़ने के कारण उपभोक्ता अधिकारों पर नए तरह के संकट आ रहे हैं। यह संकट उपभोक्ता के डाटा की खरीद-बिक्री से सम्बंधित है। अतः वर्तमान परिदृश्य में उपभोक्ता अधिकारों को डाटा संरक्षण से पृथक नहीं रखा जा सकता। डाटा संरक्षण के द्वारा न सिर्फ उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण होगा बल्कि डाटा स्थानीयकरण के द्वारा भारत के कंपनियों को भी विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सकेगा। हालाँकि साइबर अपराध, सीमा पार डाटा तथा भारत के उपभोक्ताओं की डिजिटल अशिक्षा, डाटा संरक्षण के लिए एक बड़ी चुनौती है। अतः यह आवश्यक है कि उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए डाटा संरक्षण (व्यक्तिगत तथा गैर-व्यक्तिगत) विधेयकों को अधिनियमित किया जाए। यह उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के साथ-साथ निजता के अधिकार की भी रक्षा करेगी।

सारांशः

हालिया दौर में बढ़ते तकनीकी प्रयोग तथा उपभोक्तावादी संस्कृति में डाटा का महत्त्व बढ़ने के साथ ही उपभोक्ता अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अतः उपभोक्ता अधिकारों को संरक्षित करने की आवश्यकता है।

भारत में सरकार तथा आरबीआई दोनों ही उपभोक्ता अधिकारों को संरक्षित करने हेतु प्रायसरत हैं। भारत द्वारा सर्वप्रथम उपभोक्ता संरक्षण की शुरुआत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधिनियमन के साथ आरम्भ हुई। बदलते परिवेश के साथ 2019 में इस अधिनियम में व्यापक संशोधन कर इसे पुनः संसद में प्रस्तुत किया गया। देश की केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा भी उपभोक्ता संरक्षण के कई प्रयत्न किये गए जिनमे 1995-96 में बैंकिंग लोकपाल (बैंलो) योजना की शुरूआत, ग्राहक अधिकारों पर ग्राहक चार्टर, फिनटेक विनियमन इत्यादि प्रमुख हैं।

फिर भी आज के समय में उपभोक्ता अधिकार तथा डाटा संरक्षण एक दूसरे के पूरक हैं। अतः उपभोक्ता संरक्षण के साथ ही डाटा संरक्षण (व्यक्तिगत तथा गैर-व्यक्तिगत) विधेयकों को अधिनियमित करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय

देश में सिविल एविएशन और अन्य परिवहन क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की तैयारी

हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि 2024 तक देश के लगभग 90 एयरपोर्ट कार्बन न्यूट्रल होंगे। वर्तमान में दिल्ली तथा कोच्चि कार्बन न्यूट्रल हैं। एयरपोर्ट को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए वहां सोलर पैनल लगाए गए हैं।

आज के दौर में आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करना एक आवश्यकता बन चुकी है। देश के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण भी आवश्यक है। विश्व के कई देशों के साथ भारत भी आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण में संतुलन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि जहाँ एक कुशल परिवहन क्षेत्र देश के आर्थिक विकास और इसके लोगों के जीवनस्तर को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है, वहीं यह सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक क्षेत्रों में से एक है। वैश्विक स्तर पर जहाँ परिवहन क्षेत्र सम्पूर्ण ऊर्जा खपत के 30% हेतु उत्तरदायी है, वहीं यह भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। अर्थात यह निश्चित है कि 2070 तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लक्ष्य तथा सतत आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए देश में सिविल एविएशन और अन्य परिवहन क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाना आवश्यक है।

यदि भारत में परिवहन क्षेत्रक पर गौर करें तो यह पता चलता है कि सड़कें वर्तमान में परिवहन का प्रमुख साधन हैं। देश के लगभग 87% यात्री यातायात के लिए सड़क क्षेत्रक पर निर्भर हैं। वहीं सड़क परिवहन औद्योगिक क्षेत्रक का भी सहयोगी है क्योंकि यह कच्चे माल को उद्योगों तक और तैयार उतपाद को बाजार तक ले जाने में सहायक होता है, परन्तु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट-2018 और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (आईईए) की रिपोर्ट-2020 के डाटा से पता चलता है कि परिवहन क्षेत्र में शामिल सड़क परिवहन, कॉर्बन डाईऑक्साइड के कुल उत्सर्जन में 90% से अधिक का योगदान देता है। स्थलीय परिवहन का दूसरा मुख्य क्षेत्रक रेलवे है जिसे भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। भारत का रेल नेटवर्क विश्व में चौथे स्थान पर है, वहीं यह भारत में सबसे बड़ा एकल नियोक्ता भी है। जलीय परिवहन में हम मुख्य रूप से समुद्री परिवहन पर चर्चा करते हैं। हालाँकि अब देश में इनलैंड वाटरवे भी बनाये जा रहे हैं। समुद्री परिवहन मुख्य रूप से 13 प्रमुख बंदरगाहों के द्वारा होता है जो भारत के 7500 किमी से अधिक लंबी तटरेखा पर अवस्थित हैं। इस क्षेत्रक से देश का 95% (मात्रात्मक) तथा 67%(मूल्य के आधार पर) विदेशी व्यापार संपन्न होता है। नदी जोड़ो परियोजनाओं तथा सागर माला परियोजना के माध्यम से इनलैंड वाटरवे विकसित किये जा रहे हैं। देश का पहला नेशनल वाटरवे बनारस से लेकर हल्दिया तक (गंगा नदी पर) बनाया गया है। इसके साथ ही तेजी से विकसित हो रहा देश का नागरिक उड्डयन उद्योग विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 तक यह यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री बाजार बन जाएगा।

हालांकि यह परिवहन क्षेत्रक अभी भी भारत की सम्पूर्ण परिवहनीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। सड़क परिवहन के साथ, ग्रामीण तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ जुड़ाव की कमी एवं सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एक बड़ी चुनौती है। अभी भी भारत के 33% गाँवों तक सड़क नहीं पहुंच पायी है। भारत में दुनिया का मात्र 1% वाहन है, लेकिन यह विश्व में सभी सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 11% हिस्सेदारी रखता है। इसके साथ ही सड़क विकास जल संकट को उत्पन्न करता है। रेल नेटवर्क का धीमा विस्तार, उच्च माल ढुलाई लागत इत्यादि रेलवे क्षेत्र की बड़ी समस्या है। यदि नागरिक उड्डयन की बात करें तो खराब क्षेत्रीय संपर्क, अपर्याप्त हैंगर स्पेस, हवाई अड्डे के विस्तार के लिये भूमि की कमी, उच्च केंद्रीय और राज्य कर तथा भारत में हवाई ईंधन अन्य (आसियान और मध्य पूर्व) देशों की तुलना में लगभग 60% अधिक महंगा होना, इस क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है। जलीय परिवहन के लिए तेल रिसाव एक व्यापक चुनौती है। हालांकि सरकारें इन चुनौतियों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए भारतमाला, सागर माला, उड़ान, पीएम गतिशक्ति, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इससे यह निश्चित है कि आने वाले समय में परिवहन के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि होगी।

परिवहन क्षेत्रक एक व्यापक कार्बन उत्सर्जन करने वाला क्षेत्रक है। ऐसे में यदि परम्परागत रूप से इसमें वृद्धि हुई तो यह नि:संदेह ग्रीनहॉउस गैस में वृद्धि करके पर्यावरण संकट को उत्पन्न करेगा। इस स्थिति में परिवहन क्षेत्रक को कार्बन न्यूट्रल बनाने की आवश्यकता है क्योंकि हरित भारत का स्वप्न कार्बन न्यूट्रल परिवहन के बिना

साकार नहीं हो सकता। भारत सरकार भी 2070 तक नेट जीरो तथा परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने कई प्रयास भी किये हैं जिनके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के अनुसार, भारत में वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में ग्रीनहाउस गैसों (GHC) के उत्सर्जन में 6 से 10 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। भारत में सड़क परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही नई वाहन नीति में सरकार ने 20 वर्ष पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने तथा इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने का प्रावधान है। नीति आयोग भी नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफोर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज के माध्यम से ईवी और सतत आवाजाही को बढ़ावा देने में शीर्ष भूमिका निभा रहा है। हालाँकि ऐसे इलेक्ट्रिक परिवहन के लिए कार और बैटरी निर्माताओं के साथ-साथ बैटरी चार्ज करने के मजबूत इको-सिस्टम का विकास आवश्यक है तथा यह वर्ष 2030 तक लगभग 180 अरब डॉलर के निवेश मांग करता है।

इसके साथ ही भारत में तेजी से जैव ईंधन का प्रयोग बढ़ रहा है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जो मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त हैं, जैसे-गेहूँ, टूटे चावल आदि से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति देती है। यह इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देकर प्रदूषण को कम करने में सहयोगी होगा। रेलवे के क्षेत्र में मेट्रो तथा परम्परागत रेल को इलेक्ट्रिक करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय रेल द्वारा वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य पाने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच साझेदारी को भी बढ़ाने की जरूरत होगी। इसके साथ ही हल्के तथा कम ईंधन से चलने वाले विमान उपकरणों के लिए 'प्रोडक्शन-लिंक-इनिशिएटिव' 'आरम्भ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त नीति आयोग तथा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया

(डब्ल्यूआरआई) ने 'फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट' कार्यक्रम शुरू किया है। इसके साथ ही भारत एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फोर एशिया (टीआईए 2020-2023) का सदस्य है जो चीन, भारत और वियतनाम को अपने-अपने देशों में परिवहन क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से काम कर रहा है।

सारांश:

जहाँ एक कुशल परिवहन क्षेत्र देश के आर्थिक विकास और इसके लोगों के जीवनस्तर को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है, वहीं यह सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक क्षेत्रो में से एक है। इस स्थिति में देश को 2070 तक नेट जीरो (ग्लास्गो लक्ष्य) का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत के सिविल एविएशन सहित परिवहन क्षेत्रक को कार्बन न्यूट्रल करने की अत्यंत आवश्यकता है। परिवहन क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है जिसमे इलेक्ट्रिक व्हीकल , जैव ईंधन , नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाया जाना सम्मिलित है परन्तु सरकार के प्रयासों के साथ ही साथ हरित परिवहन के लिए स्वच्छता अभियान की तरह जन आंदोलन चलाने तथा व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को 'हरित यात्रा आदतों' को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सरकार परिवहन क्षेत्रक को कार्बन न्यूट्रल बनाने की दिशा में बेहतर कदम उठा रही है तथा अपने ग्लास्गो लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। परिवहन क्षेत्रक को कार्बन न्यूट्रल बना कर तथा इस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा (सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल तथा जैव ईंधन इत्यादि) का प्रयोग कर आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित किया जा सकता है। सरकार के प्रयासों के साथ ही साथ हरित परिवहन के लिए स्वच्छता अभियान की तरह जन आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को 'हरित यात्रा आदतों' को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने से, कार्बन न्यूट्रल परिवहन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है जो भारत को 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ाएगा।

कला-संस्कृति

भारत में विश्व धरोहर स्थल घोषित करने हेतु नए स्थल की पहचान जरूरी

प्राचीन काल से ही भारत की संस्कृति तथा सभ्यता अद्वितीय रही है जिसके फलस्वरूप भारत में विश्व धरोहर स्थलों की एक लम्बी श्रृंखला रही है। अभी कुछ समय पूर्व कच्छ का रण, गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया जिसके साथ ही भारत में स्थित विश्व धरोहरों की संख्या 40 हो गई है। इसके उपरांत छः भारतीय स्थानों को यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची (Tentative List) में जोड़ा गया है जिससे भारत में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची 49 तक पहुंच गई है। यह भारत में स्थित सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है।

किसी भी राष्ट्र का इतिहास, उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। जिस देश का इतिहास जितना गौरवमयी होगा, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊँचा माना जाएगा। वैसे तो बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी इमारतें और लिखे गए साहित्य उन्हें हमेशा सजीव बनाए रखते हैं। विश्व विरासत स्थल किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और उसकी प्राचीन संस्कृति के महत्त्वपूर्ण परिचायक माने जाते हैं। विभिन्न देशों के इतिहास को महत्त्व देने के लिए यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का स्टेटस प्रदान करने की प्रथा आरम्भ की। पहला विश्व विरासत दिवस' 18 अप्रैल, 1982 को ट्यूनीशिया में मनाया गया। यूनेस्को ने वैश्विक धरोहरों की तीन श्रेणियाँ बांटी हैं-

1. प्राकृतिक धरोहर स्थल।
2. सांस्कृतिक धरोहर स्थल।
3. मिश्रित धरोहर स्थल।

किसी स्थल को विश्व विरासत में सम्मिलित करने के पूर्व एक निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन होता है। इस प्रक्रिया में किसी भी देश को पहले चरण में किसी स्थल की अस्थाई सूची तैयार करना होता है। दूसरे चरण में विश्व धरोहर केन्द्र द्वारा धरोहर सूची बनाने में सलाह दिया जाता है। तीसरे चरण में नोमिनेशन फाइल को दो स्वतंत्र संगठनों द्वारा आंकलित किया जाता है, ये हैं-

1. अंतर्राष्ट्रीय स्मारक, स्थल परिषद।
2. विश्व संरक्षण संघ।

ये संस्थाएँ फिर विश्व धरोहर समिति से अनुशंसा करती हैं। चौथे चरण में विश्व धरोहर समिति के निर्णय की बारी आती है। विश्व धरोहर समिति सम्पूर्ण वर्ष में एक बार बैठक को यह तय करती है कि नामांकित स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है या नहीं। पाँचवें चरण में यूनेस्को के दस मानदंडों की कसौटी पर स्थलों की जाँच की जाती है। 2004 से पहले 6 सांस्कृतिक और 4 प्राकृतिक मानदंडों को पूरा करना जरूरी था लेकिन अब 10 मानदंडों का एक ही सेट तय किया गया है। ये मानदंड हैं:

1. मानव रचनात्मक प्रतिभा।
2. मूल्यों का परिवर्तन।
3. सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप।
4. मानव इतिहास में महत्त्व।
5. असाधारण मानव निपटान हेतु।
6. सार्वभौमिक महत्त्व की घटनाओं के साथ जुड़ना।
7. घटनाएँ या सुंदरता।
8. पृथ्वी के इतिहास मंच।
9. महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र और जैविक प्रक्रियाएं।
10. जैव विविधता के लिए महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक आवास।

वैश्विक स्तर पर अभी तक (जुलाई 2021 तक) 1154 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है जिसमें 897 सांस्कृतिक, 218 प्राकृतिक एवं 39 मिश्रित स्थल हैं।

भारत एक सम्बृद्ध सांस्कृतिक परम्परा का ध्वजवाहक तथा पर्यावरणीय मूल्यों का महत्त्व करने वाला देश रहा है। भारत के कुल 40 स्थलों को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया जा चुका है। भारत में ऐसे कई कानून तथा नियम हैं जो विश्व विरासत स्थल को संरक्षित करने के लिए बनाये गए हैं। भारत में ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए पहला कानून 1810 में 'बंगाल रेगुलेशन-19' पारित हुआ। इसके बाद 1817 में 'मद्रास रेगुलेशन-8' पारित हुआ। इन दोनों कानूनों के जरिए ऐतिहासिक महत्त्व की सरकारी इमारतों के संरक्षण के लिए सरकार को शक्ति दी गई। 1947 में एक और अहम कानून बना जिसे पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम नाम से जाना गया। इस कानून के तहत प्राचीन अवशेषों के निर्यात हेतु लाइसेंसों को अनिवार्य कर दिया गया।

1951 में प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल से जुड़ा कानून पास हुआ। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के भाग-126 के तहत भी कई स्मारकों को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित किया गया। देश की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखने के लिए 1958 में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम पास किया गया। अगले वर्ष इससे जुड़ा एक और कानून आया जो 1972 में पुरातत्व और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम के नाम से जाना गया। इन कानूनों के साथ ही संविधान

के अनुच्छेद-51 (a) में नागरिकों के लिए यह मूल कर्तव्य है कि वे भारत के विरासत की रक्षा करें। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रयास भी किये गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए रखने में लगातार कोशिशें करता रहा है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक धरोहरों के (100-200) मीटर की परिधि तक किसी भी निर्माण पर रोक लगायी थी। देश की सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 'नेशनल कल्चरल फंड' की स्थापना की है।

लाभः

यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के बाद कई प्रकार के लाभ होते हैं। विश्व में कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि विश्व धरोहर स्थल घोषित होने के बाद न केवल कई स्थलों का संरक्षण हुआ, बल्कि उन्हें कई संभावित खतरों व नुकसानों से तुरंत बचाया भी गया। 1990 में नेपाल के रॉयल चितवन पार्क में राप्ती नदी डायवर्जन, 1995 में मिस्र में पिरामिडों को यूनेस्को ने संकट से बचाया। हालाँकि विश्व विरासत स्थलों पर होने वाले अतिक्रमण, बाजारवाद तथा पूंजीवाद उन्मुख अनुसंधान के कारण धरोहर स्थलों की उन्नति, संरक्षण और सुरक्षा आदि की उपेक्षाएँ हो रही हैं।

इन सबके उपरान्त भारत में संस्कृति मंत्रालय तथा पुरातत्व विभाग लगातार धरोहरों को बचाने के लिए प्रयासरत है। इन प्रयासों के कारण भारत में लगातार विरासत की अस्थायी सूची बढ़ रही है। कुछ समय पूर्व सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (मध्य प्रदेश), बनारस घाट (उत्तर प्रदेश) इत्यादि को अस्थायी सूची में स्थान दिया गया है। यदि ये विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित हो गए तो इससे न सिर्फ देश के सम्मान में वृद्धि होगी बल्कि इन क्षेत्रों को अतिक्रमण से बचाकर इनका संरक्षण किया जा सकेगा।

UNESCO
unesco
United Nations
Educational, Scientific
and Cultural Organization

सारांशः

किसी भी राष्ट्र का इतिहास, उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। अतः विभिन्न देशो के इतिहास को महत्त्व देने के लिए यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का स्टेटस प्रदान करने की प्रथा आरम्भ की। वैश्विक स्तर पर अभी तक (जुलाई 2021 तक) 1154 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है, वहीं भारत में लगभग 40 स्थलों को इस सूची में स्थान मिल चुका है।

भारत में ऐसे कई कानून तथा नियम हैं जो विश्व विरासत स्थल को संरक्षित करने के लिए बनाये गए हैं। इसके साथ ही भारत में संस्कृति मंत्रालय तथा पुरातत्व विभाग लगातार धरोहरों को बचाने के लिए प्रयासरत है। कुछ समय पूर्व सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बनारस घाट इत्यादि को अस्थायी सूची में स्थान दिया गया है। यदि ये विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित होते है तो इससे न सिर्फ देश के सम्मान में वृद्धि होगी बल्कि इन क्षेत्रों को अतिक्रमण से बचाकर इनका संरक्षण किया जा सकेगा।

ध्येयIAS® most trusted since 2003
Offline & Online
COMPREHENSIVE
ALL INDIA IAS PRELIMS
TEST SERIES 2023
Starting From 9th OCT.
Period : October 2022 to May 2023
TOTAL TEST : 26
9506256789
7570009002
Visit Website

राजव्यवस्था

राजनीतिक दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे के विनियमन की जरूरत

निर्वाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा 'हम भारत के लोग' अपनी इच्छा को मतों द्वारा प्रकट करते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार होने के कारण निर्वाचन प्रक्रिया में राजनीतिक दलों का बहुत अधिक महत्त्व है। लोकतंत्र में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता एक महत्त्वपूर्ण आयाम है, इसीलिए भारत के चुनाव आयोग ने पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में कई संशोधनों का सुझाव दिया है। यह सुझाव राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे को विनियमित करने के संदर्भ में है। निर्वाचन आयोग ने पाया कि हाल में हुए चुनाव में कुछ राजनीतिक दलों द्वारा सूचित किए गए चंदे की राशि शून्य थी परंतु उनके लेखा परीक्षा खातों में बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होने का पता चला है। इस प्रकार राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे को विनियमित करने की अत्यंत आवश्यकता है।

राजनीतिक दलों के चंदे के विनियमन के सन्दर्भ में निर्वाचन आयोग ने कुछ अनुशंसा की है जिसका वर्णन निम्नवत है-

चुनाव आयोग ने कहा कि फंडिंग की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए 2000 से अधिक के सभी चंदे की सूचना दी जानी चाहिए जो अभी तक राजनीतिक दलों को 20,000 से अधिक वाले चंदे की सूचना, रिपोर्ट के माध्यम से चुनाव आयोग के समक्ष देनी होती है।

चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि एक व्यक्ति (जैविक व्यक्ति अथवा निकाय) को 2000 से अधिक के सभी खर्चों के लिए डिजिटल लेनदेन या चेक द्वारा स्थानांतरण अनिवार्य किया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग ने चंदे को सीमित करने के लिए कहा कि किसी पार्टी द्वारा प्राप्त कुल धनराशि में से 20% या अधिकतम 20 करोड़ (जो भी कम हो) पर चंदे को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव उद्देश्य के लिए अलग खाता खोलना चाहिए।

इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप को कम करने के लिए चुनाव आयोग ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम के अंतर्गत पार्टियों के फंड में कोई विदेशी चंदा न मिले।

एक सफल लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया अनिवार्य है परंतु भारत में ऐसे कई कारक हैं जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करते रहे हैं। इन कारकों में सर्वाधिक प्रमुख कारक राजनीति का अपराधीकरण है। यहां 2004 में 24% संसद सदस्य आपराधिक पृष्ठभूमि से थे जो कि 2019 में बढ़कर 46% हो गया है। 2019 में चुनाव लड़ने वाले 13% उम्मीदवारों पर जघन्य अपराधों का आरोप है जिसमें हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण जैसे मामले सम्मिलित हैं। अपराधिक व्यक्ति अपना रसूख कायम रखने और जनता में पैठ बनाने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं तथा उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि वह अपने विरुद्ध चल रहे मामलों को या तो समाप्त कर दें या तो उन पर कोई कार्यवाही न हो। भारत में राजनीति के अपराधीकरण के बाद 'चुनाव में धनबल' का प्रयोग एक बड़ी समस्या है। आर्थिक समानता के अभाव में गरीब जनता कई बार अपने मतों की बिक्री के लिए विवश हो जाती है। इसके कारण चुनाव में भारी मात्रा में धन का व्यय किया जाता है। यह न सिर्फ सामान्य व्यक्ति को निर्वाचन की प्रक्रिया से दूर करता है बल्कि भ्रष्टाचार तथा क्रोनी कैपिटलिज्म (नेता-पूजीपति गठजोड़) को भी बढ़ावा देता है। राजनैतिक दलों को दिए जाने वाले चंदों में प्राय: काले धन तथा विदेशी फण्ड का उपयोग किया जाता है जो न सिर्फ चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करते हैं बल्कि भारत की आर्थिक सम्प्रभुता को भी प्रभावित करते हैं। भारत में सामाजिक असमानता अभी भी व्याप्त है जिसके कारण चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तथा जातिगत मुद्दे महत्त्वपूर्ण रहते हैं। कई राजनीतिक दलों द्वारा तो जाति की संख्या के अनुसार टिकट वितरित किए जाते हैं। यह सभी कारक एक प्रगतिशील समाज से विपथगमन (Deviation) का कारण बनते हैं। प्राय: देखा जाता है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए वर्तमान राजनीतिक प्रणाली को दोषी करार देते हैं परंतु हम ये भूल जाते हैं कि राजनैतिक प्रणाली के ये दोष समाज की गतिविधियों के प्रति राजनैतिक प्रणाली की प्रतिक्रिया है। हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक प्रणाली एक अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता है जो समाज तथा राष्ट्र के विकास में सहयोगी है।

राजनीतिक प्रणाली में सुधार करके इसे समाज एवं राष्ट्र के विकास में सहयोगी बनाने के लिए कई प्रयत्न किए गए हैं। विभिन्न समितियों तथा आयोगों ने समय-समय पर चुनाव प्रणाली तथा चुनावी मशीनरी में सुधार के सुझाव दिए हैं। इन समितियों में तरकुंडे समिति (1974-75), दिनेश गोस्वामी समिति (1990), बोहरा समिति (1993), वीरप्पा मोइली समिति (2007) तथा तनखा समिति (2010) महत्त्वपूर्ण है। इसके साथ संसद द्वारा चुनाव सुधार हेतु कई

महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 में संशोधन करके अपराधियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिनियम की धारा-8 में यह प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका सदस्य (संसद या विधानसभा) हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनिमय, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर संकट उत्पन्न करने, भारतीय संविधान का अपमान करने, प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात एवं निर्यात करने तथा आतंकवादी गतिविधियों जैसे अपराधों में सम्मिलित होता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत योग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए संसद ने ईवीएम तथा वीवीपैट के प्रयोग को भी मंजूरी दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ मामले में यह भी निर्धारित किया कि हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ते समय अपने आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय रिकॉर्ड तथा शैक्षिक योग्यता की जानकारी देनी होगी। इन प्रयासों के साथ ही जनता को भी निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूक होना होगा तथा सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था की। चुनावी बांड को बिना किसी अधिकतम सीमा के 1 हजार, 10 हजार, 1 लाख, 10 लाख तथा 1करोड़ रुपए के गुणों में जारी किया जा सकता है। हालांकि यह बहुत अधिक पारदर्शी नहीं है क्योंकि चुनावी बांड की खरीद के माध्यम से 20000 से कम योगदान वाले दाताओं का पहचान विवरण नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही ये सिर्फ पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में ही प्रतिदेय होते हैं।

लोकतंत्र में स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता साध्य तथा साधन दोनों होती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष शासन प्रणाली के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव अत्यंत अनिवार्य है। अतः चुनाव आयोग द्वारा दिया गया यह सुझाव चर्चा किए जाने योग्य है। यद्यपि यह राजनीतिक दलों के निजता का उल्लंघन करते हैं परंतु राजनीतिक दलों की निजता राष्ट्रीय पारदर्शिता से बड़ी नहीं है। इसके साथ ही हम यह कह सकते हैं कि चंदे को विनियमित करने के साथ ही साथ आपराधिक मामले तथा हेट स्पीच जैसी समस्याओं को भी विनियमित करने की आवश्यकता है जिससे हम एक साफ-सुथरे राजनीतिक परिदृश्य में एक उन्नत लोकतंत्र की तरफ बढ़ सकें।

भारत में निष्पक्ष चुनाव के समक्ष चुनौतियाँ:

- राजनीति का अपराधीकरण।
- राजनीति में धनबल का प्रयोग।
- सांप्रदायिक ध्रुवीकरण।
- चुनाव में जातिवाद।
- क्रोनी-कैपिटलिज्म।

सारांश:

भारत के लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए राजनैतिक दलों में पारदर्शिता आवश्यक है। इस पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए हाल में निर्वाचन आयोग ने दलों के चंदे के विनियमन से सम्बंधित अनुशंसा की है। भारत का राजनैतिक परिदृश्य निरंतर चुनाव में धनबल, बाहुबल ,क्रोनी-कैपटलिज्म जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। हालाँकि इन समस्याओं को कम करने के लिए सरकार , उच्चतम न्यायालय तथा संसद निरंतर प्रयत्नशील हैं। इन प्रयासों के साथ ही जनता की जागरूकता भी आवश्यक है। इन प्रयासों के द्वारा चुनाव प्रणाली को सुधार कर हम एक साफ-सुथरे राजनीतिक परिदृश्य में एक उन्नत लोकतंत्र की तरफ बढ़ सकते हैं।

पर्यावरण

पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन प्रबंधन के लिए वैश्विक गठजोड़ बढ़ाता भारत

पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां आज राष्ट्रों के लिए एक साझी चुनौती के रूप में उभरी हैं। ये चुनौतियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था, पर्यटन, जैवविविधता और सतत विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। इसलिए भारत जैसे विकासशील देशों का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि वैश्विक क्षेत्रीय सहयोग और गठजोड़ों के जरिये ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक और सागरीय प्रदूषण, मरुस्थलीकरण एवं भूमि निम्नीकरण की समस्या से निपटा जा सके। पर्यावरणीय मामलों में भारत ने इसी दृष्टिकोण से कई राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग सुनिश्चित करने का काम किया है। इसी कड़ी में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा अमेरिका के यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने 8 सितंबर, 2022 को भारत में 'ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट्स इन इंडिया' नामक एक नया प्रोग्राम लांच किया है। भारत स्थित यूएस एम्बेसी ने इस प्रोग्राम को भारत-अमेरिका के संबंधों के नए उभरते क्षेत्र के रूप में व्यक्त किया है।

इसके जरिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन (sequestration), स्थानीय समुदायों को सहयोग, समर्थन और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। यह 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर लागत वाला प्रोग्राम है जो किसानों, कंपनियों और भारत के निजी संस्थाओं को एक मंच पर लाएगा। यह पारंपरिक वनों के बाहर 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर 'ट्री कवरेज' को बढ़ाने के उद्देश्य से काम करेगा।

इंटरनेशनल सोलर एलायन्स के जरिये भारत की सोलर पार्टनरशिप :

भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर एलायन्स में विकसित और विकासशील देशों का लगातार जुड़ना जारी है। एक छोटे से हिमालयी देश भूटान से लेकर वैश्विक महाशक्ति अमेरिका भी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर एलायन्स के सदस्य बने हैं। भारत नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु सौर ऊर्जा व्यापार को एक वैश्विक आंदोलन बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है जिसमें उसे सफलता भी मिल रही है। पिछले वर्ष अमेरिका, इंटरनेशनल सोलर एलायंस के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां सदस्य बना था। उसके बाद 2022 में एंटीगुआ और बारबुडा इंटरनेशनल सोलर एलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला 102वां सदस्य देश बना था।

अब तक कुल 109 देशों ने इंटरनेशनल सोलर एलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है। इसमें 100 से 109वें देश तक को देखें तो ये क्रमशः इजरायल (100वां), अमेरिका (101वां), एंटीगुआ बारबुडा (102वां), सीरिया (103वां), बहरीन (104वां), नेपाल (105वां) और नॉर्वे (106वां) हंगरी (107वां) पनामा (108वां) और भूटान (109वां) शामिल हैं। सबसे नवीनतम देश जिसने आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया वह है भूटान। वहीं अगर इंटरनेशनल सोलर एलायंस में कुल सदस्य देश देखें तो इनकी संख्या अब 90 हो गई है। अमेरिका इसका 90वां देश है जिसने इंटरनेशनल सोलर एलायन्स के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर भी किया है और अनुसमर्थन भी। उल्लेखनीय है कि जब कोई देश फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर देता है और सिग्नेटरी बनने के साथ ही उसका अनुसमर्थन (रेटिफिकेशन) भी कर देता है, तब वह पूर्ण सदस्य बन जाता है। हाल के समय में जो देश इसके पूर्ण सदस्य बने हैं उनमें, ग्रीस (85वां), बहरीन (86वां), नॉर्वे (87वां), सीरिया (88वां), भूटान (89वां) और सबसे नवीनतम संयुक्त राज्य अमेरिका (90वां) शामिल हैं।

भारत-ब्रिटेन पर्यावरणीय गठजोड़ :

भारत और ब्रिटेन लाइक माइंडेड देशों के रूप में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने की दिशा में गठजोड़ कर रहे हैं। भारत और ब्रिटेन ने क्लीन एनर्जी, अल्प कार्बन अर्थव्यवस्था, ग्रीन हाइड्रोजन विकास, अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे और वाहनों से होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने के लिए महत्त्वपूर्ण समझौते किये हैं। दोनों देशों ने ग्रीन इकॉनमी और ब्लू इकॉनमी के विकास पर बल दिया है। दोनों देशों ने ग्लासगो में कॉप-26 शिखर सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर एक वेब पोर्टल 'ई-अमृत' लॉन्च किया है। ई-अमृत' दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित समस्त सूचनाओं के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन या पोर्टल है जहां इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने, उनकी खरीदारी करने, निवेश के अवसरों, नीतियों, सब्सिडी इत्यादि के बारे में समस्त मिथक या भ्रम पूरी तरह से दूर किये गए हैं। इस पोर्टल को ब्रिटिश सरकार के साथ एक सहयोगात्मक ज्ञान आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा विकसित और होस्ट किया गया है। इतना ही नहीं, यह पोर्टल उस ब्रिटेन-भारत संयुक्त रोडमैप 2030 का हिस्सा है जिस पर इन दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों के हस्ताक्षर हैं। 'ई-अमृत' दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लाभों से उपभोक्ताओं को अवगत

कराने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों के पूरक के तौर पर काम करेगा। हाल के महीनों में भारत ने पूरे देश में परिवहन को कार्बन मुक्त करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाने के लिए कई पहल किया है। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को जल्द अपनाने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने में 'फेम' और 'पीएलआई' जैसी योजनाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

जल एवं पर्यावरण क्षेत्र में 21वीं सदी के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए सी-गंगा (सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज) और ब्रिटिश वाटर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया है। इसके साथ ही भारत और ब्रिटेन के मध्य सौर ऊर्जा के प्रयोग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ग्लोबल ग्रीन ग्रिड को दोनों देशों ने लांच किया है जिसे ग्लोबल एनर्जी ग्रिड भी कहा जा रहा है। इस दिशा में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 'वन सन-वन वर्ल्ड-वन ग्रिड' की धारणा का प्रतिपादन किया गया है। भारत इस वैश्विक ग्रिड को ठीक वैसे ही विकसित करना चाहता है, जैसा कि उसने इंटरनेशनल सोलर एलायंस को लांच करने की दिशा में काम किया था।

भारत-फ्रांस के मध्य बढ़ता पर्यावरणीय सहयोग:

भारत-फ्रांस, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने हाल के समय में एक संयुक्त वक्तव्य जारी कर इंटरनेशनल सोलर एलायन्स के बैनर तले नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के अपनी साझेदारी को बढ़ाने की बात की है। यहां उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में पेरिस में कोप-21 के आयोजन के दौरान ही भारत और फ्रांस के प्रमुखों ने इंटरनेशनल सोलर एलायन्स को लांच किया था। भारत और फ्रांस ने हाल ही में इस बात के प्रति अपनी साझी वचनबद्धता जाहिर

की है कि वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी साझेदारी को बढ़ाते हुए पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। भारत ने फ्रांस को अपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का भाग बनने के लिए भी आमंत्रित किया है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने में फ्रांस एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दोनों देश आपसी सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर सोलर एनर्जी की एशिया और यूरोप जैसे बाजारों में आपूर्ति का भी लक्ष्य रखते हैं।

फ्रांस के साथ ही जर्मनी ने भी भारत के साथ पर्यावरणीय गठजोड़ बढ़ाया है। हाल ही में जर्मनी ने भारत को उसके 2030 तक के लिए निर्धारित जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए 10 बिलियन यूरो की सहायता राशि देने की वचनबद्धता प्रदर्शित की है। 6वें भारत-जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन्स में जारी एक संयुक्त व्यक्तव्य में जर्मनी ने भारत के साथ अपनी पर्यावरणीय साझेदारी के दृष्टिगत इसकी घोषणा की। भारत को 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता यानी नवीकरणीय ऊर्जा विकास क्षमता हेतु सक्षम बनाने के लिए जर्मनी का यह वित्तीय सहयोग निश्चित रूप से एक महत्त्वपूर्ण सहायक की भूमिका निभाएगा।

भारत-नेपाल के बीच जैवविविधता संरक्षण हेतु समझौता:

भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेपाल सरकार के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच गलियारों और आपस में जुड़े क्षेत्रों को फिर से शुरू करना है। इसके अतिरिक्त ज्ञान एवं सर्वोत्तम अनुभवों को साझा करने सहित वन, वन्यजीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग व समन्वय को बढ़ाना है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2015 में घोषित 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा की 175 गीगावाट क्षमता पाने के लक्ष्य देखते हुए, भारत ने 2021 में 100 गीगावाट की उपलब्धि (बड़ी जल विद्युत परियोजना को छोड़कर) को पार कर लिया है। अब तक भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा की विशाल क्षमता के एक हिस्से का ही दोहन किया है, इसलिए भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य 450 गीगावाट तक स्थापित क्षमता का लक्ष्य बढ़ाया है। इसके लिए ग्लोबल एनवायरमेंटल पार्टनरशिप को बढ़ाना जरूरी है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए भी सरकार को एक ठोस रणनीति बनानी आवश्यक है और केंद्र सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू भी कर दिया है। फिक्की के साथ साझेदारी में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दुबई में आयोजित एक्सपो 2020 में जलवायु और जैव विविधता सप्ताह के दौरान 6 से 8 अक्टूबर, 2021 तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया था। इन कार्यक्रमों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धियों व महत्वाकांक्षाओं, उभरते क्षेत्रों और भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के अवसरों से संबंधित विषय शामिल थे। यहीं से भारत ने वैश्विक हितधारकों को नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित करना शुरू किया है।

1 राज्य पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मलेन

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राज्य पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मलेन हेतु तीन दिवसीय बैठक का आयोजन किया।
- यह सम्मलेन 18 से 20 सितंबर के बीच केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में हुआ।
- इस सम्मलेन में असम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मिजोरम, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों के पर्यटन मंत्रियों ने भाग लिया।
- बैठक में पर्यटन को बढ़ाने और इसमें सुधार करने हेतु राष्ट्रीय पर्यटन नीति के मसौदे पर विशेष चर्चा की गयी।

लक्ष्य निर्धारण:

- एक-दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करने के लिए समय-समय पर इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन करने पर जोर देना।
- सभी होटलों और पर्यटन स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का निर्णय।
- वर्ष 2025 तक भारत को विश्व के टॉप-10 पर्यटक देशों में शामिल करने का लक्ष्य।
- वर्ष 2047 तक इस क्षेत्र द्वारा 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने का लक्ष्य।
- वर्ष 2023 के जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य।
- वीजा सुधार, यात्रा में आसानी, हवाई अड्डों पर यात्री अनुकूल, आप्रवासन सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए खुलेपन आदि में सुधार की आवश्यकता पर बल।
- पर्यटन की वास्तविक क्षमता को प्राप्त करने के लिए युवा पर्यटन क्लब बनाने पर जोर।
- 2024 तक विदेशी मुद्रा आय में 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़ोत्तरी होने और 15 मिलियन विदेशी पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य।
- पर्यटन प्रचार के लिए मंत्रालय द्वारा वेबसाइट बनाने पर जोर।
- पर्यटन मंत्रालय द्वारा आने वाले दिनों में पर्यटन इन्वेस्टर कॉन्क्लेव के आयोजन कराने का निर्णय।
- सभी दूतावासों में पर्यटन अधिकारी तैनात करने का निर्णय।
- वन और वन्यजीव पर्यटन बढ़ाने पर जोर देना।

पर्यटन से सम्बंधित संभावनाएं:

- कोरोना महामारी के बाद भारतीय पर्यटन उद्योग तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- ग्रामीण, धार्मिक, योग और मेडिकल पर्यटन में संभावनाएं तलाशना।
- 2024 तक पर्यटन से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान।
- 2030 तक भारतीय पर्यटन उद्योग से 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान प्राप्त होने की उम्मीद है।
- 2030 तक पर्यटन क्षेत्र में 137 मिलियन नौकरियां बढ़ने की संभावना है।
- 2030 तक विदेशी मुद्रा आय में 56 बिलियन डॉलर प्राप्त होने की उम्मीद है।

- विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को यूएनओ के विश्व पर्यटन संगठन (मुख्यालय- मैड्रिड, स्पेन) द्वारा वर्ष 1980 से मनाया जाता है।
- राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 25 जनवरी को पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष मनाया (थीम-2022 ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन) जाता है।

आगे की राह:

भारतीय पर्यटन उद्योग सर्वाधिक आय सृजित करने वाला उद्योग रहा है और भविष्य में इससे वांछित परिणाम मिलते रहे हैं। इसके लिए टूरिज्म की मार्केटिंग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। भारत में तीन हजार से भी अधिक हेरिटेज डेस्टिनेशन हैं। इनकी जानकारी पर्यटकों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

2 राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बढ़ती दरार

चर्चा में क्यों?

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति, अपराधियों पर पुलिस की निष्क्रियता और पूर्व सांसद को मुख्यमंत्री के कर्मचारियों में शामिल करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाया। इसी तरह का मामला पंजाब में भी देखने को मिला जहां गवर्नर ने स्पेशल सेशन की अनुमति राज्य सरकार को नहीं दी।

अन्य राज्यों में:

राज्यपाल और सीएम के बीच खींचतान कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई राज्य हैं जहां संघर्ष एक चिरस्थायी समस्या बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच नियमित संघर्ष वाले राज्य बनते जा रहे हैं।

राज्यपाल के साथ समस्या:

- राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग होता है।
- पूर्व सांसदों और विधायकों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है जो केंद्रीय सत्ताधारी दल से संबंधित होते हैं।
- **कठपुतली शासक-** कई मामलों में वह अपनी सत्ताधारी पार्टी का समर्थन करते हैं।
- **किसी विशेष राजनीतिक दल का पक्ष लेना-** जब मुख्यमंत्री की नियुक्ति के दौरान त्रिशंकु विधानसभा होती है तब वे केंद्र सरकार के राजनीतिक दल का पक्ष लेते हैं।

राज्यपाल:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-153 के अनुसार, सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा जबकि अनु.-154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा।
- राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है।

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां:

- अनुच्छेद-163 के अनुसार, राज्यपाल को उसके कार्यों को करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा।
- यदि कोई प्रश्न उठता है कि मामला राज्यपाल के विवेकाधिकार में है या नहीं, तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा।

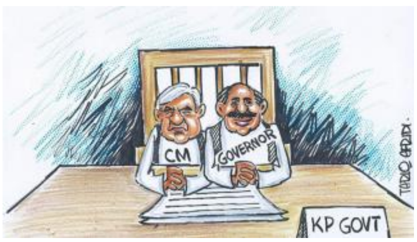

संवैधानिक विवेकाधीन शक्तियां:

- **अनुच्छेद-167:** राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों की जानकारी ले सकता है।
- **अनुच्छेद-200:** राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।
- **अनुच्छेद-356:** राज्यपाल संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है।
- राज्यपाल किसी पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद (अतिरिक्त प्रभार के मामले में) की सहायता एवं सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है।
- **छठी अनुसूची-** राज्यपाल छठी अनुसूची क्षेत्रों (असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम) की सरकारों द्वारा खनिज अन्वेषण लाइसेंस से रॉयल्टी के रूप में एक स्वायत्त आदिवासी जिला परिषद को देय राशि निर्धारित कर सकता है।

स्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियां:

- **त्रिशंकु विधानसभा के दौरान-** यदि किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है।
- **अविश्वास प्रस्ताव-** राज्यपाल मंत्रिपरिषद को तब बर्खास्त कर सकता है जब वह राज्य विधान सभा का विश्वास साबित नहीं कर सकता।
- जब मंत्रिपरिषद अपना बहुमत खो देती है तब राज्यपाल राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है।
- **कार्यवाहक सरकार की नियुक्ति-** राज्यपाल एक अस्थायी अवधि के लिए कार्यवाहक सरकार नियुक्त कर सकता है जब तक कि एक नियमित सरकार निर्वाचित या गठित नहीं हो जाती।

निष्कर्ष:

राज्यपाल कार्यालय के समुचित कार्य के लिए सरकारिया और पुंछी आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। वहीं एसआर बोम्मई के फैसले को भी ध्यान में रखना, संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करेगा।

3 'आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन-हेयर, देयर एंड एवरीव्हेयर'

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनेस्को ने भारत 2022 स्टेट ऑफ द एजुकेशन हेतु 'आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन-हेयर, देयर एंड एवरीव्हेयर' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यूनेस्को की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि संसाधनों का अभाव और बुनियादी ढांचे की कमी, भारत के शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) विस्तार को प्रभावित कर रही है।

रिपोर्ट की खास बातें:

- रिपोर्ट में कहा गया कि सामाजिक असमानता, लैंगिक असमानता, डिजिटल विभाजन और यहां तक कि क्षेत्र आधारित असमानताओं ने एआई शिक्षा में बाधा उत्पन्न की है।
- रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय शिक्षा क्षेत्र में उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात और पेशेवर रूप से योग्य शिक्षकों की कमी को एआई-संचालित उपकरणों द्वारा हल किया जा सकता है।
- भारत में एआई का बाजार 2025 तक 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा, रिपोर्ट में 10 सिफारिशें भी की गई हैं जो एआई शिक्षा को बढ़ावा दे सकती हैं।
- इन सिफारिशों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सभी छात्रों और शिक्षकों के पास नवीनतम तकनीक तक पहुंच हो, एआई साक्षरता प्रयासों का विस्तार हो और एआई उत्पादों को विकसित करने में छात्रों एवं शिक्षाविदों को शामिल करने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल किया जाए।
- भारत के पाठ्यक्रम को 21वीं सदी में संरेखित करने और छात्रों को एआई अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020), शिक्षा के सभी स्तरों पर आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देती है।
- एनईपी शिक्षा में एआई के एकीकरण पर जोर देती है और गुणवत्ता एवं कौशल आधारित शिक्षा को भी बढ़ावा देती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस:

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मशीन आधारित इंटेलिजेंस है जो मानव व्यवहार या सोच का अनुकरण करती है जिसे विशिष्ट समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। बड़ी मात्रा में डाटा का उपयोग करके प्रशिक्षित एआई मॉडल में बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने की क्षमता बढ़ायी जाती है।

शिक्षा में एआई के लाभ:

- **वैयक्तिकरण:** छात्रों के सीखने के अनुभव और ज्ञान के आधार पर उनके लिए व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम बनाना।
- **स्वचालन:** शिक्षकों के लिए अपनी मूल दक्षताओं पर अधिक समय ध्यान केंद्रित करने के लिए, विभिन्न प्रकार की मैन्युअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करना।
- **यूनिवर्सल एक्सेस:** दुनिया भर के उन छात्रों के लिए डिजिटल कक्षाएं प्रदान करना जो विभिन्न भाषाएं बोलते हैं या जो सुनने एवं दृष्टि संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हैं।
- **ट्यूशन:** शिक्षकों को शामिल किए बिना छात्रों को होमवर्क और परीक्षा की तैयारी में सहायता करना।
- **बातचीत:** मौजूदा ज्ञानकोषों का उपयोग करते हुए फैकल्टी को शामिल किए बिना छात्रों को उनके प्रश्नों के त्वरित उत्तर प्रदान करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा सहित उच्च शिक्षा में विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव करती है।

एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताएं:

1. पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से कक्षा-12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
2. 3-6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना।
3. नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना (5+3+3+4)।
4. बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर, कम से कम ग्रेड-5 तक लेकिन अधिमानतः ग्रेड-8 या उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम, मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी।
5. एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, PARAKH की स्थापना (प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण करना)।
6. स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार।
7. उच्च शिक्षा में 2035 तक जीईआर बढ़ाकर 50% करना।
8. बहु प्रवेश/निकास विकल्पों के साथ समग्र और बहुविषयक शिक्षा।
9. एकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना।
10. बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) की स्थापना।
11. राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना।
12. 2030 तक 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना।
13. शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द जीडीपी के 6% तक

पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य मिलकर काम करेंगे।

14. समावेशी शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग हेतु एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) का निर्माण करना।
15. शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का समुचित एकीकरण करना।

निष्कर्षः

भारत में 5-24 आयु वर्ग में 580 मिलियन लोगों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करती है। शिक्षा में एआई का लाभ संभावित रूप से हमारे शिक्षा उद्योग को बढ़ावा दे सकता है।

4 अपराधियों की पहचान के लिए नियम

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने आपराधिक मामलों में पहचान और जांच के उद्देश्य से, दोषियों एवं अन्य व्यक्तियों के माप लेने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने और रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। यह नियम आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 के तहत अधिसूचित किया गया है।
- आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 एक औपनिवेशिक युग के कानून, कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 का स्थान लेता है तथा पुलिस अधिकारियों को आपराधिक मामलों में दोषी, गिरफ्तार या मुकदमे का सामना करने वाले लोगों का माप लेने के लिए अधिकृत करता है।

कानून के बारे में:

- अधिनियम नई माप तकनीकों के उपयोग को सक्षम बनाता है जो अब तक केवल मजिस्ट्रेट के आदेश पर सजा पाए कैदियों या गैर-दोषी व्यक्तियों की उंगलियों के निशान, पैरों के निशान और तस्वीरों को लेने तक सीमित था।
- अधिनियम मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति की जाँच करने का अधिकार देता है जो अब तक सिर्फ दोषियों और जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के लिए ही था।

माप में शामिल हैं:

- उंगलियों के निशान।
- हथेली की छाप और पदचिह्न।
- फोटो।
- आइरिस और रेटिना स्कैन।
- डीएनए प्रोफाइलिंग।
- हस्ताक्षर, हस्तलेखन सहित व्यवहार संबंधी विशेषताएं।
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-53 या धारा-53ए में संदर्भित कोई अन्य परीक्षण।

डाटा संग्रह:

- गृह मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) गिरफ्तार व्यक्तियों के डाटा को संग्रहीत और संरक्षित करने वाली एजेंसी होगी।
- **राज्य सरकार डाटा स्टोर कर सकती है:** राज्य सरकार, एनसीआरबी के साथ माप या माप के रिकॉर्ड को साझा करने के लिए एक संगत एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्रदान करेगी।

एक संदिग्ध के बरी होने की स्थिति में रिकॉर्ड को नष्ट करने का प्रावधान (अभी तक एनसीआरबी द्वारा निर्दिष्ट किया जाना है):

- **नोडल अधिकारी:** अभिलेखों को नष्ट करने का कोई भी अनुरोध संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले नोडल अधिकारी को किया जाएगा।
- **नष्ट करने के लिए सिफारिश:** नोडल अधिकारी यह सत्यापित करने के बाद नष्ट करने की सिफारिश करेगा कि माप का ऐसा रिकॉर्ड किसी अन्य आपराधिक मामले से जुड़ा नहीं है।

अधिनियम का महत्त्व:

- अधिनियम आधुनिक तकनीकों के उपयोग का प्रावधान करता है।
- यह आपराधिक के शरीर की उचित माप लेने के लिए कानूनी स्वीकृति प्रदान करता है। अपराध जांच अधिक कुशल और तेज होगी जिससे दोषसिद्धि दर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

अधिनियम के बारे में चिंताएं:

- गोपनीयता की समस्या आ सकती है क्योंकि सरकार द्वारा लोगों का डाटा संग्रह किया जायेगा।
- यह राजनीतिक कैदियों के नमूनों की रिकॉर्डिंग की भी अनुमति देता है।
- यह नियम दोषी व्यक्तियों के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं करता है।
- यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद-20 का भी उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।

क्या कैदियों की पहचान अधिनियम, 1920 को बदलने की जरूरत थी?

- वर्षों से कैदियों की पहचान

अधिनियम, 1920 में संशोधन/अद्यतन करने की आवश्यकता पर आवाज उठती रही है।

- 1980 में, भारत के विधि आयोग की 87वीं रिपोर्ट ने कानून की समीक्षा की और कई संशोधनों की सिफारिश की।
- यूपी राज्य बनाम राम बाबू मिश्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में संशोधन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था।

निष्कर्षः

निजता और डाटा की सुरक्षा को लेकर चिंताएं निस्संदेह महत्त्वपूर्ण हैं। इसे एक मजबूत डाटा संरक्षण कानून के बाद ही पेश किया जाना चाहिए, जिसमें उल्लंघनों के लिए कड़ी सजा हो। बेहतर जांच और डाटा संरक्षण कानून के अलावा कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए भी उपाय किए जाने की जरूरत है।

5 एनसीसी की पहल 'पुनीत सागर' को मिली नई उंचाई

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने 22 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य पुनीत सागर अभियान और 'टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम' के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटना व स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करना है।

पुनीत सागर अभियानः

- एनसीसी ने 01 दिसंबर, 2021 को स्वच्छता के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए, प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के समुद्र तटों को साफ करने के लिए, एक राष्ट्रव्यापी पुनीत सागर अभियान शुरू किया था, जो शुरू में एक महीने के लिए था। बाद में इसे नदियों और अन्य जल निकायों को भी कवर करने के लिए साल भर (Round the Year) के लिए विस्तारित किया गया था।

पुनीत सागर अभियान-ए टाइड टर्नरः

- एनसीसी अभियान के बढ़ते समर्थन और सफलता के बाद, अपने टाइड टर्नर चैलेंज प्रोग्राम के माध्यम से इस पहल में लगे युवा संगठन की ताकत का उपयोग करने के उद्देश्य से एनसीसी के साथ यूएनईपी ने हाथ मिलाने का फैसला किया। प्लास्टिक प्रदूषण सहित पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र निकाय के पास इस अभियान में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल करने का कार्यक्रम है। एनसीसी और यूएनईपी के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्वच्छ जल निकायों को बढ़ावा देने में युवाओं को शामिल करने की दिशा में बेहतर तालमेल करना है। तीन साल की अवधि के लिए लागू होने वाले इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पर्यावरण के क्षेत्र में सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनके सहयोग और प्रभावशीलता को मजबूत करके विकसित और विस्तारित करना है।

एनसीसी की भूमिकाः

- विश्व के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन एनसीसी ने अपने कैडेटों को प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थ एकत्र करने के लिए प्रेरित किया है। इस अभियान ने अपनी शुरूआत के बाद से जबरदस्त गति और भागीदारी हासिल की है।

अभियान की उपलब्धिः

- 'पुनीत सागर अभियान' के शुभारंभ के बाद से, 12 लाख से अधिक एनसीसी कैडेटों, पूर्व छात्रों और स्वयंसेवकों ने लगभग 1,900 स्थानों से 100 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र किया है, जिससे 1.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। इस अभियान के माध्यम से एकत्र किए गए लगभग 100 टन प्लास्टिक कचरे में से 60 टन से अधिक को रीसाइक्लिंग के लिए सौंप दिया गया है।

निष्कर्षः

- 'पुनीत सागर अभियान' स्वच्छ भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए सरकार द्वारा की गई एक पहल है। इस तरह के अभियान वास्तव में पंचामृत लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं जिसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने 26 वें ग्लासगो शिखर सम्मेलन में की थी। जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की अभूतपूर्व प्रतिक्रिया के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा पांच मुख्य घटकों का प्रस्ताव किया गया था, जो इस प्रकार हैं:

1. भारत 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 GW तक ले जाएगा।
2. भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करेगा।
3. भारत अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक अरब टन की कमी करेगा।
4. 2030 तक, भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से अधिक कम कर देगा।
5. 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

6 मूनलाइटिंग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, विप्रो ने अपने 300 कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया क्योंकि वे एक ही समय में एक अन्य संस्था के साथ काम कर रहे थे। विप्रो के चेयरमैन ऋषद प्रेमजी ने कहा कि वह मूनलाइटिंग के बारे में अपनी हालिया टिप्पणियों पर कायम हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूनलाइटिंग कंपनी के प्रति अखंडता का पूर्ण उल्लंघन है।

मूनलाइटिंग के बारे में:

- मूनलाइटिंग का अर्थ है अपनी वर्तमान नौकरी के अलावा दूसरी नौकरी या कई अन्य कार्य करना। इसमें आमतौर पर नियोक्ता को कर्मचारी के दूसरे काम या नौकरी की जानकारी नहीं होती है। सिर्फ आईटी सेक्टर में ही नहीं, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी लोग नौकरी के अलावा अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दूसरे काम भी करते हैं।
- इसे मूनलाइटिंग भी कहा जाता है क्योंकि आमतौर पर लोग दिन में आठ से नौ घंटे काम करते हैं और रात में दूसरा काम करते हैं। हालांकि, अन्य कामों के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। रात की पाली वाले लोग दोपहर में दूसरे काम भी करते हैं।
- मूनलाइटिंग में लोग अपने मूल काम से मिलते-जुलते प्रोजेक्ट बाहर से लेते हैं। कोई रात में डिलीवरी का काम करता है तो कोई ट्रांसलेशन, डबिंग, राइटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, मार्केटिंग और कंसल्टेंट के तौर पर भी काम करता है।

मूनलाइटिंग के फायदे:

- **वित्तीय स्थिरता:** कुछ लोग जीवन में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए दो काम करते हैं।
- **नया कौशल:** दूसरी नौकरी नए कौशल हासिल करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा यह कौशल और अनुभव आपके रेज्यूम में सुधार कर सकता है।
- **नए अवसर:** दूसरी नौकरी करने का मतलब है कि व्यक्ति अधिक लोगों के सम्पर्क में आयेगा। नए कौशल सीखेगा और नई चुनौतियों का सामना करेगा। इससे लोगों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं।

मूनलाइटिंग के नुकसान:

- **तनाव में वृद्धि:** दो काम करने से तनाव बढ़ेगा और तनाव कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देगा।
- **व्यक्तिगत रूचि में कमी:** एक अन्य प्रतियोगी फर्म के लिए काम करना, व्यक्ति को अपनी वर्तमान नौकरी में व्यवधान कर सकता है।
- **प्रदर्शन के साथ समस्याएं:** अतिरिक्त घंटे, कम नींद और कम एकाग्रता के कारण, वर्तमान नौकरी में प्रदर्शन गिर सकता है और करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत में मूनलाइटिंग से संबंधित नियम और कानून:

- भारत में इसको लेकर कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन कंपनियां इससे जुड़े नियम व शर्तें अनुबंध में रखती हैं।
- कई कंपनियां अनुबंध में मूनलाइटिंग की अनुमति नहीं देती हैं, जबकि कुछ कंपनियां शर्तों के साथ इसकी अनुमति देती हैं। इसके तहत कंपनी के काम के घंटों में अन्य काम के लिए मनाही और गोपनीयता जैसी शर्तें रखी जाती हैं।
- यदि किसी के अनुबंध में यह खंड है कि वे कहीं और काम नहीं कर सकते हैं, तो 'मूनलाइटिंग' को धोखाधड़ी माना जा सकता है। आजकल ज्यादातर जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स की यही स्थिति होती है।

निष्कर्ष:

- हाल ही में स्विगी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को मूनलाइटिंग करने की अनुमति दी है बशर्ते कि काम का समय एक न हो। कंपनी का कहना है कि आने वाला भविष्य मूनलाइटिंग का है जिसमें कर्मचारी अपनी आय के स्रोत को और बढ़ा सकते हैं। साथ ही अलग-अलग कंपनियों को समान अनुभव और कौशल का लाभ मिल सकेगा। इस प्रकार मूनलाइटिंग एक विकल्प होना चाहिए जब तक कि यह कर्मचारियों के प्राथमिक कार्य कर्त्तव्य की दक्षता और अखंडता को प्रभावित न करे। स्विगी व विप्रो के अपने-अपने विचार मूनलाइटिंग को एक जटिल एथिकल प्रश्न के रूप में संदर्भित करते हैं।

7 सांकेतिक भाषा का शब्दकोश

चर्चा में क्यों?

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने दस हजार शब्दों और भावों का एक शब्दकोष तैयार किया है।

सांकेतिक भाषा:

- बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो या तो सुनने में असमर्थ होते हैं, या फिर वाणी के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, लेकिन भारत में वर्षों से एक बड़ी समस्या यह थी कि इसके कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे अर्थात सांकेतिक भाषा के लिए कोई मानक नहीं थे। इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए वर्ष 2015 में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र ने सांकेतिक भाषा का शब्दकोश तैयार किया गया है। अब शब्दकोष के मदद से दिव्यांग लोग अपनी अभिव्यक्ति कर सकेंगे।
- 23 सितंबर को सांकेतिक भाषा दिवस पर कई स्कूली पाठ्यक्रम भी सांकेतिक भाषा में शुरू किए गए हैं।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सांकेतिक भाषा के लिए एक निश्चित मानक बनाए रखने पर बहुत जोर दिया गया है।
- असमिया शब्दकोश 'हेमकोश' का ब्रेल संस्करण।
- हेमकोश असमिया भाषा के सबसे पुराने शब्दकोशों में से एक है। इसे 19वीं सदी में तैयार किया गया था। इसका संपादन प्रख्यात भाषाविद् हेमचंद्र बरुआ ने किया था। हेमकोश का ब्रेल संस्करण लगभग 10,000 पृष्ठों का है और 15 से अधिक खंडों में प्रकाशित होने जा रहा है।

निष्कर्ष:

- सांकेतिक भाषा का शब्दकोश जैसा कोई भी प्रयास दिव्यांग लोगों के कौशल और क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। आज भारत पैरा स्पोर्ट्स में भी सफलता का झंडा बुलंद कर रहा है। हाल ही के कई टूर्नामेंट इसके साक्षी रहे हैं। आज बहुत से लोग हैं जो जमीनी स्तर पर विकलांगों के बीच फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। यह विशेष रूप से विकलांगों के आत्मविश्वास को ताकत प्रदान करता है।

1 हर चार सेकेंड में एक व्यक्ति की मौत भूख से हो रही है: एनजीओ

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान एकत्रित हुए वैश्विक नीति निर्माताओं को सचेत करने के लिए, 200 से अधिक गैर-सरकारी संगठनों(जो 75 देशों से जुड़े हैं) ने एक खुले पत्र में कहा कि हर चार सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु भूख से हो रही है। इन संगठनों में ऑक्सफैम, सेव द चिल्ड्रन एंड प्लान इंटरनेशनल शामिल हैं।

गैर-सरकारी संगठनों की चिंता:

- 345 मिलियन लोग अब तीव्र (ACUTE) भूख का अनुभव कर रहे हैं, यह संख्या 2019 के बाद से दोगुना बढ़ी है।
- वैश्विक नेताओं ने वायदा किया था कि 21वीं सदी में फिर कभी अकाल नहीं पड़ेगा, इसके बाद भी सोमालिया और अफगानिस्तान जैसे देश अकाल का सामना कर रहे है।
- दुनिया भर के 45 देशों में 50 मिलियन लोग भुखमरी के कगार पर हैं।
- गैर-सरकारी संगठनों ने बताया कि अनुमानित रूप से 19,700 लोग प्रतिदिन भूखे मर रहे हैं।
- यह एक देश या एक महाद्वीप के बारे में नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के साथ अन्याय है।

भूख क्या है?

- भूख को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति के पास पर्याप्त समय तक बुनियादी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए शारीरिक या वित्तीय क्षमता नहीं होती है।
- एफएओ के अनुसार, आहार ऊर्जा की अपर्याप्त खपत के कारण भूख एक असहज या दर्दनाक शारीरिक अनुभूति है। यह तब और गंभीर हो जाती है जब व्यक्ति सामान्य, सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में कैलोरी (आहार ऊर्जा) का सेवन नहीं करता है। दशकों से, एफएओ ने दुनिया में भूख की सीमा का अनुमान लगाने के लिए अल्पपोषण संकेतक की व्यापकता का उपयोग किया है। इस प्रकार 'भूख' को अल्पपोषण के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है।

खाद्य असुरक्षा क्या है?

- एक व्यक्ति, खाद्य असुरक्षित तब महसूस करता है जब उसे सामान्य वृद्धि, विकास, सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन तक नियमित पहुंच की कमी होती है। यह भोजन की अनुपलब्धता या भोजन प्राप्त करने के लिए संसाधनों की कमी के कारण हो सकता है। खाद्य असुरक्षा को इसकी गंभीरता के विभिन्न स्तरों पर अनुभव किया जा सकता है।

भूख और खाद्य असुरक्षा के बीच संबंध:

- जब कोई गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित होता है, तो उनके पास भोजन समाप्त हो जाता है। इसमें एक या एक से अधिक दिन बिना खाए रहना पड़ता है।

भूख के कारण:

- **गरीबी-** जब लोग गरीबी की स्थिति में होते हैं, तो उनके पास भोजन, पानी और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी होती है।
- **संघर्ष-** संघर्ष लोगों को उनके घरों से निकलने के लिए मजबूर कर देता है। इस प्रकार भोजन और खाद्य उत्पादन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है।
- **लैंगिक असमानता-** विकासशील देशों में अधिकांश भोजन का उत्पादन महिलाएं करती हैं। बच्चे की देखभाल में भी महिलाएं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार महिलाओं के प्रति कोई भी असमानता कुपोषण को बढ़ाती है।
- **मौसम में परिवर्तन-** ग्रामीण लोग ज्यादातर खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि और पशुधन पर निर्भर हैं। इस प्रकार मौसम में कोई भी बदलाव ग्रामीण लोगों की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करेगा।
- **प्राकृतिक आपदाएँ:** प्राकृतिक आपदाएँ भूमि, घरों और नौकरियों को नष्ट कर सकती हैं, जिससे खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है।
- **सुरक्षित पानी तक पहुंच का अभाव-** असुरक्षित या दुर्लभ पानी विभिन्न रोगों को जन्म देता है जिससे आय के साधन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

निष्कर्ष:

आज के तकनीकी युग में, जब मंगल, चंद्रमा और सूर्य तक पहुंचने के लिए राष्ट्रों के बीच होड़ मची हुई है, ऐसे में यह चिंता का विषय है कि पृथ्वी पर इतने सारे लोग भूख से मर जाते हैं, जबकि बड़ी मात्रा में खाद्यान्न बेकार हो जाता है। विश्व समुदाय को इसके समाधान हेतु विचार करना होगा। भारत में भोजन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। भारत में भुखमरी की समस्या को कम करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना और पीडीएस जैसी योजनाएं चल रही हैं।

2 खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि

चर्चा में क्यों?

खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) के शासी निकाय के 9वें सत्र का उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में किया था। खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि (ITPGRFA) के अनुच्छेद-19 के अनुसार शासी निकाय का आयोजन किया गया था।

विषय:

- सत्र का विषय 'सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्रॉप डायवर्सिटी: टूवर्ड्स एन इनक्लूसिव पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है। इस विषय का उद्देश्य पीजीआरएफए के प्रभावी प्रबंधन में दुनिया के छोटे किसानों के योगदान को स्वीकार करना है और यह विचार करने का अवसर प्रदान करता है कि यह संधि नए वैश्विक जैव विविध ता ढांचे में कैसे योगदान देगा?

आईटीपीजीआरएफए के बारे में:

- ITPGRFA नवंबर, 2001 में रोम में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के 31वें सत्र के दौरान हस्ताक्षरित एक कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यापक समझौता है, जो 29 जून 2004 को प्रभावी हुआ। वर्तमान में भारत सहित इसके 149 अनुबंधित पक्ष हैं। यह संधि, जैविक विविधता पर कन्वेंशन के अनुरूप, विश्व के खाद्य एवं कृषि पादप आनुवंशिक संसाधनों (पीजीआरएफए) के संरक्षण, विनिमय और सतत उपयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयास करती है। उनके उपयोग से होने वाले लाभों के समान बंटवारे के साथ ही किसान के अधिकारों की मान्यता में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पीजीआरएफए खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ जलवायु अनुकूल कृषि प्राप्त करने के लिए व्यापक समाधान प्रदान करता है।

जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी):

जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी), एक बहुपक्षीय संधि है। जिसके तीन मुख्य लक्ष्य हैं:

- जैविक विविधता का संरक्षण।
- इसके घटकों का सतत उपयोग।
- आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा।

इसका उद्देश्य जैविक विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना है जिसे अक्सर सतत विकास के संबंध में महत्त्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। इसके दो पूरक समझौते हैं:

- कार्टाजेना प्रोटोकॉल।
- नागोया प्रोटोकॉल।

पादप आनुवंशिक संसाधन और किसान

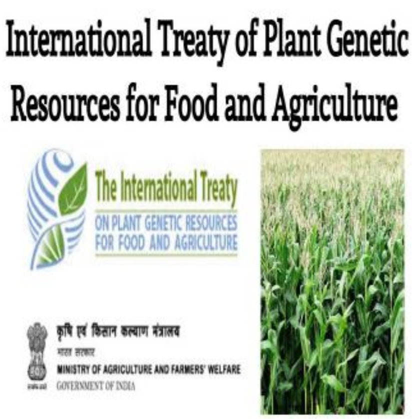

अधिकार के संरक्षण के लिए भारत का पीपीवी और एफआर अधिनियम, 2001:

- इसे 2001 में भारतीय संसद द्वारा सुई जेनेरिस प्रणाली (Sui Generis System) को अपनाने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- यह कानून पादप प्रजनन गतिविधि में वाणिज्यिक पादप प्रजनकों और किसानों दोनों के योगदान को मान्यता देता है एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं को इस तरह से लागू करने का भी प्रावधान करता है जो निजी, सार्वजनिक क्षेत्रों और अनुसंधान संस्थान आदि का समर्थन करते हैं।
- खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद-9 में किसान के अधिकारों को मान्यता दी गई है।

निष्कर्ष:

ऐतिहासिक रूप से पहली बार, भारतीय बीज उद्योग महासंघ (एफएसआईआई) ने बैठक के दौरान भारतीय बीज क्षेत्र की ओर से पहले सामूहिक योगदान के तौर पर लाभ-साझाकरण कोष (बीएसएफ) में 20 लाख रुपये या 25,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। बीएसएफ दरअसल इस संधि का वित्तपोषण तंत्र है जिसका उपयोग इस संधि के अनुबंधकारी पक्षों के बीच क्षमता निर्माण, संरक्षण और टिकाऊ उपयोग वाली परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए किया जाता है। साथ ही अनुच्छेद-9 के तहत किसान अधिकारों के क्रियान्वयन के एक प्रस्ताव पर अंततः संतुलन और न्याय सुनिश्चित करने पर सहमति बनी जिससे इस संधि को मजबूती मिलने की संभावना है।

3 दुनिया भर में 50 मिलियन लोग आज भी आधुनिक दासता में जीने को मजबूर

चर्चा में क्यों?

- द ग्लोबल एस्टीमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO), इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप वॉक फ्री फाउंडेशन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता में जी रहे थे। इनमें से 28 मिलियन बंधुआ मजदूरी में थे और 22 मिलियन जबरन शादी के शिकार थे।
- संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक सभी प्रकार की आधुनिक दासता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पिछले पांच वर्षों में आधुनिक दासता में काफी वृद्धि हुई है। 2016 के वैश्विक अनुमानों की तुलना में 2021 में आधुनिक दासता में 10 मिलियन लोगों की संख्या बढ़ी है।

आधुनिक दासता:

- यद्यपि आधुनिक दासता को कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसका उपयोग व्यापक रूप में किया जाता है जिसमें जबरन श्रम, ऋण बंधन, जबरन शादी और मानव तस्करी जैसी प्रथाओं को शामिल किया जाता है। अनिवार्य रूप से यह शोषण की स्थितियों को संदर्भित करता है जिसे कोई व्यक्ति धमकियों, हिंसा, जबरदस्ती, धोखे या शक्ति के दुरुपयोग के कारण छोड़ नहीं सकता है।

इसके दो मुख्य घटक हैं:

- बंधुआ मजदूरी।
- जबरन शादी।

बंधुआ मजदूरी:

- बंधुआ मजदूरी (86 फीसदी) के ज्यादातर मामले निजी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सभी बंधुआ श्रम का 23 प्रतिशत वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए जिम्मेदार है, जबकि अन्य क्षेत्रों में बंधुआ श्रम सभी बंधुआ श्रम का 63 प्रतिशत है। व्यावसायिक यौन शोषण में पांच में से लगभग चार महिलाएं या लड़कियां हैं।
- कुल बंधुआ मजदूरों में 14 फीसदी बंधुआ मजदूर राज्य के लिए काम करते हैं।
- बंधुआ मजदूरी करने वालों में से आठ में से लगभग एक बच्चा (3.3 मिलियन) शामिल है। इनमें से आधे से अधिक व्यावसायिक यौन शोषण में हैं।

जबरन शादी:

- अनुमानित 22 मिलियन लोग 2021 में जबरन शादी में जी रहे थे। यह 2016 के वैश्विक अनुमानों के बाद से 6.6 मिलियन की वृद्धि हुई है।
- बाल विवाह को जबरन शादी माना जाता है क्योंकि एक बच्चा कानूनी रूप से विवाह के लिए सहमति नहीं दे सकता है।
- जबरन शादी लंबे समय से स्थापित पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और प्रथाओं से निकटता से जुड़ा हुआ है। जबरन शादी (85 प्रतिशत से अधिक) का अत्यधिक मामला पारिवारिक दबाव से प्रेरित होता है। यद्यपि दो-तिहाई (65 प्रतिशत) जबरन शादी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में होती हैं, वहीं जब क्षेत्रीय जनसंख्या के आकार पर विचार किया जाता है तब अरब राज्यों में इसका प्रसार सबसे अधिक मिलता है। इस क्षेत्र में प्रत्येक 1,000 लोगों में से 4.8 लोग इसके शिकार हैं।
- COVID-19 महामारी, सशस्त्र संघर्ष और जलवायु परिवर्तन ने हाल के वर्षों में रोजगार एवं शिक्षा में अभूतपूर्व व्यवधान डाला है जिससे अत्यधिक गरीबी और असुरक्षित प्रवास में वृद्धि हुई है एवं लिंग आधारित हिंसा बढ़ी है।

आधुनिक दासता से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं:

- गरीब और सामाजिक रूप से बहिष्कृत।
- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले।
- अनियमित या कमजोर प्रवासी श्रमिक।
- भेदभाव के शिकार लोग।

आधुनिक गुलामी का अंत:

रिपोर्ट में कई अनुशंसित कार्यवाहियों का प्रस्ताव है, जो यदि एक साथ लिए जाये तो आधुनिक दासता को समाप्त करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। जैसे-

1. कानूनों और श्रम निरीक्षणों में सुधार करके उन्हें लागू करना।
2. राज्य द्वारा लगाए गए जबरन श्रम को समाप्त करना। व्यापार और आपूर्ति शृंखलाओं में बंधुआ श्रम एवं तस्करी से निपटने के लिए मजबूत उपाय करना।
3. सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना, कानूनी सुरक्षा को मजबूत करना, जिसमें बिना किसी अपवाद के शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष करना।
4. प्रवासी कामगारों के लिए तस्करी और बंधुआ श्रम के बढ़ते जोखिम को संबोधित करना।
5. निष्पक्ष और नैतिक भर्ती को बढ़ावा देना।
6. महिलाओं, लड़कियों और कमजोर व्यक्तियों के लिए अधिक सहायता देना।

निष्कर्ष:

यदि आबादी का इतना बड़ा हिस्सा आधुनिक गुलामी जैसी परिस्थितियों में रहेगा, तो दुनिया अपने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए, यह सही समय है कि दुनिया को बंधुआ मजदूरी, जबरन शादी और मानव तस्करी के खिलाफ उचित कार्यवाही करनी चाहिए ताकि इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाया जा सके।

4 रूस के प्रति भारत के रुख में बदलाव

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर मतदान के दौरान भारत ने रूस के खिलाफ मतदान किया। यह दूसरा मामला है जब भारत ने रूस के खिलाफ मतदान किया है। इससे पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रक्रियात्मक वोट के दौरान रूस के खिलाफ मतदान किया था।
- राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए संवाद और कूटनीति के रास्ते पर नई दिल्ली का जोर कुछ ऐसा है जिस पर दुनिया ने ध्यान दिया है। भारत ने अपने स्वतंत्र रुख के साथ कई अन्य देशों की भावनाओं को व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री का संदेश कि 'यह युद्ध का युग नहीं हो सकता' से भारत ने मास्को को एक स्पष्ट संदेश भेजा कि यूक्रेन में इस संघर्ष को समाप्त करना और बातचीत की मेज पर वापस आना समय की मांग है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने क्या कहा?

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, मैं आज परिषद के सामने इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि संघर्ष की स्थिति में भी मानवाधिकारों या अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। जहां ऐसी कोई घटना होती है, यह आवश्यक है कि उन पर कार्यवाही की जाए। निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से जांच की जाये। बुचा में हत्याओं के संबंध में हमने यही स्थिति देखी है।
- यह समय की मांग है कि यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त किया जाए और वार्ता से समस्या को दूर किया जाए। जिस वैश्विक व्यवस्था की हम सभी सदस्यता लेते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है। इन सिद्धांतों को भी बिना किसी अपवाद के बरकरार रखा जाना चाहिए।

भारत-रूस संबंध तीन कारणों से परिवर्तित हो रहे हैं:

- रूस का चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास।
- भारत की विदेश नीति के एजेंडे के लिए रूस का घटता महत्त्व।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते सुरक्षा संबंध।

भारत-रूस संबंधों का दूसरा आयाम:

- रूस भारत को हथियारों का निर्यात करने वाला एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है और रूसी उपकरण अभी भी भारतीय सशस्त्र बलों का एक बड़ा हिस्सा हैं, लेकिन रूस को भारतीय हथियार बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अपने हथियारों की आपूर्ति में विविधता लाने और अपने स्वयं के रक्षा उद्योग को विकसित करने की भारत की इच्छा के परिणामस्वरूप, हाल के वर्षों में भारत को रूसी हथियारों की आपूर्ति में कमी आई है।
- रूस ने हाल ही में कच्चे तेल का निर्यात भारत में बढ़ाया है। भारत रूस पर पश्चिम के प्रतिबंधों में शामिल नहीं है, ऐसा करके उसने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का प्रदर्शन किया है। भारत रूस के हथियारों हेतु और कच्चे तेल का एक महत्त्वपूर्ण बाजार बनता जा रहा है। भारत-अमेरिका सुरक्षा संबंध अपेक्षाकृत नए हैं, जबकि भारत-रूस संबंध दो पीढ़ियों से अधिक समय के हैं। भारत के पास इस संबंध के लाभों को छोड़ने का कोई कारण नहीं बनता है।

निष्कर्ष:

- चूंकि रूस भारत का सबसे पुराना भरोसेमंद दोस्त है, इसलिए रूस के खिलाफ भारत के किसी भी कदम को बहुत सावधानी से लेना होगा। हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है।

1 ग्रीन फिन्स हब

चर्चा में क्यों?

हाल ही के दिनों में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने यूके स्थित चैरिटी रीफ-वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर स्थायी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब लांच किया।

ग्रीन फिन्स हब के बारे में:

यह डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों की दैनिक गतिविधियों के लिये एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह अब तक का पहला वैश्विक समुद्री पर्यटन उद्योग मंच है। इसका प्रमुख उद्देश्य भविष्य में स्थायी समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना है।

महत्त्व:

- ग्रीन फिन्स हब दुनिया भर में डाइविंग और स्नॉर्कलिंग ऑपरेटरों पर परीक्षण किए गए समाधानों का उपयोग करके अपनी दैनिक प्रथाओं में सरल तथा लागत प्रभावी परिवर्तन करने में मदद करेगा।
- ग्रीन फिन्स हब से वर्तमान में 14 देशों के लगभग 700 ऑपरेटर जुड़े हैं जिनकी भविष्य में 30,000 तक होने की संभावना है।
- यह मंच उन्हें अपने वार्षिक सुधारों पर नजर रखने और अपने समुदायों एवं ग्राहकों के साथ संवाद करने में भी मदद करेगा।
- यह ग्रीन फिन्स प्रमाणित सदस्यों का न केवल वार्षिक मूल्यांकन करेगा बल्कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें प्रशिक्षित भी करेगा।
- ग्रीन फिन्स सॉल्यूशंस लाइब्रेरी आम दैनिक परिचालन चुनौतियों के लिए 100 से अधिक पर्यावरणीय समाधानों तक पहुंच प्रदान करेगी।
- ग्रीन फिन्स कम्युनिटी फोरम दुनिया भर के ऑपरेटरों के लिए उद्योग की जरूरतों को बढ़ाने, पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा करने और समान विचारधारा वाले उद्योग के नेताओं, गैर-लाभकारी संस्थाओं और सरकारों के साथ अनुभव व विचारों को साझा करने के लिए होगा।
- यह कार्य योजना ट्रैकर सदस्यों को निर्धारित लक्ष्यों के साथ एक वार्षिक स्थिरता प्राप्त करने में सक्षम करेगा। एक उन्नत यूजर इंटरफेस उन्हें समय के साथ अपनी प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देगा।
- कोरल रीफ कुछ द्वीप देशों के सकल घरेलू उत्पाद में 40 प्रतिशत या उससे अधिक का योगदान करते हैं। कोरल रीफ जलवायु परिवर्तन के वैश्विक ताप की दृष्टि से सबसे कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। 1.5 से 2 डिग्री तापमान वृद्धि से कोरल रीफ प्रभावित होने लगते हैं।
- ग्रीन फिन्स हब के माध्यम से सर्वोत्तम अभ्यास, ज्ञान और नागरिक विज्ञान की बढ़ती पहुंच, कोरल रीफ और अन्य नाजुक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के भविष्य को सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है।

ग्रीन फिन्स क्या है?

- ग्रीन फिन्स 'द रीफ-वर्ल्ड फाउंडेशन और यूएनईपी' का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री पर्यटन को संरक्षित एवं प्रबंधित करने वाला संयुक्त दृष्टिकोण है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य न केवल स्थायी डाइविंग और स्नॉर्कलिंग को बढ़ावा देना है, बल्कि नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों से भित्तियों प्रवाल की सुरक्षा करना है।
- यह समुद्री पर्यटन के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय मानक तय करता है।

समुद्री पर्यटन से जुड़ी चुनौतियां:

- कोविड-19 महामारी ने समुद्री पर्यटन को बाधित किया है।
- समुद्री जलस्तर और उसके तापमान में वृद्धि ने समुद्री जन-जीवन को प्रभावित किया है।
- विनाशकारी सुनामी और चक्रवातों के बार-बार आने से प्रभावित होना इत्यादि।

2 शैलो वाटर माइनिंग: जैव विविधता के लिए खतरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण शोधकर्ताओं ने शैलो वाटर माइनिंग को समुद्री जैव विविधता तथा उसके सतत विकास के लिए एक गंभीर खतरा बताया है।

शैलो वाटर माइनिंग:

- यह उथले पानी में 200 मीटर की गहराई तक मूल्यवान धातुओं के खनन की एक प्रकिया है। इस खनन प्रक्रिया को अभी तक समुद्री जैव विविधता तथा उसके सतत विकास के लिए स्थलीय खनन और गहरे समुद्री खनन की तुलना में बहुत कम जोखिम वाला एवं कम लागत वाला माना जाता रहा है।
- इसी कारण से नामीबिया और इंडोनेशिया द्वारा अपने समुद्री तटों के उथले पानी से सोना, चांदी, कोबाल्ट, तांबे और

प्लैटिनम जैसी अन्य मूल्यवान धातुओं का खनन किया जाता है।

- मेक्सिको, न्यूजीलैंड और स्वीडन आदि देशों ने उथले पानी में खनन हेतु कई योजनाओं को चला रखा है। मेक्सिको 50-100 मीटर की गहराई में समुद्री फॉस्फोराइट्स, उर्वरक और औद्योगिक रसायनों में उपयोग किए जाने वाले फॉस्फेट युक्त नोड्यूल्स के खनन पर विचार कर रहा है। स्वीडन भी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, निकेल, कोबाल्ट, तांबा, टाइटेनियम और दुर्लभ मृदा तत्वों एवं खनिजों की बोथियन सागर के उथले पानी (60-150 मीटर) में खोज कर रहा है।

समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव:

समुद्री शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि उथले समुद्री पानी के खनन से समुद्री जीवन पर निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं:-

- समुद्र का सतत विकास अवरुद्ध हो सकता है।
- समुद्री जीवों को शरण देने वाले आवास नष्ट हो जायेंगे।
- पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
- हानिकारक रसायनों के समुद्री जल में मिलने से पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाएगा।
- महत्त्वपूर्ण प्रजातियों के विलोपन का खतरा बढ़ सकता है।

सुझाव:

- उथले-जल में खनन गतिविधियों की पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पूरी तरह से जांच के बाद ही धातुओं के खनन की अनुमति दी जानी चाहिए।
- उथले समुद्री क्षेत्रों में खनन के लिये आवश्यक सिद्धांत एवं कानूनों को लागू किया जाना चाहिये।
- शोधकर्ताओं का मानना है कि खनन अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिये जब तक कि गहरे समुद्र में जैवविविधता, पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित जोखिमों का पूरी तरह से आकलन नहीं हो जाता है।

आगे की राह:

- मानवीय खनन गतिविधियां प्रदूषण, भूमि उपयोग और तटीय इलाकों में विकास आदि का समुद्री वातावरण, तटीय वनस्पतियों, जीवों के विकास और जीवों के प्रजनन की दर पर बड़ा दवाब पड़ने से समग्र जैव विविधता कम हो जाती है। इसलिए समुद्री पर्यावरण सरंक्षण के लिए डीप वाटर माइनिंग और शैलो वाटर माइनिंग दोनों को रोकना अति आवश्यक है।

3 हरिकेन फियोना

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में 'हरिकेन फियोना' ने अमेरिका के प्यूर्टो रिको तथा अन्य क्षेत्रों में भयंकर तबाही मचाई है।
- इस तूफान की गति 86 मील प्रतिघंटा यानी 140 Km/h तक मापी गयी है।
- वर्ष 2017 में आये 'हरिकेन मारिया' जिसकी गति 280 km/h थी, के बाद यह अब तक का विनाशकारी तूफान माना जा रहा है।

प्रभाव:

- प्यूर्टो रिको द्वीप के पूरी तरह से तबाह होने के बाद उत्तर-पश्चिम में स्थित तुर्क और कैकोस द्वीप समूह भी इससे प्रभावित हो चुके हैं।
- अत्यधिक बारिश से नदियां 20 फीट से अधिक ऊंचाई पर बह रही हैं।
- बंदरगाहों को बंद एवं हवाई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है।

हरिकेन के बारे में:

- यह एक प्रकार का तूफान है, जिसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में हरिकेन सर्वाधिक शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान है।
- इसकी उत्पत्ति अटलांटिक बेसिन के अंतर्गत अटलांटिक महासागर, कैरिबियाई समुद्र, मैक्सिको की खाड़ी और पूर्वी-उत्तर प्रशांत महासागर में होती है। इसकी उत्पत्ति के लिए महासागर की गहराई सतह से कम से कम 50 मीटर और तापमान 27 डिग्री सेल्सियस जरूरी होता है।

श्रेणियां:

- जब किसी तूफान की अधिकतम गति 74 m/h होती है, तो उसे हरिकेन कहा जाता है।
- हरिकेन की तीव्रता को 'सैफिर-सिंपसन हरिकेन विंड स्केल' पर मापा जाता है।
- हरिकेन जून से नवंबर महीने में कभी भी आ सकता है।
- अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अधीन कार्यरत **'राष्ट्रीय महासागर और वायुमंडलीय प्रशासन'** (एन.ओ.ए.ए.) संस्था के माध्यम से इन तूफानों के आने की भविष्यवाणी की जाती है। अक्टूबर, 1970 में स्थापित एन.ओ.ए.ए. का मुख्यालय, मैरीलैंड (यूएसए) में है।

नामकरण:

- संयुक्त राष्ट्र की इकाई 'विश्व मौसम संगठन' द्वारा दुनियाभर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिये नामों की छह सूचियां तैयार की जाती हैं।
- 193 सदस्य देशों वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन जेनेवा में स्थित विश्व मौसम संगठन की स्थापना 23 मार्च, 1950 को की गयी थी।

उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम:

- 1992 में एंड्रू, 2005 में कैटरीना, 2012 में सैंडी, उसके बाद जोस, केटिया और ली हरिकेन रहे हैं।

4 चीता रिकवरी प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों?

- चीता रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत 17 सितंबर, 2022 को देश के प्रधानमंत्री द्वारा अपने जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से लाए गए आठ चीतों को मध्य प्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क में पारिस्थितिकीय तंत्र के संवर्धन हेतु छोड़ा गया है।

प्रमुख बिंदु:

- भारत में लगभग 70 साल बाद बड़ी बिल्लियों की पांचों प्रजातियां अब देखने को मिलेंगी।
- वर्ष 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की थी।
- पांच मादा और तीन नर चीतों को लेकर मॉडिफाइड बोइंग-747 विमान से नामीबिया की राजधानी होसिया से लगभग आठ हजार किलोमीटर की यात्रा करके ग्वालियर में पहुंचे।
- ग्वालियर से विशेष चिनूक हेलिकॉप्टर द्वारा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क लाया गया।
- अनुकूल जलवायु और वातावरण के कारण इन चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क को चुना गया।
- 1970 के दशक में सबसे पहले ईरान से एशियाई शेरों के बदले एशियाई चीतों को भारत लाने की योजना बनी थी।
- वर्ष 2009 में देश में चीतों को लाने हेतु 'अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया' प्रोजेक्ट शुरू किया गया था।
- 2010 से 2012 के दौरान देश के दस वन्य अभयारण्यों का सर्वेक्षण करके मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए चयनित किया गया था।
- भारत सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान चीता रिकवरी परियोजना हेतु 38.70 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

चीता की रिकवरी:

- किसी प्रजाति के रिकवरी का अर्थ है उसे ऐसे क्षेत्र में रखना जहां वे आसानी से जीवित रह सकें।
- चीता एक मांसाहारी जानवर है जो मुख्य रूप से भारत में अति-शिकार के कारण समाप्त हो गया था।
- चीता का संरक्षण घास के मैदानों एवं उनके बायोम और आवास को पुनर्जीवित करने में मदद करता है।

विलुप्त होने के कारण:

- भारत में इसके विलुप्त होने का मुख्य कारण अधिक संख्या में इनका शिकार करना रहा है। इसके अतिरिक्त इनका आवास विनाश, इनको घरों में रखना तथा तीव्र गति से जलवायु परिवर्तन आदि भी विलुप्त होने के कारण हैं।

चीता:

- चीता बड़ी बिल्ली प्रजातियों में सबसे पुरानी प्रजाति है, जिनके पूर्वजों के प्रमाण मिओसीन युग में देखने को मिलते हैं।
- चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला एक भूमि स्तनपायी है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है।

अफ्रीकी चीता:

- **आईयूसीएन स्थिति:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त।
- **सीआईटीईएस स्थिति:** सूची के परिशिष्ट-II में नामित।
- अफ्रीकी चीतों की संख्या लगभग 6,500-7,000 है जो विश्व में सर्वाधिक है।
- **भौतिक विशेषताएं-** एशियाई चीतों की तुलना में ये आकार में बड़े होते हैं।

एशियाई चीता:

- **आईयूसीएन स्थिति:** संवेदनशील।
- **सीआईटीईएस स्थिति:** सूची के परिशिष्ट-I। में नामित।
- ईरान के जंगलों में इनकी संख्या लगभग 40 से 50 के बीच मौजूद है।
- ये अफ्रीकी चीतों से आकार में छोटे और पीले रंग के होते हैं। आमतौर पर लाल आंखों वाले इन चीतों का सिर छोटा और गर्दन लंबी होती है।

आगे की राह:

दुनियाभर के जंगलों में लगभग 7100 चीते जीवित हैं। देश में चीतों की पर्याप्त संख्या बनी रहे, इसके लिए भारत सरकार को मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने हेतु बेहतर ट्रैकिंग उपकरणों द्वारा उनकी निगरानी एवं स्थानीय लोगों के बीच जन-जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना चाहिए।

5 वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान

चर्चा में क्यों?

- 1 अक्टूबर, 2022 से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग 'राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली' में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना को लागू किया गया है।
- यह योजना सामान्य तिथि से 15 दिन पहले लागू होगी ताकि उत्तर-पश्चिम में हवा की दिशा में परिवर्तन और मानसून वापसी के बाद हवा की गति में गिरावट के बाद प्रदूषकों के निर्माण को रोका जा सके।

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP):

- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लिए 2017 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान एक आपातकालीन उपाय है।
- यह प्लान उस समय सूचीबद्ध उपायों के साथ लागू किया जाता है, जब वायु गुणवत्ता खराब से बहुत खराब की ओर बढ़ती है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस प्लान को प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के चार अलग-अलग चरणों के तहत वर्गीकृत किया गया है:
- स्टेज-I: खराब (AQI 201-300)
- स्टेज-II:बहुत खराब (AQI 301-400)
- स्टेज-III: गंभीर (AQI 401-450)
- स्टेज-IV: गंभीर प्लस (AQI>450)

वायु प्रदूषण रोकने के उपाय:

- **स्टेज-I** के तहत डीजल जनरेटर सेट, आकस्मिक और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, यह प्लान होटल, रेस्तरां, खुले भोजनालयों में तंदूर सहित कोयले एवं लकड़ी के उपयोग पर रोक लगाता है।
- यदि स्थिति गंभीर (चरण-III) हो जाती है, तो आवश्यक परियोजनाओं जैसे रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, आईएसबीटी, राष्ट्रीय सुरक्षा/राष्ट्रीय महत्त्व की रक्षा संबंधित परियोजनाएं और गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे-प्लंबिंग, बढ़ईगीरी, आंतरिक सजावट और बिजली के कार्यों को छोड़कर, एनसीआर में निर्माण और विध्वंसक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
- **गंभीर प्लस श्रेणी चरण**-IV के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है।
- यह संशोधित प्लान, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 अंक का उल्लंघन होने पर, दिल्ली और एनसीआर के सीमावर्ती जिलों में आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़कर, बीएस IV चार पहिया डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाता है।
- इस एक्सन प्लान में वाहनों, सड़क की धूल, निर्माण धूल, बायोमास जलने, खेत में आग और औद्योगिक उत्सर्जन जैसे प्रदूषण स्रोतों के वास्तविक समय के प्रभाव को समझने के लिए रीयल-टाइम उपयोग किया जाता है।
- इसमें ग्रीन वॉर रूम के माध्यम से उल्लंघन और शिकायतों की भी निगरानी की जाएगी।
- त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए, पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी।
- हालांकि, इस एक्सन प्लान में 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान को लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह अभियान ड्राइवरों को राजधानी में वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए ट्रैफिक लाइट के हरे होने का इंतजार करते हुए, अपने वाहनों को बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

भारत सरकार के अन्य प्रयास:

- परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन के लिये निगरानी सफर नेटवर्क की स्थापना।
- CNG और LPG जैसे स्वच्छ गैसीय ईंधन को बढ़ावा देना।
- पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाना।
- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अर्थात AQI की शुरुआत करना।
- BS-VI मानकों को लागू करना।
- सभी इंजन चालित वाहनों के लिये प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट अनिवार्य करना।
- वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण)

अधिनियम, 1981 को प्रभावी रूप से लागू करना।

आगे की राह:

- वायु प्रदूषण दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरों में से एक है। इसकी वजह से हर साल लगभग 70 लाख व्यक्तियों की मौत हो जाती है जिसमें, 6 लाख बच्चे भी शामिल होते हैं। इससे निपटने के लिये उचित राजनीतिक इच्छाशक्ति, लोगों में जागरूकता और ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता का होना जरूरी है।

6 ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम-2022

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत ने अमेरिका के पिट्सबर्ग में आयोजित ग्लोबल क्लीन एनर्जी ऐक्शन फोरम-2022 में 'इनोवेशन रोड मैप ऑफ दी मिशन इंटीग्रेटेड बायो-रीफायनरी' के आरंभ करने की घोषणा की।
- यह फोरम सातवें मिशन इनोवेशन और 13वें क्लीन एनर्जी मिनिस्टीरियल-2022 का संयुक्त सम्मेलन था।
- 21 से 23 सितंबर तक पिट्सबर्ग, पेनसिल्वेनिया में आयोजित इस फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया था।

इनोवेशन रोड-मैप ऑफ दी मिशन इंटीग्रेटेड बायो-रीफायनरीज:

- यह रोड मैप ब्राजील, कनाडा और यूके से प्राप्त नतीजों व निष्कर्षों के आधार पर विकसित किया गया है।
- यह मिशन नीति निर्माताओं को अगले पांच वर्षों में एक बढ़ते आरडी एंड डी पोर्टफोलियो को स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करेगा।
- यह महत्त्वपूर्ण बायोरिफाइनरी प्रौद्योगिकियों के पूरे स्पेक्ट्रम में विशिष्ट वित्तपोषण प्रस्ताव और त्वरित कार्यवाही करने हेतु सुझाव देगा।

मिशन के उद्देश्य:

- इस मिशन का लक्ष्य अगले पांच वर्षों के दौरान ऊर्जा अनुसंधान, विकास सार्वजनिक एवं निजी निवेश और प्रदर्शन (आरडी एंड डी) के लिए वित्त पोषण बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है।
- वर्तमान बायोरिफाइनिंग मूल्य श्रृंखला में अंतराल और चुनौतियों की पहचान करके उनका समाधान करना।
- अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिशन के समग्र पथ का मार्गदर्शन करना है।

भारत की पहल:

भारत एक महत्त्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा हिस्से के साथ देश के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने की दिशा में लगातार काम करते हुए निम्नलिखित पहलों को लागू करने के लिए सहमत हुआ है:

- 2030 तक, गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना।
- 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा में स्थानांतरित करना।
- 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन तक कम करना।
- कार्बन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करना।
- 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करना।
- पानीपत में 10 टन प्रति दिन एंजाइम उत्पादन क्षमता वाले एकीकृत स्वदेशी प्लांट को स्थापित किया जा रहा है, जो दिसंबर 2022 तक चालू हो जाएगा।
- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वैकल्पिक जैव ईंधन उत्पादन हेतु 2G इथेनॉल संयंत्र का निर्माण किया गया है, जिसके 2024 तक चालू होने की उम्मीद है।

भारत द्वारा उठाए गए अन्य कदम:

- भारत ने अप्रैल, 2022 में सार्वजनिक-निजी गठबंधनों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा समाधान में तेजी लाने के लिए 'मिशन इंटीग्रेटेड बायो-रिफाइनरी' को पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मोड पर शुरू किया था।
- यह पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) मोड में 'स्वच्छ ऊर्जा' पहल को बढ़ावा देने के लिए एक कदम है।
- भारत ने पांच जैव ऊर्जा केंद्र स्थापित किए हैं, जहां आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके स्थायी जैव ईंधन का उत्पादन किया जा रहा है।
- वैश्विक 'EV30/30 अभियान' के तहत वर्ष 2030 तक नए वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को कम-से-कम 30% तक करना।
- हरित ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से हाइड्रोजन के उत्पादन पर ध्यान देना।

आगे की राह:

टिकाऊ जैव ईंधन परिवहन क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए भारत सरकार द्वारा

शुरू मिशन का सफल प्रदर्शन न केवल राष्ट्र को एक स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा, बल्कि परिवहन क्षेत्र से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी मदद मिलेगी।

7 भारतीय शहरों में जलभराव

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, बारिश के कारण बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल, सूरत और पटना सहित कई बड़े शहरों में भीषण जलभराव और बाढ़ की स्थिति देखी गई। स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन जैसी कई सरकारी योजनाएं शहरी बाढ़ के मुद्दों को संबोधित करने में विफल रही हैं।
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जलभराव को गंभीरता से लेते हुए इस मुद्दे के समाधान के लिए केंद्र और राज्यों से सुझाव मांगा है। एनजीटी ने कहा कि इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे को बेहतर नीति योजना, उनके क्रियान्वयन और निगरानी के माध्यम से हल किया जा सकता है।
- जलभराव तब होता है जब भारी वर्षा होती है और जल निकासी की अनुचित व्यवस्था के कारण पानी सड़क पर जमा हो जाता है, यही समस्या का कारण बनता है।

भारतीय शहरों में जलभराव और बाढ़ का कारण:

- खत्म होते जलस्रोत।
- अनुचित कचरा निपटान।
- खराब भूमि नीति।
- नालियों का खराब रखरखाव।
- डिस्पोजेड प्लास्टिक बैग।
- खुली जगहों का कम होना।
- जलवायु परिवर्तन।
- शहरी अतिक्रमण।
- भारी वर्षा।

भारतीय शहरों में जलभराव से समस्या:

- यातायात का बाधित होना।
- कम उत्पादकता होना।
- अधिक दुर्घटनाएं होना।
- बिजली आपूर्ति में कटौती होना।
- जल जनित रोगों की घटना में बढ़ोतरी।
- दोषपूर्ण वायु परिसंचरण।
- सड़क का स्थायित्व कम हो जाना।
- अवांछित जंगली पौधों की वृद्धि।

भारतीय शहरों में जलभराव का समाधान:

- जल निकासी प्रणाली का उचित डिजाइन और रखरखाव होना चाहिए।
- वृक्षारोपण के लिए अतिरिक्त प्रावधान होने चाहिए। ये पानी को अवशोषित करके बाढ़ की तीव्रता को कम करते हैं।
- फ्लड गेट और फ्लड जलाशय का निर्माण। फ्लड जलाशय से संग्रहीत पानी का उपयोग उस क्षेत्र में किया जा सकता है जहां पानी की कमी है।
- प्लास्टिक बैग पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। प्लास्टिक जल निकासी में चोकिंग प्वाइंट बनाते हैं जिससे सड़कों के सिंक बंद हो जाते हैं।
- कचरा निपटान के लिए सर्वोत्तम तंत्र होना चाहिए। शहरी ठोस कचरा हर जगह एक वास्तविक समस्या बन गया है। ठोस कचरे से निपटने के लिए संग्रह और वैज्ञानिक निपटान प्राथमिकता होनी चाहिए।
- ड्रेनेज की सफाई का कार्य केवल मानसून के दौरान ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष होना चाहिए। इसे यंत्रीकृत किया जाना चाहिए।
- जल निकासी के लिए एक प्राधिकरण को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

एनजीटी:

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट-2010 के तहत 18 अक्टूबर, 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए की गई थी।
- इसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना, व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजा देना शामिल है।
- यह बहु-विषयक मुद्दों से जुड़े पर्यावरणीय विवादों के निपटारे के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से लैस एक विशेष निकाय है।
- ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है।

निष्कर्ष:

- कई योजनाएं हैं जो शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चल रही हैं और जलभराव को कम करती हैं, फिर भी वांछित परिणाम नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि भारतीय शहरों में जलभराव की समस्याओं को हल करने के लिए स्थानीय शासन को मजबूत किया जाना चाहिए।

1 दुनिया का पहला क्लोन्ड जंगली आर्कटिक भेड़िया

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में बीजिंग में एक जीन फर्म सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी ने दुनियाभर में पहली बार एक जंगली मादा आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बनाने की घोषणा की है।
- इस क्लोन भेड़िये का जन्म लगभग 100 दिन पहले बीजिंग की एक लैब में हुआ था जिसका नाम माया रखा गया है।

क्लोनिंग तकनीक:

- क्लोनिंग तकनीक से अभिप्राय अलैंगिक विधि द्वारा एक जीव से दूसरे जीव को पैदा करने से है।
- इस विधि से कोशिकाओं, ऊतकों आदि सहित जीवित जीवों की प्रतियां तैयार की जाती हैं और इस विधि से तैयार सभी जीव अपने जनक से पूरी तरह अनुवांशिक और शारीरिक तौर पर लगभग समान होते हैं।
- क्लोनिंग तकनीक के उपयोग द्वारा सबसे पहले सफलतापूर्वक 5 जुलाई 1996 को स्कॉटलैंड स्थित रॉसलीन संस्थान (Roslin Institute) में पहली स्तनपायी डॉली नाम की भेड़ वैज्ञानिक ईयन विल्मट और कीथ कैम्पबेल के सहयोग से प्रतिरूपित की गयी थी जबकि वर्ष 1952 में पहला प्रतिरूपित मेरुदंडीय प्राणी एक मेढक था।
- क्लोनिंग जीन विविधता की रक्षा करने और प्रजातियों की आबादी बढ़ाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण विधि है।

आर्कटिक भेड़िया के बारे में:

- आमतौर पर इसे ध्रुवीय भेड़िया वृक या सफेद भेड़िया कहा जाता है। यह ग्रे वुल्फ (वृक) की एक उपप्रजाति है। यह जानवर एक मांसाहारी स्तनपायी है जो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्रों में पाया जाता है।
- इसका वैज्ञानिक नाम कैनिस लूपस आर्कटोस (Canis lupus arctos) है और इसका वजन 70 से 175 पाउंड तक होता है जबकि इसकी लम्बाई 3.2 से 5.9 तक हो सकती है। इसका जीवन काल लगभग 7-10 वर्ष होता है। यह आई यू सी एन की रेड सूची में लीस्ट कंसर्न यानी कम से कम चिंता वाली सूची में शामिल है।

खतरा:

- विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार, आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले भेड़िये शिकारियों से तो बच जाते हैं लेकिन जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खाद्य आपूर्ति का खतरा इन पर हमेशा बना रहता है। वहीं, दुनियाभर में फैल रहा सड़कों का जाल और पाइपलाइन जैसे मानव विकास इनके क्षेत्रों का अतिक्रमण कर रहे हैं।

आगे की राह:

दुनिया के पहले मादा आर्कटिक वुल्फ क्लोन का जन्म क्लोनिंग तकनीक के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके साथ यह दुनिया से हो चुकी विलुप्त प्रजातियों को दुबारा प्राप्त करने का बेहतरीन तरीका भी हो सकता है इसलिए भारत में भी क्लोनिंग तकनीक को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

2 इसरो द्वारा हाइब्रिड मोटर का परीक्षण

चर्चा में क्यों?

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने तमिलनाडु स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (आईपीआरसी) महेंद्रगिरी में 20 सितंबर, 2022 को एक 30KN हाइब्रिड मोटर का सफल परीक्षण किया है।
- इस परीक्षण का उद्देश्य आगामी प्रक्षेपण वाहनों के लिए एक नई प्रणोदन प्रणाली की खोज करना है।

30KN हाइब्रिड मोटर के बारे में:

- यह स्केलेबल और स्टैकेबल प्रकार का एक हाइब्रिड मोटर है जो सॉलिड-सॉलिड या लिक्विड-लिक्विड कॉम्बिनेशन के विपरीत सॉलिड फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीडाइजर का उपयोग करती है।
- परीक्षण के दौरान इस मोटर में ऑक्सीडाइजर के रूप में तरल ऑक्सीजन (LOX) और ईंधन के रूप में हाइड्रॉक्सिल-टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटैडिन (HTPB) का उपयोग किया गया।
- 30KN हाइब्रिड मोटर ने परीक्षण के दौरान 15 सेकंड की इच्छित अवधि के लिए प्रज्वलन और निरंतर दहन का सफल प्रदर्शन किया है।

इस मोटर से लाभ:

- तरल पदार्थों के उपयोग से थ्रॉटलिंग (throttling) में मदद मिलती है जो LOX की प्रवाह दर पर फिर से नियंत्रण शुरू करने की क्षमता को सक्षम बनाता है।
- हालांकि HTPB और LOX दोनों हरे रंग में हैं, लेकिन LOX को संभालना ज्यादा सुरक्षित है।
- आगामी लॉन्च वाहनों के लिए यह मोटर एक नई प्रणोदन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करेगी।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो):

- इसरो भारत की राष्ट्रीय अन्तरिक्ष एजेंसी है जिसका मुख्यालय बंगलुरु में स्थित है।
- यह अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों, नवीनतम तकनीकों के विकास और अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित कार्य करने के लिए भारत की प्राथमिक एजेंसी है।
- इसरो को वर्ष 1962 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) के नाम जाना जाता था। बाद में इसरो का गठन 15 अगस्त, 1969 को एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया। वर्तमान समय में पूरे भारत में इसरो के 22 केंद्र हैं।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रौद्योगिकियों और कार्यक्रमों ने भारत के सामाजिक-आर्थिक और औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- इसरो कई पहलुओं, जैसे- नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, टोही मिशन में सैन्य और नागरिक डोमेन का समर्थन करता है।
- इसरो अंतरिक्ष विभाग के अधीन कार्य करता है और इसकी देखरेख की जिम्मेदारी एवं नियंत्रण सीधे भारत के प्रधानमंत्री के हाथों में होती है।

चंद्रयान-3 के बारें में:

- चंद्रयान-3 को वर्ष 2023 की पहली तिमाही में लांच करने की योजना है जिसमें अंतरिक्ष यान चंद्रयान-2 का मिशन रिपीट किया जाएगा। इसमें केवल चंद्रयान -2 के समान एक लैंडर और रोवर शामिल होगा। इस अंतरिक्ष यान में ऑर्बिटर शामिल तो नहीं होगा, लेकिन इसका प्रणोदन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह ही कार्य करेगा।

3 उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल हेतु भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उच्च रक्तचाप के खिलाफ देश के सराहनीय प्रयासों के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

2022 यूएन इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर डब्ल्यूएचओ स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार:

- आई.एच.सी.आई. को यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से 21 सितंबर, 2022 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में दिया गया है।
- संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) को रोकने और नियंत्रित करने के लिए भारत की उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और कार्यवाही को मान्यता देता है।

उच्च रक्तचाप:

- उच्च रक्तचाप अर्थात हाई ब्लड प्रेशर को मूक रोग भी कहा जाता है।
- रक्तचाप की समस्या 140/90 के स्तर को पार करने के बाद पैदा होती है।
- यह हाइपरटेंशन दिल का दौरा पड़ने, स्ट्रोक आने, गुर्दे की बीमारी और असामयिक मृत्यु जैसे मामलों में प्रमुख जोखिम घटक है।
- अनुमान बताते हैं कि भारत में चार वयस्कों में से एक उच्च रक्तचाप से पीड़ित है।
- हर वर्ष 17 मई को उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है जिसका लक्ष्य उच्च रक्तचाप और इसके लक्षणों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
- भारत '25 तक 25' लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है, अर्थात वर्ष 2025 तक गैर-संचारी रोगों के कारण मृत्यु दर को 25% तक कम करना है।

आईएचसीआई:

- इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राज्य सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक संयुक्त पहल है।
- उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने और इससे बचने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत की उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल-आई.एच.सी.आई. को वैश्विक स्तर पर सराहा गया है।
- यह पहल 2017 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य रक्तचाप के प्रसार में सापेक्षिक रूप से 25% की कमी करना था।
- 23 राज्यों के 130 से अधिक जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया गया था।
- इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उच्च रक्तचाप से ग्रस्त 34 लाख लोगों की पहचान करके, विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में उनका इलाज किया जा रहा है। इस इलाज में आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर भी शामिल है।
- यह मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का पूरक है।
- यह पहल निरंतर देखभाल सुनिश्चित करके आयुष्मान भारत कार्यक्रम को बढ़ावा देकर सरकार के लक्ष्यों को पूरा कर रही है।

आगे की राह:

विश्वभर में एक अरब से अधिक व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप की समस्या है। यह हृदय रोग और असामयिक मृत्यु के प्रमुख

कारणों में से एक है। यह बीमारी आमतौर पर उम्रदराज लोगों में होती है, लेकिन वर्तमान में युवा आबादी में भी इसके लक्षण दिखने लगे हैं। नियमित जांच और उपचार से इसे रोका जा सकता है।

4 DGCA ने 5G रोलआउट पर जताई चिंता, दूरसंचार विभाग को लिखा पत्र

चर्चा में क्यों?

- भारत का दूरसंचार ऑपरेटर 5G रोलआउट सेवाओं की तैयारी कर रहा है। देश के विमानन सुरक्षा नियामक ने विमान रेडियो अल्टीमीटर के साथ 5G सी-बैंड स्पेक्ट्रम के संभावित हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त करते हुए दूरसंचार विभाग को पत्र लिखा है। डीजीसीए की मुख्य चिंता इस तथ्य से उभरती है कि रेडियो अल्टीमीटर और 5G दोनों एक ही सी-बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हैं। इस प्रकार यह 5G और विमान रेडियो altimeter के बीच अधिक संभावित हस्तक्षेप हो सकते हैं।

सी-बैंड:

- सी-बैंड 5G नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो स्पेक्ट्रम के बीच में आता है। यह 3.7-3.98 GHz के फ्रीक्वेंसी बैंड को संदर्भित करता है। यह व्यापक सी-बैंड स्पेक्ट्रम के निचले सिरे पर स्थित है। हालांकि रेडियो अल्टीमीटर के लिए सी-बैंड 4- 4.4 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड के बीच आता है।

रेडियो अल्टीमीटर:

- रेडियो अल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो विभिन्न विमान प्रणालियों के लिए भूमि से ऊपर की सीधी ऊंचाई की जानकारी प्रदान करता है। रेडियो अल्टीमीटर रडार सिद्धांत का उपयोग करता है। एक विशिष्ट रेडियो अल्टीमीटर सेटअप में, दो एंटेना होते हैं। एक सिग्नल भेजता है और दूसरा उसे प्राप्त करता है। सिग्नल ट्रांसमीटर एंटीना द्वारा भेजा जाता है। यह संकेत तब जमीन या आसपास के क्षेत्र से परावर्तित होता है और फिर रिसीवर एंटीना द्वारा प्राप्त किया जाता है। चूंकि सिग्नल प्रकाश की गति से यात्रा करता है, इसलिए दूरी की गणना विमान द्वारा परावर्तित सिग्नल प्राप्त करने में लगने वाले समय को मापकर की जा सकती है।

5G:

- 5G 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। यह 1G, 2G, 3G और 4G नेटवर्क के बाद एक नया वैश्विक वायरलेस मानक है। 5G एक नए प्रकार के नेटवर्क को सक्षम बनाता है जिसे मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों सहित लगभग सभी को एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है।
- 5G वायरलेस तकनीक उच्च मल्टी-जीबीपीएस पीक डेटा स्पीड, अल्ट्रा-लो लेटेंसी, अधिक विश्वसनीयता, विशाल नेटवर्क क्षमता, बढ़ी हुई उपलब्धता को अनुभव प्रदान करने के लिए है। उच्च प्रदर्शन और बेहतर दक्षता नए उपयोगकर्ता अनुभवों को सशक्त बनाती है एवं नए उद्योगों को जोड़ती है।
- आदर्श रूप से 5G नेटवर्क स्पीड डाउनलोड करने के लिए 20 गीगाबाइट प्रति सेकंड और अपलोड करने के लिए 10 गीगाबाइट प्रति सेकंड (Gb/s) होनी चाहिए।

दूरसंचार विभाग ने क्यों जताई चिंता:

- रेडियो अल्टीमीटर 4.2-4.4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर संचालित होता है और लंबे समय तक, इस बैंड के हानिकारक रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए संरक्षित किया गया है। जब 21वीं सदी में मोबाइल दूरसंचार में तेजी आई, तब शुरू में रेडियो अल्टीमीटर के लिए कोई जोखिम नहीं था क्योंकि संचार ऑपरेटिंग आवृत्तियां रेडियो अल्टीमीटर ऑपरेटिंग आवृत्तियों से काफी नीचे थीं।
- लेकिन अब, 5G फ्रीक्वेंसी बैंड 3.7-3.98GHz के बीच है, जोकि रेडियो अल्टीमीटर फ्रीक्वेंसी के बहुत करीब है। यह रेडियो अल्टीमीटर में हस्तक्षेप का कारण बन सकता है जिससे गलत ऊंचाई की माप हो सकती है।

दोनों सी-बैंड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए, सी-बैंड 5G सेवाओं को शुरू करने के लिए एक बेहतर स्थान प्रस्तुत करता है। यह कवरेज के साथ-साथ उच्च बैंडविड्थ सुनिश्चित करता है जिसके परिणामस्वरूप तेज इंटरनेट गति होती है। विमान संचालन के लिए इस बैंड में अल्टीमीटर का उपयोग विमान की ऊंचाई का अत्यधिक सटीक माप सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष:

- दुनिया भर में 5G का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ऐसे में भारत को औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 5G नेटवर्क बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इसके लिए सरकार को तकनीक के दूसरे आयामों को ध्यान में रखते हुए 5G को बढ़ावा देना चाहिए।

1 चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास हेतु 'स्केल ऐप'

चर्चा में क्यों?

- 20 सितंबर, 2022 को शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ने चेन्नई में चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास हेतु 'स्केल ऐप' लांच किया है।
- इस एप का उद्देश्य चमड़ा क्षेत्र में कौशल भारत मिशन के तहत गुणवत्ता आश्वासन को एकीकृत करना है।

'स्केल ऐप' के बारे में:

- 'स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज' स्केल का विस्तृत रूप है।
- चमड़ा क्षेत्र में प्रशिक्षुओं को कौशल विकास कार्यक्रम बनाने और वितरित करने के तरीके को बदलने के लिए, चमड़ा कौशल क्षेत्र परिषद ने इस एंड्रॉइड ऐप स्केल को विकसित किया है।

महत्त्व:

- यह चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन करने और रोजगार की जरूरतों के लिए वन-स्टॉप समाधान प्रदान करेगा।
- इस एप द्वारा सभी उम्र के लेदर क्राफ्ट में रुचि रखने वाले लोग लेदर एसएससी के कार्यालय के अत्याधुनिक स्टूडियो से, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस का उपयोग कर सकते हैं।
- चमड़ा उद्योग का डिजिटलीकरण होगा अर्थात यह ई-कामर्स से जुड़ जाएगा।

भारत में चमड़ा उद्योग:

- चमड़ा क्षेत्र देश में व्यापक रोजगार पैदा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- चमड़ा उद्योग में 0.88 मिलियन पूर्णकालिक कर्मचारी, छोटे व्यवसायों के 0.77 मिलियन कर्मचारी और 0.74 मिलियन स्व-नियोजित या दैनिक वेतनभोगी शामिल हैं।
- भारतीय चमड़ा क्षेत्र में 35 वर्ष से कम आयु के 55% कार्यबल हैं।
- 2017 और 2022 के बीच चमड़ा क्षेत्र में कुल 2.39 मिलियन नई नौकरियों के सृजित होने का अनुमान है।
- भारत फुटवियर, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जूतों का उत्पादक और उपभोक्ता है। दुनिया के लगभग 13% चमड़े और खाल का उत्पादन भारत में किया जाता है। दुनिया भर में उत्पादित जूते का 9% भारत में उत्पादित किया जाता है।

चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद (LSSC):

- यह भारत के चमड़ा क्षेत्र के योग्य श्रमिकों की मांग को पूरा करने में मदद करने के लिए बनाया गया एक गैर-लाभकारी संगठन है।
- इसकी स्थापना वर्ष 2012 में की गयी थी।
- इसका मुख्य उद्देश्य तैयार चमड़े, जूते, परिधान, चमड़े के सामान, सहायक उपकरण के उप-क्षेत्रों में प्रशिक्षण और रोजगार की जरूरतों को पूरा करना है।

चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के प्रमुख उद्देश्य:

- चमड़ा और चमड़े के सामान, इस उद्योग के दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक कुशल श्रम शक्ति के निर्माण को प्रोत्साहित करना।
- औद्योगिक क्षेत्रों और संगठनात्मक स्तरों पर प्रशिक्षित एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्र की क्षमता वृद्धि सुनिश्चित करना।

आगे की राह:

- डिजिटल प्रौद्योगिकी और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं के विकास द्वारा लाए गए औद्योगिक परिवर्तनों के लिए स्किलिंग, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग के साथ-साथ ड्राइविंग क्षमता निर्माण पर नए सिरे से ध्यान देने की आवश्यकता है।
- इस उद्योग में काम करने वाले पेशेवरों की क्षमता बढ़ाने के लिए सीएसआईआर-सीएलआरआई में एक राष्ट्रीय स्तर का क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

2 पीएम प्रणाम योजना

चर्चा में क्यों?

- रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिये भारत सरकार पीएम प्रणाम योजना शुरू करने जा रही है।
- कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन 'पीएम प्रणाम' योजना का विस्तृत नाम है।

उद्देश्य:

- जैव उर्वरकों के संतुलित उपयोग को देशभर में बढ़ावा देना।
- रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के

वित्तीय बोझ को कम करना।

- वर्ष 2022-23 में उर्वरकों पर सब्सिडी 2.25 लाख करोड़ रुपए तक अनुमानित है जो वर्ष 2021 के 1.62 लाख करोड़ रुपए से 39% अधिक है।

प्रस्तावित योजना की विशेषताएं:

- इस योजना का कोई अलग से बजट निर्धारित नहीं किया जाएगा।
- उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत से इस योजना का वित्तपोषण किया जाएगा।
- संचालित यूरिया योजनाओं से धन की बचत करने वाले राज्य को सब्सिडी बचत का 50% उस राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत प्रदान किये गए अनुदान का 70% हिस्सा गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यरत वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन इकाइयों के तकनीकी विकास के लिए किया जाएगा।
- जबकि शेष 30% अनुदान राशि का उपयोग, उर्वरक उपयोग को कम करने व स्थानीय जागरूकता पैदा करने वाले किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को पुरस्कृत करने तथा प्रोत्साहित करने के लिये किया जा सकता है।
- एक वर्ष में यूरिया के रासायनिक उर्वरक उपयोग को कम करने का तुलनात्मक आंकलन, पिछले तीन वर्षों के दौरान यूरिया की औसत खपत से किया जाएगा।

उर्वरक:

- ऐसे कार्बनिक या अकार्बनिक रासायनिक तत्व हैं जो फसलों के विकास और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं।
- उर्वरक उद्योग भारत के आठ कोर उद्योगों में से एक है। भारत दुनियाभर में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूरिया उर्वरक उपभोक्ता है।

देश में उर्वरक उपयोग की मौजूदा स्थिति:

- वर्ष 2020-21 के दौरान देश में चार उर्वरक यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट, म्यूरिएट ऑफ पोटाश और एन.पी.के. की कुल खपत 640.27 लाख मीट्रिक टन हुई जो वर्ष 2017-18 में 528.86 लाख मीट्रिक टन थी यानी उर्वरक की खपत पहले से 21% अधिक हो रही है।
- इन सभी उर्वरकों में सबसे अधिक खपत डीएपी की दर्ज की गई है। यह वर्ष 2017-18 के 98.77 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 123.9 लाख मीट्रिक टन खपत हुई।

सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य पहलें:

- अक्तूबर 2016 से शुरू प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक कंपनियों को खुदरा विक्रेताओं को प्राप्त लाभ के आधार पर 100% सब्सिडी दी जाती है।
- उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 के तहत सरकार नैनो यूरिया और जैव-उत्तेजक जैसे नए पोषक तत्वों को शामिल कर चुकी है जो फसलों के विकास और पौधों में चयापचय प्रक्रिया बढ़ाने में मदद करते हैं।
- सरकार द्वारा नीम लेपित यूरिया के रूप में 100% यूरिया का उत्पादन करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- नीम लेपित यूरिया के उपयोग से मृदा स्वास्थ्य में सुधार, पादप संरक्षण रसायनों के उपयोग में कमी, कीट हमले और रोग में कमी एवं फसल उपज में वृद्धि आदि अनेक लाभ हैं।

नई यूरिया नीति-2015 के उद्देश्य:

- स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना।
- यूरिया इकाईयों में यूरिया उत्पादन हेतु ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना।
- भारत सरकार पर सब्सिडी के बोझ को न्याय संगत तरीके से कम करना।

आगे की राह:

कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जितना महत्त्वपूर्ण है उतना ही संवेदनशील भी है। इसलिए सरकार को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के बजाय किसानों की खुशहाली, मृदा संरक्षण एवं उर्वरक सब्सिडी के वित्तीय बोझ को कम करने हेतु जैविक उर्वरकों को अधिकतम प्रोत्साहित करना चाहिए।

3 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट-2022

चर्चा में क्यों?

- 20 सितंबर, 2022 को देश की वित्तमंत्री ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट-2022 का जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, मुंबई में उद्घाटन किया।
- ग्लोबल फिनटेक फेस्ट-2022 के आयोजन का उद्देश्य सतत वित्त प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान करना है।

प्रमुख बिंदु:

- इस फेस्ट का आयोजन प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय भुगतान परिषद और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- इस वर्ष 19-22 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस फेस्ट की थीम- एक सतत वित्तीय दुनिया बनाना - वैश्विक,

समावेशी, हरित है।

- इस आयोजन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल भारत को वित्तीय प्रौद्योगिकी में एक वैश्विक विचारक के रूप में प्रस्तुत किया है, बल्कि भारत के फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रदर्शित करने का प्रयास किया है।
- इस आयोजन से भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली और अधिक समावेशी बनने वाली है। भविष्य में 300 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता भारत की डिजिटल भुगतान प्रक्रिया से जुड़ने वाले हैं।

फिनटेक के बारे में:

- फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का एक संक्षिप्त रूप है। वित्तीय कार्यों के प्रबंधन से सम्बंधित प्रौद्योगिकी को फिनटेक कहा जाता है।
- दूसरे शब्दों में पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन में आधुनिक तकनीक का उपयोग ही फिनटेक है। फिनटेक शब्द से अभिप्राय ऐसी नई तकनीकों के प्रयोग से है जो वित्तीय सेवाओं एवं उनके प्रबंधन में सुधार और स्वायत्तता लाती हैं।
- डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ऋण, बैंक टेक, इंश्योर टेक, रेगटेक, क्रिप्टोकरेंसी, डिजिटल कैश, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओपन बैंकिंग, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन तकनीक आदि फिनटेक के कुछ प्रमुख घटक हैं।
- मौजूदा समय में फिनटेक में शिक्षा, खुदरा बैंकिंग, निधि जुटाना, गैर-लाभकारी कार्य, निवेश प्रबंधन आदि को भी शामिल किया जाने लगा है।

फिनटेक का महत्त्व:

- रुपे क्रेडिट कार्ड को यू.पी.आई. से जोड़ने से उपभोक्ताओं को क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के अधिक अवसर सुनिश्चित हुए हैं।
- यह व्यापारियों को क्रेडिट इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर बिक्री बढ़ाने में भी मदद कर रहा है।
- इसने भीम एप्प के साथ एकीकृत यूपीआई लाइट यूजर्स को निकट-ऑफलाइन मोड में कम-मूल्य के लेनदेन करने में सक्षम बनाया है।
- इससे कोर बैंकिंग सिस्टम पर कर्ज का बोझ कम हुआ है और लेन-देन की सफलता दर में भी सुधार हुआ है।
- इसने विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए क्रॉस-बॉर्डर बिलों के भुगतान को आसान बनाया है।
- यह अनिवासी भारतीयों को भारत में रहने वाले अपने परिवारों की ओर से पानी और टेलीफोन बिलों का भुगतान करने में सक्षम बनाता है।

चुनौतियाँ:

- साइबर हमले बढ़ने की प्रबल आशंका।
- व्यक्तिगत और वित्तीय डाटा का दुरुपयोग बढ़ सकता है अर्थात डाटा गोपनीयता की समस्या।
- वर्तमान समय में क्रिप्टोकरेंसी जो फिनटेक का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, के विनियमन में एक बड़ी समस्या उभरकर सामने आना।
- वर्तमान में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिनटेक के क्षेत्र में घोटाले और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने हेतु कोई विशेष प्रावधानों का न बनना।

आगे की राह:

- हालांकि फिनटेक की सफलता हेतु भारत में व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और लोगों को जागरुक करने पर महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, लेकिन इन सभी के क्रियान्वयन एवं विनियमन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

4 भारतीय चाय उद्योग के सामने चुनौतियां

चर्चा में क्यों?

- चाय उद्योग बढ़ती उत्पादन लागत और स्थिर कीमतों के कारण संकट के दौर से गुजर रहे हैं जिससे चाय उद्योग को भविष्योन्मुखी लक्ष्य प्राप्त करने में खतरा उत्पन्न होने की संभावना है।
- भारत आज दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जो 1.2 अरब किलोग्राम से अधिक के वार्षिक उत्पादन के साथ दुनिया के उत्पादन का पांचवां हिस्सा है। यह चीन, श्रीलंका और केन्या के बाद चौथा सबसे बड़ा निर्यातक भी है।

देश में चाय उत्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दे:

चाय के दामों में आई गिरावट:

- चाय के नीलामी मूल्य में पिछले कुछ वर्षों में लगातार गिरावट देखी गई है। विश्व बैंक के अनुसार, चाय की कीमतों में वास्तविक रूप से लगभग 44% की गिरावट आई है।

लाइसेंस और कोटा:

- चाय बनाने के लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता होती है।
- निर्यात नियंत्रित होते हैं एवं इसके लिए कोटा आवंटित होते हैं।

कम उत्पादन के कारण:

  - » वित्तीय संकट।
  - » बिजली की अनुपलब्धता।
  - » श्रमिक मुद्दे।

» अलाभकारी श्रम कानून।
» अपर्याप्त संचार प्रणाली।
» चाय बागानों के लिए राजस्व कर में वृद्धि।
» प्रदूषण शुल्क में वृद्धि।
» कम परिवहन सब्सिडी।

उचित भंडारण नहीं:
प्रीमियम गुणवत्ता वाली चाय का भंडारण हमेशा एक समस्या रही है। परिवहन में देरी और भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण, संसाधित चाय की गुणवत्ता में गिरावट आती है।

जलवायु कारक:
प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों ने चाय उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया है।

समाधान:
- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, उद्योग को चाय की नई किस्मों पर शोध और विकास करने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ काम करना होगा। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने एवं वर्षा जल प्रबंधन प्रणालियों में सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करना होगा।
- छोटे चाय उत्पादकों को अपनी उपज को सही कीमत पर बेचने और अपनी बाजार पहुंच बढ़ाने में मदद करने के लिए एक विपणन तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- बागान श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करने और चाय बागानों में मशीनीकरण बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- अच्छी कृषि और कीट प्रबंधन प्रथाओं पर छोटे किसानों की क्षमता का निर्माण करना एवं बाकी उद्योग के साथ एकीकरण के लिए प्रयास करना शामिल है।

सरकारी पहलें:
- भारतीय निर्यातकों को विदेशी बाजारों में मदद करने के लिए, भारतीय चाय बोर्ड ने भारतीय मूल की पैकेजबंद चाय प्रचार योजना शुरू की है।
- चाय बोर्ड घरेलू निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सब्सिडी भी प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना और व्यापार के अवसरों के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है।

चाय विकास और संवर्धन योजना:
- यह योजना नवंबर 2021 में भारतीय चाय बोर्ड द्वारा 2021-26 की अवधि हेतु शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में उत्पादन की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाना है।

चाय बोर्ड:
1 अप्रैल, 1954 को चाय बोर्ड की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी जो चाय उद्योग के समग्र विकास को देखता है।
- इनमें कुल 32 सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा होती है जिसका कार्यालय कोलकाता में स्थित है।
- चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन विदेशी कार्यालय लंदन, दुबई और मॉस्को में स्थित हैं।

निष्कर्ष:
भारतीय चाय उद्योग और इससे जुड़े समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, बड़े पैमाने पर दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है ताकि चाय उत्पादन की गति सतत बनायी जा सके।

5 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति

चर्चा में क्यों?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया जिसके तहत यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) को एक एकीकृत पोर्टल के रूप में तैयार किया जाएगा। इसमें वास्तविक समय के आधार पर वस्तु के स्थान की जानकारी काफी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी।

नीति का विजन:
- इस नीति का उद्देश्य त्वरित और समावेशी विकास में तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत-कुशल, लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स तंत्र विकसित करना है।

- यह नीति भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क की तुलना में कम करने का लक्ष्य रखती है। यह लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में 2030 तक शीर्ष-25 देशों में शामिल होने और एक कुशल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम का निर्माण करती है।
- यह नीति एक व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (CLAP) के माध्यम से लागू की जाएगी। CLAP के तहत प्रस्तावित हस्तक्षेपों को आठ प्रमुख कार्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है-

1. एकीकृत डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्रणाली।
2. भौतिक संपत्तियों का मानकीकरण और सेवा गुणवत्ता का मानक।
3. लॉजिस्टिक्स मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण।
4. राज्यों का जुड़ाव।
5. एक्जिम (निर्यात-आयात) लॉजिस्टिक्स।
6. सेवा सुधार ढांचा।
7. सशक्त लॉजिस्टिक्स के लिए क्षेत्रीय योजना।
8. लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास में सुगमता।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का लाभ:

- कम लॉजिस्टिक लागत।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना।
- भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद करना।
- स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर खोलना।
- कृषि उपज की लॉजिस्टिक लागत को कम करके देश के किसानों की आय में वृद्धि करना।

लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए सरकार की पहलें:

- **कृषि उड़ान-** यह 27 अक्टूबर, 2021 में लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले सभी कृषि उत्पादों के लिए निर्बाध, लागत प्रभावी, समयबद्ध हवाई परिवहन और संबद्ध लॉजिस्टिक सुनिश्चित करना है।
- **भारतमाला-** यह 2015 में शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
- **सागरमाला-** मार्च 2015 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य बंदरगाहों के विकास को बढ़ावा देने एवं बंदरगाहों से त्वरित, कुशलतापूर्वक और लागत प्रभावी ढंग से वस्तु परिवहन के लिए बुनियादी ढांचा का निर्माण करना है।
- **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन-** देश भर में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 2020-2025 के दौरान लगभग 111 लाख करोड़ (US$1.5 ट्रिलियन) रुपये के अनुमानित बुनियादी ढांचे में निवेश के साथ लॉन्च किया गया था।

- **पीएम गतिशक्ति-** इसे 13 अक्टूबर 2021 को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था।
- **ई-संचित-** यह निकासी प्रक्रिया को पेपरलेस और फेसलेस बनाता है।
- **ई-वे बिल सिस्टम-** यह 1 अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था जो उद्योगों को कई तरह के लाभ प्रदान करता है, जैसे कि अंतर्राज्यीय और अन्तः राज्यीय दोनों में वस्तुओं की तेज और निर्बाध आवाजाही।
- **FASTag-** टोल शुल्क की स्वचालित कटौती को सक्षम बनाता है और कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देता है।
- सीमा शुल्क के लिए फेसलेस मूल्यांकन।
- **GST-** यह 1 जुलाई, 2017 को लॉन्च किया गया जो वस्तुओं और सेवाओं की लागत कम करके अर्थव्यवस्था को गति देता है। साथ ही यह वस्तु और सेवाओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है।

भारत का लॉजिस्टिक क्षेत्र:

भारत के लॉजिस्टिक्स का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14.4% हिस्सेदारी है एवं 22 मिलियन से अधिक लोग अपनी आय के लिए इस पर निर्भर हैं। लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की स्थापना 7 जुलाई, 2017 को हुई थी जिसे लॉजिस्टिक क्षेत्र के एकीकृत विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में 37 निर्यात संवर्धन परिषदें, 40 भाग लेने वाली सरकारी एजेंसियां (पीजीए), दस हजार वस्तुएं और 500 प्रमाणन शामिल हैं। 2019 में भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र का मूल्य रु. 15.1 लाख करोड़ (US$ 190 बिलियन) था। असंगठित क्षेत्र में 99% लॉजिस्टिक क्षेत्र शामिल हैं।

निष्कर्ष:

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, संपूर्ण लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के विकास हेतु व्यापक उच्च लागत और अक्षमता के मुद्दों को हल करने का प्रयास है। यह नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने, आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने का एक प्रयास है। इसमें 13-14 प्रतिशत लॉजिस्टिक लागत को एकल अंक में लाने का लक्ष्य रखा गया है।

1 रामसेस द्वितीय युग की गुफा की खोज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, इजराइल के पुरातत्विदों की एक टीम ने रामसेस द्वितीय युग की अति दुर्लभ गुफा को खोजा है।

गुफाः

- यह गुफा लगभग 3,300 वर्ष पुरानी है जिसे निर्माण कार्य के दौरान तेल अवीव के दक्षिण में स्थित पालमाचिम नेशनल पार्क में खोजा गया है।

अन्य साक्ष्यः

- इस गुफा की खोज के साथ विशेषज्ञों को इसी राजा के शासन काल से जुड़ी अन्य वस्तुएं- मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, कांस्य कलाकृतियाँ, कुछ कटोरे, प्याले, खाना पकाने के बर्तन, भंडारण जार, लैम्प और कांस्य के तीर या भाले आदि भी मिले हैं।
- इन वस्तुओं पर उस काल की तारीख एवं राजा के नाम का उल्लेख भी प्राप्त हुआ है, जो पूरी तरह से उस काल की पुष्टि एवं प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

रामसेस द्वितीय के बारे में:

- रामसेस द्वितीय प्राचीन मिस्र के 19वें राजवंश का तीसरा फैरो था जिसने 1279 से 1213 ईसापूर्व तक कनान और नुबिया क्षेत्र में शासन किया था। इसका शासन काल मिस्र का स्वर्ण युग कहा जाता है।
- रामसेस द्वितीय 14 वर्ष की उम्र में मिस्र का उत्तराधिकारी बना। अपने बचपन में ही वह मिस्र के सिंहासन पर बैठा और 66 वर्ष तक 90 वर्ष की उम्र तक शासन करता रहा जोकि फैरो राजाओं में सबसे लंबा शासन काल है। अपने शासन काल की शुरुआत में उसने पहले स्मारक और मंदिर बनाए बाद में नगर बसाने पर ध्यान दिया। उसने सीरिया पर हमला करने के लिए पी रामसेस नाम का नगर बसाया और फिर उसने इसी नगर को अपनी नई राजधानी भी बनाया था।
- रामसेस द्वितीय प्राचीन मिस्र का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली फैरो था। साथ ही मिस्र का आखिरी महान फैरो भी। 1213 में उसकी मृत्यु के बाद, मिस्र कमजोर पड़ गया और फिर विदेशी साम्राज्यों का प्रांत बन गया। रामसेस द्वितीय के प्रताप से लोग पिछले सभी महान फैरो जैसे सेती प्रथम और ठुतोमोस तृतीय की वीरता को भूल गए।
- वर्तमान में यह कनान और बुनिया क्षेत्र आधुनिक इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में शामिल हुआ माना जाता है।

आगे की राहः

- इजरायल एंटीक्विटीज अथॉरिटी का मानना है कि इस गुफा के मिलने से न केवल कांस्य युग के अंत्येष्टि रीति-रिवाजों के बारे में पता चलेगा, बल्कि उस काल से जुड़े और अहम तथ्य प्रकाश में लाए जा सकेंगे।

2 कुतुब शाही मकबरा

चर्चा में क्यों?

हाल ही के दिनों में हैदराबाद में कुतुब शाही मकबरा परिसर के अंदर 6 कुओं (बावड़ियों) को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से एक परियोजना की शुरूआत की गयी, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर शहर के लिए एक मजबूत आधार बनाने में मददगार साबित होगी।

प्रमुख बिंदुः

- यह परियोजना अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास द्वारा वित्त पोषित और आगा खान सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
- यह परियोजना मकबरा परिसर के अंदर 6 बावड़ियों के संरक्षण का समर्थन करती है, जो मानसून के दौरान 15 मिलियन लीटर वर्षा जल का संरक्षण करेगी और 106 एकड़ के हेरिटेज पार्क के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करेगी।
- पुनर्स्थापित किए गए मध्ययुगीन कुओं में 16.5 मीटर गहरे (लगभग पांच मंजिला) एवं 3.5 मिलियन लीटर क्षमता वाली बड़ी बावली और जमशेद कुली के मकबरे के पास एक समान रूप से विशाल बावड़ी के साथ-साथ 4.7 मिलियन लीटर क्षमता वाला हम्माम बावली भी शामिल है।
- 15वीं शताब्दी के कुतुब शाही मकबरा परिसर में कई मकबरे, गोलकुंडा

का किला, अंत्येष्टि मस्जिद, कुएं और मनीकृत बगीचा मौजूद हैं।

गोलकुंडा का किला:

- इस किले को वर्ष 1143 ई. में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था जो वर्तमान में हैदराबाद के पश्चिमी भाग में स्थित है। पहले यह किला मंकल के नाम से जाना जाता था।
- प्राचीन इतिहास में वारंगल के राजाओं के शासनकाल में यह एक मिट्टी का किला था।
- यह 14वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य बहमनी सुल्तानों और फिर कुतुब शाही वंश द्वारा संरक्षित किया गया था। यह गोलकुंडा, कुतुब शाही राजाओं की प्रमुख राजधानी भी रह चुका है।
- किले के आंतरिक भाग में महल, मस्जिद और एक पहाड़ी मंडप के खंडहर मौजूद हैं, जिनकी ऊँचाई लगभग 130 मीटर है जो अन्य इमारतों को देखने के लिये विहंगम दृश्य प्रदान करते हैं।

कुतुब शाही मकबरा:

- गोलकुंडा किले से दो किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित है जो 42 मीटर ऊँचा है। कुतुब शाही मकबरा फारसी, हिंदू और पठानी वास्तुकला की शैलियों में निर्मित है।
- सबसे प्रभावशाली मकबरों में से एक यह मकबरा हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया है।

- इब्राहिम बाग के सुंदर उद्यानों के बीच इन मकबरों की स्थापना की गई है जिससे इनकी सुन्दरता और अधिक बढ़ जाती है। ये मकबरे सात कुतुब शाही राजाओं को समर्पित हैं जिन्होंने लगभग 170 वर्षों तक गोलकुंडा पर शासन किया था।
- इसमें छोटा मकबरा एक मंजिला और बड़े मकबरे दो मंजिला हैं। इनके गुंबद नीले और हरे रंग के पत्थरों से बनवाये गये थे लेकिन समय के साथ-साथ ये मिटते गए और आज इनमें से कुछ पत्थर ही अवशेष के रूप में बचे हैं।
- यहां आस-पास बगीचे भी हैं जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।

आगा खान सांस्कृतिक ट्रस्ट:

वर्ष 1988 में आगा खां चतुर्थ (इमाम) द्वारा स्थापित 'आगा खान सांस्कृतिक ट्रस्ट', आगा खां डवलपमेंट नेटवर्क के अधीन एक संस्था है। यह संस्था मुस्लिम समाज की इमारतों व समुदायों के भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सुधार हेतु कार्य करती है। इस संस्था का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

3 अम्बेडकर सर्किट

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार ने प्रस्तावित अंबेडकर सर्किट को बढ़ावा देने के लिए विशेष एसी ट्रेन को चलाने की घोषणा की है।
- केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने धर्मशाला में राज्य के पर्यटन मंत्रियों के साथ 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और अंबेडकर सर्किट के स्थानों को शामिल करने के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू करने की घोषणा की।

अम्बेडकर सर्किट:

- अंबेडकर सर्किट या पंचतीर्थ को पहली बार 2016 में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

इस सर्किट में निम्नलिखित स्थलों को जोड़ा जाएगा:

1. जन्मभूमि- मध्य प्रदेश में अम्बेडकर का जन्मस्थान।
2. शिक्षा भूमि- लंदन में वह स्थल जहां रहकर पढ़ाई की।
3. दीक्षा भूमि- नागपुर में वह स्थान जहाँ अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। भारत सरकार इस दीक्षा भूमि को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेगी।
4. महापरिनिर्वाण भूमि- दिल्ली में वह स्थान जहाँ उनका निधन हुआ।
5. चैत्य भूमि- मुंबई में उनके दाह-संस्कार का स्थान।

- प्रस्तावित अंबेडकर सर्किट हाल ही में लांच किए गए रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट की तर्ज पर बनाया जाएगा।
- वर्तमान में रामायण, बौद्ध और उत्तर पूर्व सर्किट के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
- जून के महीने में अयोध्या और नेपाल में जनकपुरी को जोड़ने वाले रामायण सर्किट के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई गयी थी।

स्वदेश दर्शन योजना:

- यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-2015 में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास को प्राप्त करने के लिए शुरू की गई थी।
- यह योजना राष्ट्रीय पर्यटन नीति के तहत संचालित है। इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना

के द्वारा 15 पर्यटक सर्किटों की पहचान की गयी है, जो निम्नलिखित हैं-

1. रामायण सर्किट, 2. बौद्ध सर्किट, 3. तटीय सर्किट, 4. डेजर्ट सर्किट, 5. इको सर्किट, 6. हेरिटेज सर्किट, 7. उत्तर-पूर्व सर्किट, 8. हिमालय सर्किट, 9. सूफी सर्किट, 10. कृष्णा सर्किट, 11. ग्रामीण सर्किट, 12. आदिवासी सर्किट 13. तीर्थंकर सर्किट 14. आध्यात्मिक सर्किट 15. वन्यजीव सर्किट।

- मार्च 2022 तक, भारत सरकार ने इन 15 सर्किटों के निर्माण एवं विकास हेतु 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इन परियोजनाओं के लिए 5,445 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं।

प्रसाद योजना:

- भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय के तहत वर्ष 2014-2015 में प्रसाद योजना शुरू की थी। प्रसाद योजना का पूर्ण रूप तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्द्धन अभियान है। यह योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने और भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने एवं उनके पहचान करने पर केंद्रित है।

आगे की राह:

इन सर्किटों का समग्र उद्देश्य स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि योजनाओं को एकीकृत करके देश भर में बड़ी संख्या में देशी तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना, बुनियादी ढांचे, सड़क एवं रेल संपर्क को बढ़ाना और पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों को सृजित करना है।

4 वाराणसी को एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया

चर्चा में क्यों?

16 सितंबर, 2022 को समरकंद (उज्बेकिस्तान) में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक में 2022-2023 की अवधि के दौरान वाराणसी शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया था।

नामांकन का प्रभाव:

1. एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में वाराणसी का नामांकन भारत एवं एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा।
2. इस प्रमुख सांस्कृतिक आउटरीच के तहत, वाराणसी में 2022-23 के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें एससीओ सदस्य देशों के मेहमानों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
3. इन आयोजनों में विचारकों, विद्वानों, लेखकों, संगीतकारों, कलाकारों, पत्रकारों, यात्रा ब्लॉगर्स और अन्य आमंत्रित अतिथियों के आने की उम्मीद है।

वाराणसी के बारे में:

1. वाराणसी उत्तर भारत में गंगा नदी पर स्थित एक शहर है जो दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक माना जाता है।
2. यह शहर लंबे समय से एक शैक्षिक और संगीत का केंद्र रहा है। कई प्रमुख भारतीय दार्शनिक, कवि, लेखक और संगीतकार इस शहर में रहे हैं। यहीं पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना विकसित हुआ था। 20वीं सदी में हिन्दी-उर्दू लेखक प्रेमचंद और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां इसी शहर से जुड़े थे।
3. भारत का सबसे पुराना संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान स्थापित किया गया था।

एससीओ के बारे में:

1. शंघाई सहयोग संगठन एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। भौगोलिक क्षेत्र और जनसंख्या के संदर्भ में, यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है जो यूरेशिया के लगभग 60% क्षेत्रफल, विश्व जनसंख्या का 40% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30% से अधिक कवर करता है।
2. एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा की गई थी।
3. पिछले कुछ वर्षों से इस संगठन ने क्षेत्रीय स्तर के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है जिससे इसकी महत्ता वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने थे।

निष्कर्ष:

- यह कदम निश्चित रूप से एससीओ की विविधता में एकता को बढ़ाएगा और संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देगा। भारत का समृद्ध सांस्कृतिक और सभ्यतागत इतिहास एक साथ काम करने के लिए सदस्य देशों को और अधिक निकटता से जोड़ेगा।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

1. लिथियम आयन बैटरी

भारत के पहले लिथियम बैटरी निर्माण संयंत्र की स्थापना तिरुपति, आंध्र प्रदेश में की गयी है। यह अत्याधुनिक संयंत्र चेन्नई स्थित मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ स्थापित किया गया है। यह संयंत्र 10 एम्पीयर प्रतिघंटा (एएच) की क्षमता वाली 20,000 सेलों का उत्पादन करके भारत की लगभग 60 प्रतिशत जरूरतों को पूरा करेगा। वर्तमान में, भारत लिथियम-आयन सेलों का आयात मुख्य रूप से चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और हांगकांग से करता है।

लिथियम आयन बैटरी एक प्रकार की पुन: चार्ज करने योग्य बैटरी है। इस बैटरी के डिस्चार्ज होने में लिथियम आयन कैथोड से एनोड की तरफ प्रवाहित होते हैं, जबकि बैटरी के चार्ज होने में विपरीत दिशा में।

2. पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने हाल ही में कंबोडिया के सिएम रीप शहर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

- बैठक में सभी 10 आसियान देशों के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका सहित 8 भागीदार देशों ने भी प्रतिभाग किया।
- मंत्रियों ने 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के परिणामों, महामारी के बाद आर्थिक सुधार के प्रयासों, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए गए उपायों और मजबूत मुद्रास्फीति दबाव सहित वैश्विक एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) के बारे में:

- ईएएस रणनीतिक वार्ता के लिए इंडो-पैसिफिक का प्रमुख मंच है। यह एकमात्र ऐसा मंच है, जिस पर सभी प्रमुख इंडो-पैसिफिक पार्टनर इस क्षेत्र के सामने आने वाली राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं तथा निकट क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- आसियान मंच का नेतृत्व करता है और अध्यक्ष की स्थिति आसियान सदस्य राज्यों के बीच सालाना परिवर्तित होती है।

3. यूएई पहला लूनर रोवर लॉन्च करेगा

संयुक्त अरब अमीरात नवंबर 2022 में अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करेगा।

दुबई के शासक परिवार के लिए नामित राशिद रोवर को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। चंद्र मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

यदि चंद्र मिशन सफल होता है, तो संयुक्त अरब अमीरात, जापान, अमेरिका, रूस और चीन के साथ शामिल होगा, जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर एक अंतरिक्ष यान उतारा है।

पहले से ही यूएई का एक उपग्रह वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए मंगल की परिक्रमा कर रहा है। राशिद रोवर से चंद्रमा की सतह, चंद्रमा की सतह पर गतिशीलता और विभिन्न सतहों के चंद्र कणों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं? इसका यह अध्ययन करने की उम्मीद है। 10-किलोग्राम (22-पाउंड) रोवर में दो उच्च-रिजॉल्यूशन कैमरे, एक सूक्ष्म कैमरा, एक थर्मल इमेजरी कैमरा, एक जांच और अन्य उपकरण होंगे।

4. जीवाश्म ईंधन की वैश्विक रजिस्ट्री

दुनिया के जीवाश्म ईंधन उत्पादन, भंडार और उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए हाल ही में अपनी तरह का पहला डाटाबेस लॉन्च किया गया।

- सूची में 89 देशों में 50,000 से अधिक तेल, गैस और कोयला क्षेत्रों के डाटा शामिल हैं जो वैश्विक उत्पादन के 75 प्रतिशत को कवर करते हैं।
- शीर्ष-12 सबसे अधिक प्रदूषण करने वाले स्थल सभी खाड़ी क्षेत्र या रूस में थे। यह दर्शाता है कि ये भंडार 3.5 ट्रिलियन टन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करेंगे, जोकि औद्योगिक क्रांति के बाद से उत्पादित सभी उत्सर्जन से अधिक है।
- **महत्त्व:** जीवाश्म ईंधन उत्पादन के आसपास पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाकर, रजिस्ट्री का उद्देश्य शेष कार्बन बजट पर निष्कर्षण प्रभावों की समझ में सुधार करना और अंतत: निर्णय निर्माताओं द्वारा इसके प्रबंधन को सूचित करना है।

5. AIBD में भारत की अध्यक्षता एक और वर्ष के लिए बढ़ाई गई

प्रतिष्ठित एशिया-प्रशांत इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट (AIBD) में भारत की अध्यक्षता को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

- नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में एआईबीडी सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया।
- वर्तमान में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल AIBD के अध्यक्ष हैं।
- एआईबीडी, 1977 में स्थापित किया गया।
- यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएन-ईएससीएपी) का एक अद्वितीय क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
- एआईबीडी में वर्तमान में 26 देश हैं जिनका प्रतिनिधित्व 43 संगठनों और 52 संबद्ध सदस्यों द्वारा किया जाता है।

6. महासागर प्रेक्षण प्रणाली रिपोर्ट कार्ड 2022

यह रिपोर्ट ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम (GOOS) द्वारा जारी की गई थी।

- रिपोर्ट 2017 से सालाना प्रकाशित की जा रही है।
- रिपोर्ट के अनुसार, विश्व के महासागरों में कार्बन सांद्रता का निरीक्षण करने की प्रणाली अपर्याप्त है, क्योंकि मानव गतिविधियों के कारण प्रतिवर्ष वायुमंडल में उत्सर्जित 40 गीगाटन कार्बन का 26% महासागरों द्वारा अवशोषित किया जाता है।
- GOOS महासागर के निरंतर अवलोकन के लिए एक वैश्विक प्रणाली है। यह एक अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग (IOC) के नेतृत्व वाला कार्यक्रम है। आईओसी यूनेस्को का हिस्सा है। IOC अंतर्राष्ट्रीय एग्रो कार्यक्रम का समर्थन करता है जो लगभग 3,800 तैरते रोबोटिक उपकरणों की एक वैश्विक सारणी रखता है। यह दुनिया के महासागर के ऊपरी 2,000 मीटर के दबाव, तापमान और लवणता को मापते हैं।

7. सामरिक गैस भण्डार

भारत अपने सामरिक पेट्रोलियम भंडार (एसपीआर) की तर्ज पर एक सामरिक गैस भण्डार स्थापित करने की योजना में तेजी ला रहा है।

- भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक है।
- वित्त वर्ष 2012 में प्राकृतिक गैस के आयात और स्थानीय उत्पादन के परिणामस्वरूप देश में 64.8 अरब घन मीटर की आपूर्ति हुई।
- भारत ने वित्तीय वर्ष 2022 में 34.02 अरब मानक घन मीटर का उत्पादन किया।
- गेल के हाल के विकास ने रूस के गजप्रोम से अपने अनुबंधित उत्पाद को सुरक्षित करने में विफल रहने और बाजारों में अत्यधिक कीमतों पर खरीदने के लिए सामरिक भंडारण की योजनाओं को तेज कर दिया है।
- मौजूदा कीमत (जिस पर गेल को मजबूरन खरीदना पड़ता है) पहले से अनुबंधित (गजप्रोम के साथ) की तुलना में काफी अधिक है, जो $15-17 प्रति एमएमबीटीयू के बीच है।

योजना के बारे में:

- मौजूदा तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) सुरंगों और खाली तेल के कुओं का उपयोग गैस भंडार के लिए किया जा सकता है। साथ ही बड़े नमक गुफाओं जैसे नए भूमिगत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।
- भंडारण सुविधाओं को पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे के करीब चुना जा सकता है ताकि जरूरत के समय ईंधन को आसानी से ले जाया जा सके।
- भारत भी अपने राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 20,000 किमी से बढ़ाकर 35,000 किमी कर रहा है।
- देश की गैस मांग उर्वरक उद्योग, बिजली, शहर गैस वितरण और इस्पात क्षेत्रों द्वारा संचालित होने की उम्मीद है।
- भारत में विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादुर में 5.33 मिलियन टन भूमिगत सामरिक तेल भंडार सुविधाएं हैं।

8. मवेशी नियंत्रण विधेयक

गुजरात विधानसभा ने हाल ही में सर्वसम्मति से राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक को वापस ले लिया।

- बिल में यह अनिवार्य किया गया है कि पशुपालकों को शहरों और कस्बों में आवारा गायों और सांडों जैसे जानवरों को रखने और उन्हें टैग करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है, ऐसा न करने पर उन्हें पुलिस कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।
- बिल में यह अनिवार्य किया गया है कि अपने मवेशियों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, मालिक को मवेशियों को टैग करवाना होगा और मवेशियों को सड़कों या शहर के किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकना होगा।

मवेशी टैगिंग:

- अगर मालिक 15 दिनों में अपने मवेशियों को टैग करने में विफल रहता है, तो उसे बिल के प्रावधानों के अनुसार कारावास से दंडित किया जाएगा जो एक साल तक बढ़ सकता है या 10,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
- शहरों के गैर-निर्दिष्ट क्षेत्रों में मवेशियों के लिए चारे की बिक्री भी विधेयक के तहत प्रतिबंधित है क्योंकि यह सार्वजनिक स्थानों और विशेष रूप से सड़कों पर समस्या पैदा करता है।
- इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति जो अधिकारियों के साथ मारपीट करता है या नागरिक अधिकारियों द्वारा मवेशी पकड़ने के संचालन के दौरान बाधा उत्पन्न करता है, उसे एक साल की कैद और न्यूनतम 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
- टैग के बिना मवेशियों को जब्त कर लिया जाएगा और अधिकारियों द्वारा एक स्थायी शेड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और 50,000 का जुर्माना देने के बाद ही इन्हें रिहा किया जाएगा।

9. वाणिज्यिक पत्र

सेबी ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) को वाणिज्यिक पत्र जारी करने की अनुमति दी है।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले महीने संकेत दिया था कि कम से कम 100 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति वाले InvIT और REIT वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए पात्र हैं। वाणिज्यिक पत्र एक असुरक्षित मुद्रा बाजार साधन है जो अल्पावधि उधार लेने के लिए वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है (7 दिन-1 वर्ष)। इसे 1990 में एक निजी तौर पर रखे गए साधन के रूप में पेश किया गया था ताकि उच्च श्रेणी के कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को अल्पकालिक उधार के अपने स्रोतों में विविधता लाने में सक्षम बनाया जा सके। सीपी पर परिचालनात्मक दिशानिर्देश फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) द्वारा जारी किए जाते हैं।

जारी करने के लिए कौन पात्र है?

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई)।
- सहकारी समितियों/संघों, सरकारी संस्थाओं, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी और भारत में मौजूद कोई अन्य कॉर्पोरेट निकाय जिसकी कुल संपत्ति 100 करोड़ या उससे अधिक है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्राप्त कोई अन्य संस्था।

सीपी की अनिवार्य विशेषताएं:

- यह एक वचन पत्र के रूप में जारी किया गया और सेबी द्वारा अनुमोदित और पंजीकृत किसी भी डिपॉजिटरी के माध्यम से डीमैट रूप में रखा जाता है।
- न्यूनतम मूल्यवर्ग-5 लाख और उसके गुणकों में जारी किया जाता है ।
- अंकित मूल्य के छूट पर जारी किया जाता है।
- किसी भी जारीकर्ता के पास सीपी का मुद्दा अंडरराइट या सह-स्वीकृत नहीं होता है।
- सीपी पर ऑप्शन (कॉल/पुट) की अनुमति नहीं है।

10. चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद

लंबे समय से मांग की जा रही अनुरोधित चिकित्सा उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद को अंततः फार्मास्युटिकल विभाग, डीओपी, को बनाने की मंजूरी दी गई है।

- इसका मुख्यालय नोएडा में होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसके कार्यालय होंगे। परिषद निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
- भारतीय चिकित्सा उपकरणों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
- यह रणनीतिक कदम चिकित्सा उपकरणों के निर्यात और विनिर्माण विकास में तेजी लाने हेतु एक लंबा रास्ता तय करेगा। भारत वर्तमान में 23,766 करोड़ (2021-22) रुपये का चिकित्सा उपकरण निर्यात करता है जो पिछले वर्ष 19,736 करोड़ रुपये से अधिक है।
- **महत्त्व:** चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद, वैश्विक बाजार में निर्यात क्षमता और निवेश क्षमता को बनाने के लिए समन्वित अंतर-मंत्रालयी नीतिगत उपायों को लाने में मदद करेगा।

11. ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन

- हाल ही के दिनों में, ईरान की राजधानी तेहरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में, कम से कम 31 लोग मारे गए हैं। 80 से अधिक ईरान के शहरों में महिलाएं हिजाब जला रही हैं और अपने बाल काट रही हैं।
- ये प्रदर्शन उस समय शुरू हुए जब उत्तर-पश्चिमी शहर साकेज में 22 वर्षीय कुर्द महिला द्वारा अनिवार्य ड्रेस कोड का पालन न करने के कारण मोरल पुलिस की प्रताड़ना से एक महिला महसा अमिनी की मौत हो गयी थी।
- सार्वजनिक पहचान को छुपाने के लिए ईरान में एक अनिवार्य ड्रेस कोड के तहत महिलाओं को एक हेडस्कार्फ और ढीले-ढाले कपड़े पहनने पड़ते हैं।
- अमेरिका ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए मोरल पुलिस पर प्रतिबंध लगा दिया है।

12. छेलो शो

- गुजराती फिल्म 'छेलो शो' द कश्मीर फाइल्स और आरआरआर को पीछे छोड़ते हुए 95वें अकादमी पुरस्कारों में नामित हुई है। पान नलित द्वारा निर्देशित इस फिल्म की कहानी गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के गांव में रहने वाले एक नौ साल के बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे सिनेमा देखना बहुत पसंद है।
- 10 जून, 2021 को 20वें ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुए इसके वर्ल्ड प्रीमियर के बाद इसे जर्मनी, स्पेन, जापान, इजराइल और पुर्तगाल में रिलीज किया गया था। फिल्म ने अक्तूबर 2021 में 66वें वालाडोलिड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन स्पाइक जीता था। 11वें बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में तियानटन पुरस्कारों के लिए नामांकित की गयी थी।
- 1927 में अमेरिका में स्थापित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदत्त इस एकेडमी पुरस्कार को आस्कर कहा जाता है।

13. जिमेक्स-2022

- हाल ही में, भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर, जापान-भारत नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास-2022 के छठे संस्करण, जिमेक्स-22 को भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया।
- जिमेक्स-22 का यह संस्करण जिमेक्स की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 2012 में जापान में शुरू हुआ था। जिमेक्स-22 सतह, उप-सतह और वायु में जटिल अभ्यासों के माध्यम से दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच उच्च स्तर के आपसी समन्वय को मजबूत करने का प्रयास करता है।
- यह अभ्यास 2+2 भारत-जापान मंत्रिस्तरीय वार्ता के बाद, दो चरणों में किया गया। पहले, समुद्र में फिर, विशाखापत्तनम बंदरगाह पर।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. पूर्व डच हॉकी खिलाड़ी और पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच, सोजर्ड मारिन ने "विल पावर: द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वूमेन हॉकी" नामक एक नई पुस्तक लिखी है। यह हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित है।
2. भारत का 'पहला वानिकी विश्वविद्यालय' तेलंगाना में स्थापित होने वाला है।
3. लेखक, पी.सी. बालासुब्रमण्यम (पीसी बाला) ने अंग्रेजी में नयी किताब "रजनी के मंत्र: लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडियाज मोस्टलव्ड सुपरस्टार" लिखी। यह जैको पब्लिशिंग हाउस (इंडिया) द्वारा प्रकाशित किया गया है।
4. हाल ही में, राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने मेडागास्कर के साथ समझौता किया है।
5. सेंट्रल जू ऑथोरिटी द्वारा दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया है। वहीं चेन्नई के जूलॉजिकल पार्क को दूसरा और मैसूर जूलॉजिकल गार्डन को तीसरा स्थान मिला है। इन सभी का मूल्यांकन चिड़ियाघर के मैनेजमेंट और बाकी मापदंडों के आधार पर किया जाता है।
6. झारखंड राज्य सरकार ने एससी, एसटी और अन्य के लिए आरक्षण बढाकर 77% किया है।
7. तेलंगाना राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम 'डॉ. बी. आर. अम्बेडकर' के नाम पर रखने की घोषणा की है।
8. सम्पत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है।
9. 'इमारतों में शून्य-कार्बन परिवर्तन' विषय पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-'आंगन 2022' (थीम- ऑगमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट) का दूसरा संस्करण सम्पन्न हुआ।
10. हाल ही में डूरंड कप का 131वां संस्करण बंगलुरु FC ने जीता।
11. तमिलनाडु राज्य सरकार ने 'नंजरायण टैंक' को 'पक्षी अभ्यारण्य' के रूप में अधिसूचित किया।
12. प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली को एलआईसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया गया।
13. सेना प्रमुख मनोज पांडे ने 'कारगिल इंटरनेशनल मैराथन' का उदघाटन लद्दाख में किया।
14. हाल ही में, बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की।
15. दिल्ली के उपराज्यपाल ने हाल ही में कम्यूनिटी पुलिसिंग पहल 'वी केयर' शुरू की।
16. हाल ही में अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है।
17. ओडिशा राज्य सरकार ने 'आजीविका कार्य योजना' के लिए 261 करोड़ रूपये का निवेश करने का निर्णय लिया है।
18. महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाल ही में 'दौलताबाद किले' का नाम बदलकर 'देवगिरि किला' करने की घोषणा की।
19. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इंफाल, मणिपुर में पहली तीन-दिवसीय 'फ्लोटिंग' फोटो प्रदर्शनी, लोकटक झील में आयोजित हुई। यह अभिनव प्रदर्शनी झील पर एक विशेष रूप से निर्मित फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर लगाई गई थी।
20. रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों: डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन क्षेत्रों के विलय की घोषणा की।

पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय पशुधन मिशन को क्रियान्वित कर रही है। इस सेक्टर की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना को वित्त वर्ष 2021-22 से संशोधित और पुन: व्यवस्थित किया गया है।

1. मिशन के उद्देश्य:

- छोटे जुगाली करने वाले, कुक्कुट पालन, सुअर पालन क्षेत्र और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार सृजन करना।
- नस्ल सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि।
- मांस, अंडा, बकरी का दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वृद्धि।
- चारा और बीज आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने और प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता के माध्यम से मांग को काफी हद तक कम करने के लिए चारे की उपलब्धता बढ़ाना।
- मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए चारा प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
- किसानों के लिए पशुधन बीमा सहित जोखिम प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना।
- मुर्गी पालन, भेड़, बकरी और चारा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उपयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए सुदृढ़ विस्तार मशीनरी के माध्यम से राज्य के पदाधिकारियों और पशुपालकों का क्षमता निर्माण।
- उत्पादन लागत को कम करने और पशुधन क्षेत्र के उत्पादन में सुधार के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकियों के प्रसार को बढ़ावा देना।

2. योजना का क्षेत्राधिकार:

यह योजना 2021-22 से पूरे भारत में लागू की गई है।

3. मिशन डिजाइन:

पुनर्गठित राष्ट्रीय पशुधन मिशन में निम्नलिखित तीन उप-मिशन शामिल होंगे:

- पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास पर उप-मिशन।
- चारा विकास पर उप-मिशन।
- नवाचार और विस्तार पर उप मिशन।

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

- परियोजना कार्यान्वयन समय।
- राज्य का हिस्सा समय पर जारी करना।
- राज्य में अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन में वृद्धि।
- उद्यमिता कार्यक्रम के माध्यम से अच्छे जर्मप्लाज्म की उपलब्धता में वृद्धि।

4. क्रियान्वयन एजेंसी:

राज्य पशुपालन विभाग के तहत स्थापित राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से राष्ट्रीय पशुधन मिशन को लागू किया गया है।

5. योजना की निगरानी:

- डाटा की व्यवस्था करना और ऑनलाइन निगरानी के लिए एमआईएस प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
- जीआई टैगिंग के जरिए संपत्तियों की निगरानी की जाएगी।
- राष्ट्रीय समीक्षा बैठक, क्षेत्रीय समीक्षा बैठक और राज्य समीक्षा बैठक में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
- इसके अलावा, प्रत्येक राज्य को प्रत्येक तिमाही में योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति प्रस्तुत करनी होगी।

6. राज्यों की रैंकिंग:

प्रदर्शन के लिए मानक होंगे:

- उद्यमिता कार्यक्रम के तहत स्थापित इकाईयों की संख्या।
- ऐसे उद्यमिता विकास के माध्यम से सृजित नौकरियों की संख्या।
- उत्पादित चारा बीज की मात्रा और चारा उत्पादन में सुधार।
- लाभान्वित किसानों की संख्या।
- बीमा कार्यक्रम के तहत बीमित पशुओं की संख्या।
- प्रचारित और वास्तव में कार्यान्वित की गई नवीन परियोजनाओं की संख्या।
- योजना के लिए किसानों और युवाओं में जागरूकता पैदा करना।
- विभाग द्वारा जारी निधियों का केन्द्रीय अंश के रूप में समय पर उपयोग।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

भारत ने 23 सितंबर, 2018 को रांची, झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के शुभारंभ के साथ आम आदमी को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। यह 65 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लक्षित करने की कला 'दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम' है।

1. मुख्य विशेषताएं:

- एबी-पीएमजेएवाई दुनिया की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना है।
- एबी-पीएमजेएवाई प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य आश्वासन प्रदान करता है।
- यह पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस योजना है।
- एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं।
- परिवार के आकार, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2011 की जनगणना से लाभार्थी परिवारों की पहचान की गई है।
- पात्र लाभार्थियों की संख्या 10.74 करोड़ परिवार (50 करोड़ लोग) हैं।
- एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाले 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 13.44 करोड़ परिवारों (65 करोड़ लोगों) को शामिल करने के लिए योजना के दायरे का और विस्तार किया गया है।
- पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और ओडिशा को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एबी-पीएमजेएवाई लागू की जा रही है।
- एबी-पीएमजेएवाई पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अनुपात में साझा किया जाता है।
- राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल परिचालन मॉडल में योजना को लागू करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है।
- इस प्रकार, एबी-पीएमजेएवाई को बीमा मोड, मिश्रित मोड और ट्रस्ट मोड में लागू किया जा रहा है।

2. त्रिस्तरीय मॉडल:

यह योजना पूरे देश में त्रिस्तरीय मॉडल के माध्यम से लागू की गई है।

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जो देश भर में एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने वाला शीर्ष निकाय है।
- **राज्य स्वास्थ्य एजेंसियां:** राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर एबी-पीएमजेएवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों की स्थापना की गई है।
- **जिला कार्यान्वयन इकाईयाँ:** योजना हितधारकों के बीच जमीनी समन्वय सुनिश्चित करने और सुचारू कार्यान्वयन के लिए जिला कार्यान्वयन इकाईयाँ की स्थापना की गई है।

3. पंजीकरण में सुधार के लिए उठाए गए कदम:

- **आपके द्वार आयुष्मान:** लाभार्थियों की पहचान को सत्यापित करने के लिए निम्नलिखित द्वारा जमीनी स्तर पर उपलब्ध नेटवर्क का लाभ उठाना:
  - » हेल्थकेयर वर्कर।
  - » फ्रंटलाइन वर्कर।
  - » पंचायती राज संस्थान।
  - » ग्राम स्तर के उद्यमी।
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की कल्याणकारी योजनाओं के अद्यतन डाटाबेस का उपयोग करके पीएमजेएवाई लाभार्थियों के बेहतर लक्ष्यीकरण के लिए इस सूची के पात्र व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें आयुष्मान कार्ड जारी करना।
- देश भर में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए चार अतिरिक्त एजेंसियां शामिल की गयी हैं।
- आयुष्मान कार्ड अनुरोधों की तत्काल स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए आठ अतिरिक्त एजेंसियां शामिल की गयी हैं।
- ग्राम स्तर के लाभार्थी डाटा तक पहुँच के लिए एक उन्नत स्थान आधारित खोज विकल्प।
- स्व/सहायता प्राप्त सत्यापन के लिए एक संशोधित 'सेल्फ बीआईएस' प्रणाली शुरू की गई।
- लाभार्थी रिकॉर्ड अनुमोदन के लिए क्राउड सोर्स अप्रूवल फंक्शनलिटी।

4. धोखाधड़ी का पता लगाना और डाटा गोपनीयता:

- किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा की जा सकने वाली संभावित धोखाधड़ी गतिविधियों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए गए हैं।
- राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर धोखाधड़ी रोधी प्रकोष्ठों की स्थापना की जाएगी और धोखाधड़ी को रोकने और उसका पता लगाने के लिए मजबूत आईटी उपकरण तैनात किए जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस

1. चर्चा मे क्यों?

- सांकेतिक भाषा दिवस, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC) द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तत्वावधान में मनाया गया।
- ISLRTC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है।

2. दिन की प्रमुख घटनाएँ:

- **थीम:** 'साइन लैंग्वेज यूनाइट अस'
- भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) शब्दकोश ऐप का शुभारंभ।
- कई ई-कंटेंट लॉन्च किए गए, जिनमें शामिल हैं:

1. कक्षा 6 की एनसीईआरटी पुस्तकों के लिए आईएसएल ई-कंटेंट।
2. एनबीटी द्वारा वीरगाथा शृंखला की चयनित पुस्तकों का आईएसएल ई-कंटेंट।
3. भारतीय सांकेतिक भाषा में कुल 500 शैक्षणिक शब्द।

- बधिर छात्रों और दुभाषियों के लिए उनकी रचनात्मकता, कौशल और ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए 5वीं आईएसएल प्रतियोगिता का आयोजन।

3. सांकेतिक भाषा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में:

- सांकेतिक भाषा हाथ और चेहरे के इशारों का एक सेट है जो संचार के लिए उपयोग किया जाता है।
- 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सांकेतिक भाषा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया था।
- भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (ISLRTC) हर साल इसे मनाता है।
- गृह मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति ने इस वर्ष 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत इसे मनाने की मंजूरी दी थी।
- सांकेतिक भाषा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को पहली बार 2018 में बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के एक भाग के रूप में मनाया गया था।
- वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ (WFD) द्वारा इस दिन का प्रस्ताव दिया गया था।
- 23 सितंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि यह वह दिन है जब 1951 में WFD की स्थापना हुई थी।

4. दिव्यांगों के सामने आने वाली समस्याएं और समाधान:

- दिव्यांगता एक ऐसी प्राकृतिक संरचना है जो समाज में अन्य लोगों की अपेक्षा भिन्न होते हैं।
- समाज को और अधिक मिलनसार होने की जरूरत है ताकि वे सभी के एक समान विकास का माध्यम बन सके।
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक मूल्य निर्धारण की आवश्यकता है, इसे निम्न के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है:

1. ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाए जो सभी के लिए सुलभ हो।
2. आसान आवाजाही के लिए सार्वजनिक स्थानों को एस्केलेटर, लिफ्ट आदि जैसी सुविधाओं से लैस किया जाए।
3. आम जनता के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा को सामान्य बनाया जाए।
4. दिव्यांगता के उन पहलू पर लोगों को शिक्षित किया जाए जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है, इससे लोगों के बीच दिव्यांगता के प्रति रूढ़ीवादी मानसिकता को बदला जा सकता है।
5. दिव्यांग व्यक्तियों का कौशल विकास और उनके लिए कुशल शिक्षा नीतियों का निर्माण होने से उन्हें सुखी जीवन जीने में सहायता कर सकती हैं।

5. भारत दिव्यांगों के लिए समावेशिता कैसे सुनिश्चित करता है:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में दिव्यांग लोगों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता की सुरक्षा की परिकल्पना की गई है।
- राज्य सूची में दिव्यांगों और बेरोजगारों की बेहतरी का उल्लेख है।
- पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित अनुसूची 11 और 12 में दिव्यांग लोगों के कल्याण के बारें में बात की गई है।
- दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 दिव्यांग लोगों की समावेशिता के लिए पहला कानून था।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना ने बधिर समुदाय द्वारा सही जा रही चुनौतियों को स्वीकारा था।
- 2015 में, ISLRTC को औपचारिक रूप से बधिर समुदाय की समावेशिता के लिए स्थापित किया गया था।
- केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में आईएसएल के मानकीकरण की घोषणा की थी।

ब्रेन-बूस्टर

1. चर्चा मे क्यों?

- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में लगभग 2479 गैंडे के सींगों को जलाने से एकत्रित हुई राख से निर्मित तीन गैंडों की प्रतिमाओं के एक स्मारक का अनावरण किया।

2. वर्ल्ड राइनो डे के बारे में:

- यह हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है।
- इस दिवस की घोषणा सबसे पहले वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) द्वारा की गई थी।
- यह पहली बार 2011 में मनाया गया था।
- वर्ष 2022 की थीम: 'फाइव राइनो स्पीशीज फॉरएवर"

3. एडोब ऑफ यूनिकॉर्न:

- स्मारक को 'एडोब ऑफ यूनिकॉर्न' के रूप में नामित किया गया।
- इसका अनावरण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में किया गया।
- इसमें तीन गैंडे की प्रतिमाएं शामिल हैं: एक बच्चा, एक नर और एक मादा।
- गैंडों की मूर्तियां लगभग 2479 गैंडे के सींगों की राख से बनाई गई हैं।
- पिछले साल, असम सरकार ने संरक्षण अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए लगभग 2479 गैंडों के सींग जलाए गये थे।
- गैंडों की प्रतिमा के साथ वन रक्षक की मूर्तियां भी लगाई गई जो विभिन्न सामग्रियों से बनी हुई हैं।

4. संरक्षण पहल:

- IUCN लाल सूची की स्थिति: कमजोर
- CITES: appendix 1
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची-1 में नामित
- एशियाई गैंडों 2019 पर नई दिल्ली Declaration गैंडों के संरक्षण का प्रयास करती है।
- पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गैंडों के लिए डीएनए प्रोफाइल बनाया है।
- राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण रणनीति 2019 का उद्देश्य एक सींग वाले गैंडे की रक्षा करना है।

5. ग्रेट इंडियन राइनो:

- राइनो शब्द प्राचीन ग्रीक से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'नोज हार्न'।
- वे राइनोसरॉटिडी परिवार से संबंधित स्तनधारी जानवर हैं।
- गैंडों की कुल पाँच प्रजातियाँ हैं:

1. सुमात्रा राइनो
2. ग्रेट इंडियन राइनो
3. ब्लैक राइनो
4. जावन राइनो
5. व्हाइट राइनो

- ग्रेट इंडियन राइनो जिसे भारतीय राइनो भी कहा जाता है, भारत और नेपाल की मूल प्रजाति है।
- आज उनकी कुल जनसंख्या लगभग 3700 की है।
- उनके एक काले सींग और त्वचा पर परतों के साथ भूरे रंग की खाल होती है।
- सींग केराटिन से बना होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो नाखूनों और बालों को बनाता है।
- ये असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं।
- भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान और बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान गैंडों के लिए कुछ प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं।

वर्ल्ड राइनो डे

7. इंडियन राइनो विजन 2020:

- यह विश्व वन्यजीव कोष इंडिया इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन और विभिन्न अन्य संगठनों के साथ साझेदारी में असम सरकार की एक पहल है।
- इसका मुख्य उद्देश्य पुनर्स्थापन और स्थानांतरण के माध्यम से गैंडों की आबादी को 3000 तक बढ़ाना था।

6. खतरा:

- आपदाओं और मानवीय गतिविधियों के कारण आवास विनाश।
- मानवजनित दबाव के कारण आसपास के अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या को लगातार घटना।
- राइनो की मृत्यु दर मौसम के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए सूखे के दौरान भोजन और पानी की कमी के कारण उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती हैं।
- मानवजनित कारणों में इलेक्ट्रोक्यूशन और विषाक्तता शामिल हैं।
- **अवैध शिकार:** गैंडों का शिकार उनके सींगों के लिए विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन सींगों का कुछ औषधीय गुण हैं जो वास्तव में अप्रमाणित और त्रुटिपूर्ण है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

1. डीबीटी के बारे में:

- सूचना/धन के सरल और तेज प्रवाह एवं धोखाधड़ी में कमी के लिए कल्याणकारी योजनाओं के सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2013 को डीबीटी शुरू किया गया था।
- योजना आयोग को डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया था।
- मिशन को जुलाई, 2013 में व्यय विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया था और यह 14 सितम्बर 2015 तक कार्य करता रहा।
- अधिक गति देने के लिए, 14 सितम्बर 2015 से डीबीटी मिशन और उससे संबंधित मामलों को कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय और पीजी) के अधीन स्थानान्तरित कर दिया गया था।

2. डीबीटी के उद्देश्य:

- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना।
- लाभार्थी तक पहुँच।
- भुगतान में कम विलंब।
- इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण का लाभ देना और लाभ प्रवाह में शामिल स्तरों को कम करना।

3. डीबीटी के घटक:

- लाभार्थी खाता सत्यापन
- भुगतान और निपटान
- कोर बैंकिंग समाधान
- आधार भुगतान ब्रिज (APB)

4. डीबीटी के लाभ:

- डीबीटी और अन्य शासन सुधारों से नकली लाभार्थियों को हटाया गया है और लीकेज आदि को बंद किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सरकार वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को लक्षित करने में सफल रही है।
- डीबीटी सरकारी प्रणाली में दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा और शासन में नागरिकों का विश्वास जगाएगा।
- आधुनिक तकनीक और आईटी उपकरणों के उपयोग से अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी।

4. पहुंच:

- डीबीटी के तहत 53 मंत्रालयों/विभागों की 319 योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।
- एक प्रक्रिया के रूप में, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सूक्ष्मतम विवरणों को रखरखाव किया जाता है।

4. डीबीटी से जुड़ी प्रमुख केंद्रीय योजनाएं:

पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान):

- PMKISAN योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना है।
- 6000/- प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- 2000/- रुपये को तीन किश्तों में स्थानांतरित किया जाता है।
- इसका भुगतान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा चिन्हित लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे किया जाता है।

एमजी नरेगा:

- यह एक मांग संचालित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है।
- देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान करता है।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को कम से कम सौ दिनों का गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसमें वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:

- PMMVY योजना लाभार्थियों को DBT के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
- इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (PW-LM) के बीच बेहतर स्वास्थ्य व्यवहार को प्रोत्साहित करना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण:

- ग्रामीण आवास कार्यक्रम में कमियों को दूर करने के लिए और योजना 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए, 1 अप्रैल, 2016 इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) को प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई) में पुनर्गठित किया गया था।

1.राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में:

- देशी गोजातीय नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम से विशेष रूप से महिलाओं को भी लाभ होगा क्योंकि पशुधन पालन में शामिल 70% से अधिक कार्य महिलाओं द्वारा किए जाते हैं।

2. उद्देश्य:

- उन्नत तकनीकों का उपयोग करके गायों की उत्पादकता और स्थायी तरीके से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए।
- प्रजनन उद्देश्यों से उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों का उपयोग करना।
- प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करने और किसानों के दरवाजे पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के वितरण के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान(एआई) कवरेज को बढ़ाने के लिए।
- वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देशी मवेशियों और भैंसों के पालन और संरक्षण को बढ़ावा देना।

3. परियोजना की अवधि:

वित्त पोषण पैटर्न पर 2021-2022 से 2025-26 तक पूरे देश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया जाएगा।

4. कार्यक्षेत्र और संचालन का क्षेत्र:

- **क्षेत्र:** राष्ट्रीय गोकुल मिशन पूरे देश में लागू किया जाएगा।
- **कार्यक्षेत्र:** दिशानिर्देशों में उल्लिखित गोजातीय आबादी के आनुवंशिक उन्नयन से संबंधित सभी घटक आरजीएम के तहत वित्त पोषण के लिए पात्र होंगे।

5. क्रियान्वयन एजेंसियां:

- राज्य पशुधन विकास बोर्ड
- राज्य दुग्ध संघ
- केंद्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान,
- केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म,
- राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और उसके संस्थान

राष्ट्रीय गोकुल मिशन

8. परियोजना की निगरानी:

- परियोजना की निगरानी पांच साल की अवधि में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की जाएगी।
- मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी
- आईवीएफ गर्भधारण से संबंधित सभी गतिविधियों को आईएनएपीएच डेटा बेस पर अपलोड किया जाएगा।

कौशल विकास
किसान जागरूकता
गोजातीय प्रजनन में अनुसंधान विकास और नवाचार

6. राज्य रैंकिंग:

आरजीएम रैंकिंग निम्नलिखित मापदंडों पर प्रदान की जाएगी:

1. मौजूदा एआई कवरेज से एआई कवरेज में वृद्धि।
2. राष्ट्रव्यापी एआई कार्यक्रम के कार्यान्वयन के तहत प्राप्त लक्ष्यों का प्रतिशत।
3. MAITRI की स्थापना में प्राप्त लक्ष्यों का प्रतिशत।
4. योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करना।
5. किसानों/ एनएआईपी/ लिंग क्रमबद्ध वीर्य/ आईवीएफ प्रौद्योगिकी के लाभार्थियों से फीडबैक।

7. अवयव:

उच्च आनुवंशिक योग्यता जर्मप्लाज्म की उपलब्धता:

a) सांड उत्पादन कार्यक्रम
- संतति परीक्षण
- वंशावली चयन
- जीनोमिक चयन
- जर्मप्लाज्म का आयात

b) वीर्य स्टेशनों को सहायता: मौजूदा वीर्य स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण।

c) आईवीएफ प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन
- आईवीएफ प्रयोगशालाएं
- इन विट्रो भ्रूण उत्पादन प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन
- सुनिश्चित गर्भावस्था पाने के लिए आईवीएफ तकनीक का कार्यान्वयन

d) नस्ल गुणन फार्म

कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क का विस्तार

a) मैत्री की स्थापना
b) राष्ट्रव्यापी एआई कार्यक्रम
c) सुनिश्चित गर्भावस्था पाने के लिए सॉर्ट किए गए वीर्य का उपयोग करना
d) राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन का कार्यान्वयन

स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण

a) गौशालाओं, गोसदनों और पिंजारापोलों को सहायता
b) राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का प्रशासनिक व्यय/ संचालन

फिनलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि प्लास्टिक पौधों, जानवरों और मछलियों के माध्यम से मानव खाद्य जाल में प्रवेश कर सकता है।

2. नैनो प्लास्टिक क्या हैं?

- नैनो प्लास्टिक छोटे प्लास्टिक मलबे के कण होते हैं जो 1,000 नैनोमीटर से छोटे होते हैं।
- यह माइक्रोप्लास्टिक से भी छोटे होते हैं
- यह सामान्य आंखों से भी दिखाई नहीं देते हैं और कभी-कभी एक साधारण ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी इनका पता नहीं लगाया जा सकता है।
- अपने छोटे आकार के कारण, यह आसानी से शारीरिक बाधाओं को पार करते हैं और एक जीव में प्रवेश कर जाते हैं।

ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं:

1. **प्राथमिक:** जो कंपनियों द्वारा सौंदर्य प्रसाधन साबुन आदि के लिए निर्मित किए जाते हैं।
2. **द्वितीयक:** जो अपशिष्ट प्लास्टिक के विघटन से उत्पन्न होते हैं।

3. प्लास्टिक एक खतरे के रूप में:

- प्लास्टिक 'वरदान बने अभिशाप' का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- इसका नाम 'प्लास्टिकोस' से लिया गया है, जिसका अर्थ है "आकार लेने में सक्षम"
- 1950 से 2015 तक लगभग 8300 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन किया गया है।
- वर्तमान उत्पादन और प्रबंधन दर के अनुसार, 2050 तक यह प्लास्टिक उत्पादन 12000 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा।
- प्लास्टिक उत्पादन में 24% हिस्सा, घरेलू खपत में पैकेजिंग सामग्री का है।
- प्लास्टिक के प्रत्येक चरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है।

4. भारत में प्लास्टिक:

- 2019-20 के दौरान भारत में लगभग 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन हुआ था।
- प्लास्टिक उद्योग सबसे बड़े रोजगार जनरेटर में से एक है जिसका मूल्य लगभग 5.1 लाख करोड़ रुपये हैं।
- प्लास्टिक का उत्पादन करने वाली 30000 यूनिट में से 90% छोटे और मध्यम आकार के उद्यम हैं।

नैनोप्लास्टिक

5. भारतीय पहल:

- 1999 में, पर्यावरण और वन मंत्रालय (तत्कालीन MoEF) ने प्लास्टिक पर पहला कानून अर्थात् प्लास्टिक निर्माण बिक्री और उपयोग नियम अधिसूचित किया।
- प्लास्टिक कचरा (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 2011 को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (पीडब्लूएम) के मुद्दे के समाधान के लिए पेश किया गया था।
- इन नियमों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, के तहत पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) द्वारा पेश किया गया था।
- भारत सरकार ने प्लास्टिक प्रबंधन के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जो इस प्रकार हैं:

1. व्यवहार परिवर्तन
2. संस्था तंत्र
3. विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी

- 2019 में, भारतीय प्रधानमंत्री ने 2022 तक एसयूपी (एकल उपयोग प्लास्टिक) को समाप्त करने का आह्वान किया।
- 18 जनवरी 2022 की अधिसूचना के अनुसार 'गिरावट की डिग्री' और 'विघटन की डिग्री' का निर्धारण बीआईएस द्वारा विकसित उपयुक्त मानकों का पालन करेगा।
- 16 फरवरी 2022 को अधिसूचित पीडब्लूएम संशोधन नियमों ने प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी को कानूनी बल दिया।

6. प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रौद्योगिकी:

- यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित GoJelly परियोजना जहां जेलीफिश म्यूकस नैनोसाइज्ड कणों को पकड़ता है और बांधता है, इस प्रकार से वह अपशिष्ट को जल से हटा देता है।
- पोर्टुगल द्वारा CLEVER-वॉल्यूम सेंसर का उपयोग होता है, जो पोर्ट अधिकारियों को रिपोर्ट किए गए जहाज कचरे की मात्रा को प्रमाणित करने में सहायता देता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में CoraBall, कपड़े धोने की मशीन में रखे जाने पर माइक्रोफाइबर शेड को हटाने में मदद करती हैं।

- BluePhin, एक बैटरी चालित शून्य कार्बन उत्सर्जन रोबोट है जो तैरते हुए कचरे को इकट्ठा करने के लिए एआई का उपयोग करता है।
- नेटटैग, कम लागत वाला ट्रांसपोंडर है जो मछुआरों को खोए हुए जालों का पता लगाने और उन्हें पुनर्प्राप्त करने में सहायता देता है।

प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

01. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा, वनस्पतिजात और प्राणीजात की कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए की जाती है।
2. वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जैव हस्तक्षेप की अनुमति होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 1 और 2 दोनों
(d) कोई नहीं

02. हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किन्तु उसमें से बहुत-सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि:
1. वह बाह्य समतापमंडल में पलायन कर जाती है।
2. समुद्रों में पादपप्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं।
3. ध्रुवीय बर्फ-छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

03. पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में, समुद्री उत्प्रवाह (अपवेलिंग) क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम/माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं:
1. अपघटक सूक्ष्मजीवियों को सतह पर लाकर
2. पोषकों को सतह पर लाकर
3. अध:स्थली जीवों को सतह पर लाकर

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

04. निम्नलिखित में से कौन-से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं?
1. कार्बन
2. हाइड्रोजन
3. ऑक्सीजन
4. नाइट्रोजन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

05. मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल ह्रास रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा/से पर्ण रूपान्तरण होता है/होते हैं?
1. कठोर एवं मोमी पर्ण
2. लघुपर्ण अथवा पर्णहीनता
3. पर्ण की जगह काँटें

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

06. जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए:
1. चमगादड़
2. मधुमक्खी
3. पक्षी

उपर्युक्त जीवों में से कौन-सा/से परागणकारी एजेंट है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

07. निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए
1. सिलीगुड़ी
2. कोलकाता
3. सितवे
4. पालेतवा
5. इम्फाल

उपर्युक्त में से कौन से स्थान कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से जोड़े जायेंगे?

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2, 3 और 4
(c) केवल 3, 4 और 5
(d) केवल 1, 2 और 5

08. 'सागरमाला परियोजना' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह सड़क निर्माण और राजमार्ग मंत्रालय के तहत प्रमुख (फ्लैगशिप) परियोजना है।
2. सागरमाला योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को विकसित करना और सड़क मार्ग तथा रेलवे जैसे परिवहन के कई साधनों के साथ बंदरगाह कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
3. इसकी घोषणा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग शिखर सम्मेलन के दौरान की थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

09. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए:

	तेल भंडार	:	राज्य
1.	डिगबोई	:	पश्चिम बंगाल
2.	बीना	:	मध्य प्रदेश
3.	अशोकनगर	:	असम
4.	कोयली	:	गुजरात

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 2 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

10. गुरु तेग बहादुर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. वे छठे सिख गुरु थे।
2. वर्ष 2021 को, उनकी 400वीं जयंती मनाने के लिए 400वें प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया।
3. नई दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब उस जगह के ऊपर बनाया गया था जहां उनका सिर कलम किया गया था।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारी धातुएँ वे धातुएँ होती हैं जिनका घनत्व अधिक होता है लेकिन परमाणु भार कम होता है।
2. पीने के पानी में भारी धातुओं की अधिक मात्रा से अल्जाइमर रोग हो सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

12. निम्नलिखित जीवों पर विचार कीजिए:

1. एगैरिकस
2. नॉस्टॉक
3. स्पाइरोगाइरा

उपर्युक्त जीवों में से कौन-सा/से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है/होते हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

13. रुपये की पूर्ण विनिमयता का अभिप्राय हो सकता है:

1. अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ इसका मुक्त प्रवाह।
2. देश के भीतर और बाहर किसी निर्धारित स्थान पर किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ इसका सीधा विनिमय/आदान-प्रदान।

3. इसके द्वारा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की ही भाँति कार्य करना।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

14. परतदार चट्टानों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तन्त्र द्वारा निर्मित होती है।
2. परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है।
3. परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं।
4. परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पायी जाती हैं।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

15. निम्नलिखित जलवायु और भौगोलिक परिघटनाओं पर विचार कीजिए:

1. संघनन
2. उच्च ताप एवं आर्द्रता
3. पर्वत की आकृति
4. ऊर्ध्वाधर हवा

इनमें गर्जन वाले बादलों का विकास किन परिघटनाओं के कारण होता है?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

16. होल्डिंग कम्पनियों से आशय है:

1. दूसरी कंपनियों के शेयरों में निवेश करने वाली सभी होल्डिंग कम्पनियाँ।
2. ऐसी कंपनियाँ, जिनकी आय का प्रमुख स्रोत लाभांश होता है।
3. ऐसी कंपनियाँ, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में किसी भी प्रकार से संलग्न नहीं होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

17. उस इकाई को औद्योगिक रूग्णता का शिकार माना जाता है, जो:

1. पिछले तीन महीनों या अधिक से ऋणदाताओं के ऋणों और ब्याज का भुगतान नहीं कर पा रही हो।
2. विगत एक या एक से अधिक वर्ष के दौरान अपने नेटवर्थ के 50 प्रतिशत या उससे अधिक संचयी हानि को प्रदर्शित करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

18. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कारण जिलाधिकारी की सत्ताधारिता को कम करने के लिये जिम्मेदार नहीं है/हैं?

1. पुलिस राज्य के स्थान पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
2. कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करना।
3. I.C.S. के स्थान पर I.A.S. की शुरूआत करना।
4. लोगों की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि करना।
5. एकात्मक राज्य की जगह संघात्मक राज्य की स्थापना करना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1, 3 और 5
(b) 2, 3 और 4
(c) 3 और 5
(d) केवल 5

19. निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान असहयोग आन्दोलन के संकल्प से संबंधित सी.आर. दास द्वारा रखे गये थे?

1. उपाधियों तथा मानद कार्यालयों का त्याग करना।
2. विदेशी कपड़ों, सरकारी स्कूलों, विश्वविद्यालयों, न्यायालयों आदि का बहिष्कार करना।
3. सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना तथा कानून की अवेहलना करना।
4. राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

20. कांग्रेस समाजवादी दल (CSP) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह समूह फेबियनवाद के मत से प्रभावित था।
2. इन्होंने (CSP) स्वयं को कांग्रेस को बदलने तथा इसे मजबूत बनाने का कार्य सौंपा।
3. इन्होंने (CSP) कभी भी कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व का विरोध करने की कोशिश नहीं की।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

21. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में सही है/हैं?

1. विधायी परिषद के सदस्यों को कार्यकारी परिषद से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था (लेकिन पूरक प्रश्न का नहीं)
2. बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

22. सूची-I तथा सूची-II से मिलान करने सही विकल्प का चयन करें:

सूची-I (उत्पत्ति मूलक चरण)	सूची-II (परिणामी ज्वार भाटा)
A. सूर्य तथा चन्द्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं	1. वृहत ज्वार
B. सूर्य, चन्द्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में होते हैं।	2. लघु ज्वार भाटा
C. चन्द्रमा पृथ्वी के सबसे समीप होता है।	3. अपभू ज्वार
D. चन्द्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है।	4. उपभू ज्वार

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

	A	B	C	D
(a)	2	1	4	3
(b)	2	1	3	4
(c)	1	2	4	3
(d)	1	2	3	4

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में, मूंगफली मुख्यत: वर्षा सिंचित फसल के रूप में उगायी जाती है।
2. भारत में, सेसामम (तिल) उत्तरी भारत में खरीफ फसल के रूप में उगायी जाती है लेकिन दक्षिण में यह सामान्यत: रबी के मौसम में उगाई जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

24. मेघालय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. समान भूगर्भिक संरचना के आधार पर, मेघालय का पठार प्रायद्वीप का भाग है।
2. मेघालय के पठार का उच्चतम बिन्दु/शिखर शिलांग घाटी है।
3. खासी पहाड़ी पर मॉसिनराम तथा गारो पहाड़ी पर चेरापूँजी अवस्थित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) 1 और 2
(c) 1 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

25. एक पारिस्थितिकी तन्त्र में खड़ी फसल प्रदर्शित करती है:

(a) पोषण स्तर पर जैविक पदार्थों की मात्रा।

(b) पोषण स्तर पर पोषक तत्वों की मात्रा।

(c) पारिस्थितिकी तन्त्र में वृक्षों की संख्या।

(d) एक पारिस्थितिकी तन्त्र में पोषण स्तरों की कुल संख्या।

26. निम्नलिखित में से कौन सा/से पंचशील समझौते का/के भाग **नहीं** है/हैं?

1. यह समझौता भारत तथा चीन को एक-दूसरे की अखण्डता तथा सम्प्रभुता को सुरक्षित करने के लिये बाध्य करता है।
2. यह एक-दूसरे के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने से रोकता है।
3. यह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, अनुदान तथा सहायता के बारे में बात करता है।
4. यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि के बारे में बात करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) केवल 4

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जहां तक भूमि क्षेत्र आच्छादन का संबंध है, रैयतवाड़ी व्यवस्था राजस्व का सर्वाधिक वितरित प्रतिरूप थी।
2. स्थायी बन्दोबस्त भूमि राजस्व की एक पद्धति थी लेकिन यह महालवाड़ी पद्धति से कम भूमि क्षेत्र पर विस्तृत थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

28. वायाकोम सत्याग्रह से सम्बन्धित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह मंदिरों में अनुसूचित जातियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध से सम्बन्धित था।
2. इससे ऐझावा तथा पुलेयन जनजातियाँ सर्वाधिक प्रभावित हुयी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

29. निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन जस्टिस पार्टी से संबंधित **नहीं** थे?

1. सी. एन मुदलियार
2. पी. त्यागराया
3. के. केलप्पन
4. टी. के माधवन

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3 और 4

(c) केवल 1 और 4

(d) केवल 2 और 4

30. निम्नलिखित में से कौन से कथन समाज सेवा लीग के बारे में सही हैं?

1. इसका ध्यान श्रमिक समाज पर था।
2. इसका ध्यान असहाय तथा गरीबों पर था।
3. यह गरीबों के लिये बेहतर जीवन निर्वाह तथा आजीविका का निर्माण करने में मदद करती थी।
4. इसने दिन और रात्रि के स्कूल खोले।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 4

(b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2, 3 और 4

(d) केवल 1, 2 और 3

31. निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें:

सूची-A	**सूची-B**
A. वरकरी	1. तुकाराम
B. धरकरी	2. रामदास
C. सहजिया	3. चण्डीदास
D. निपख	4. दादु दयाल

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

	A	**B**	**C**	**D**
(a)	1	2	3	4
(b)	1	2	4	3
(c)	3	4	1	2
(d)	4	3	2	1

32. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. नव्य न्याय (नियोलॉजी), न्याय दर्शन का नया विकास है जो कि 13वीं शताब्दी में बंगाल तथा मिथिला में उत्पन्न हुआ।
2. वैशेषिक दर्शन द्वारा अणु संरचना के सिद्धांत को स्थापित किया गया।
3. सांख्य दर्शन, शरीर व मन की प्रकृति की गतिशीलता/सक्रियता का वर्णन करता है।
4. प्राचीन भारतीय इतिहास में, वेदान्त दर्शन को गणित का जनक माना जाता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से **असत्य** है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 4
(c) केवल 2 तथा 3
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

33. निम्नलिखित में से किसे/किन्हें मुस्लिम संस्कारों के रूप में माना जाता है?
1. खतना
2. अकीका
3. चिल्ला - नाशिनी
4. निकाह

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 4
(b) केवल 1 और 4
(c) केवल 2 और 3
(d) उपर्युक्त सभी

34. निम्नलिखित कथनों में से किसे/किन्हें समानता के अधिकार के अपवाद के रूप में माना जा सकता है?
1. राष्ट्रपति तथा राज्यपाल न्यायालय से संबंधित मुद्दों से मुक्त रहते हैं।
2. संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार
3. राजनयिकों तथा राजदूतों का न्यायालय से संबंधित दायित्वों तथा उत्तरदायित्वों से मुक्त रहना।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

35. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से कथन सही **नहीं** है/हैं?
1. दीर्घवृत्ताकार पथ में (जिसे ऑर्बिट/कक्षा कहते हैं) सभी ग्रह सूर्य के चारो तरफ परिक्रमण करते हैं।
2. मरकरी तथा यूरेनस के अतिरिक्त सभी ग्रह एक समान दिशा में घूर्णन करते है।
3. जैसे-जैसे ग्रहों की सूर्य से दूरी में वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे ही ग्रहों द्वारा अपने एक परिक्रमण को पूरा करने में लगने वाले समय में भी वृद्धि होती जाती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 3
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2
(d) केवल 2 और 3

36. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
1. दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में, निम्नभूमि की एक संकरी पट्टी अटलांटिक तट से मिली हुयी है।
2. हिमालय के बाद विश्व में एण्डीज दूसरी सबसे लम्बी पर्वत श्रेणी है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1
(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

37. सूची-I (नदी) को सूची-II (राजनीतिक सीमा) से सही सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. आमूर	1. कम्बोडिया तथा थाइलैण्ड
B. डेन्यूब	2. रूस तथा हंगरी
C. मेकॉन्ग	3. चीन तथा रूस
D. सालवीन	4. रोमानिया तथा बुल्गारिया
	5. म्यांमार तथा थाइलैण्ड

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

	A	B	C	D
(a)	1	3	2	4
(b)	3	1	4	5
(c)	2	3	4	1
(d)	3	4	1	5

38. सूची-I (घाटी) तथा सूची II (राज्य) को सही सुमेलित कीजिए:

सूची-I	सूची-II
A. मरखा घाटी	1. सिक्किम
B. जुकोऊ घाटी	2. हिमाचल प्रदेश
C. संगला घाटी	3. जम्मू तथा कश्मीर
D. युमथांग घाटी	4. नागालैण्ड

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

	A	B	C	D
(a)	2	4	3	1
(b)	3	1	2	4
(c)	2	1	3	4
(d)	3	4	2	1

39. निम्नलिखित राज्यों तथा जनजातियों के युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित **नहीं** है?

	(राज्य)		(जनजाति)
(a)	असम	:	मिरी
(b)	नागालैण्ड	:	कोनयाक
(c)	अरूणाचल प्रदेश	:	आपातानी
(d)	मध्य प्रदेश	:	लम्बाडी

40. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह चरम मौसम से संबंधित बादल है।
2. यह लम्बवत बादल है जिसका ऊपरी सिरा गोल है तथा आधार क्षैतिज है।
3. नम ऊष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से सम्बन्धित तथा ऊपर उठती संवहनीय धाराओं से सम्बन्धित।

उपरोक्त वर्णन निम्नलिखित में से किस बादल से सम्बन्धित है?

(a) क्यूमुलोनिम्बस बादल (cumulonimbus cloud)

(b) सैरोस्ट्राटस बादल (cirrostratus cloud)

(c) एल्टो क्यूमुलस बादल (Alto cumulus cloud)

(d) क्यूमुलस बादल (cumulus cloud)

41. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है।
2. कश्मीरी बकरी पश्मीना की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं जिससे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं, जिन्हें 'पश्मीना शॉल' कहते हैं।
3. पश्मीना बकरी को 'चांगथांगी' भी कहा जाता है।
4. पश्मीना शॉल को 'ज्योग्राफिकल इण्डीकेशन' प्राप्त है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 और 4

(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

42. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन (PCR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस तकनीक से कुछ ही समय में DNA की लाखों प्रतियाँ बनाई जा सकती हैं।
2. इस तकनीक से कैंसर व एड्स का प्रारम्भिक अवस्था में ही पता लगाया जा सकता है।
3. फिंगर प्रिंटिंग तकनीक में इसका उपयोग किया जाता है।
4. कैरी मुलिस को इस तकनीक की खोज के लिए 1993 में नोबल का पुरस्कार दिया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3 और 4
(c) केवल 1, 2 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

43. *भारतीय संविधान 'संवैधानिक मशीनरी की विफलता' की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति-शासन का प्रावधान करता है।* इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यदि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के द्वारा संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप दिए गए निर्देश के अनुपालन में असमर्थ रहती है, तो माना जाएगा कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो चुकी है।
2. अनुच्छेद 365 संवैधानिक मशीनरी की विफलता को परिभाषित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

44. *फिस्कल ड्रैग* से आशय है:

(a) आर्थिक मंदी के कारण कर-राजस्व पर पड़ने वाला प्रतिकूल असर।
(b) राजकोषीय नीति का मुद्रास्फीति और आर्थिक संवृद्धि पर प्रतिकूल असर।
(c) कर-रियायतों और कर छूटों के कारण कर-राजस्व में आने वाली कमी।
(d) मुद्रास्फीति का सकल घरेलू उत्पाद और कर-राजस्व पर असर।

उत्तर

1.	(b)	16.	(c)	31.	(a)
2.	(c)	17.	(c)	32.	(b)
3.	(b)	18.	(d)	33.	(d)
4.	(d)	19.	(d)	34.	(d)
5.	(d)	20.	(d)	35.	(c)
6.	(d)	21.	(c)	36.	(d)
7.	(b)	22.	(a)	37.	(d)
8.	(b)	23.	(c)	38.	(d)
9.	(b)	24.	(b)	39.	(d)
10.	(c)	25.	(a)	40.	(a)
11.	(b)	26.	(c)	41.	(d)
12.	(b)	27.	(c)	42.	(d)
13.	(d)	28.	(c)	43.	(c)
14.	(d)	29.	(b)	44.	(d)
15.	(d)	30.	(c)		

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों (ITPGRFA) पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के शासी निकाय का 9वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
2. सत्र का विषय सेलिब्रेटिंग द गार्जियंस ऑफ क्रॉप डायवर्सिटी: टूवड्र्स एन इनक्लूसिव पोस्ट-2020 ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2
D- न तो 1, न ही 2

उत्तर: C

2. भूख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भूख को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति के पास पर्याप्त समय तक बुनियादी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भोजन खाने की शारीरिक या वित्तीय क्षमता नहीं होती है।
2. 345 मिलियन लोग अब तीव्र भूख का अनुभव कर रहे हैं, यह संख्या 2019 के बाद से दोगुनी से अधिक हो गई है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2
D- न तो 1, न ही 2

उत्तर: C

3. रेडियो अल्टीमीटर क्या है?

A- रेडियो अल्टीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो विभिन्न वायुयान प्रणाली को भूभाग से ऊपर की ऊंचाई की सीधी जानकारी प्रदान करता है।
B- रेडियो अल्टीमीटर चिकित्सा उपकरण है जो पैथोलॉजी में उपयोग किया जाता है।
C- रेडियो अल्टीमीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग पानी की गहराई के मानचित्रण के लिए किया जाता है।
D- उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर: A

4. राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों की जानकारी नहीं ले सकता है।
2. राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है।
3. राज्यपाल संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाने की राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A- केवल 1 और 2
B- केवल 1 और 3
C- केवल 2 और 3
D- 1, 2 और 3

उत्तर: C

5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत दुनिया में दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है।
2. भारत फल, सब्जियां, चाय, खेती की गई मछली, कपास, गन्ना, गेहूं, चावल, कपास और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2
D- न तो 1, न ही 2

उत्तर: C

6. हाल ही में चर्चित ई-संचित क्या है?

A) यह एक पोर्टल है जो संपूर्ण माल निकासी प्रक्रिया को कागज रहित और फेसलेस बनाता है।
B) यह एक पोर्टल है जो डेटा रिपोजिटरी के लिए उपयोग किया जाता है।
C) यह इसरो द्वारा विकसित तकनीक है।
D) उपरोक्त में से कोई नहीं।

उत्तर- A

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत आज विश्व में चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
2. चीन, श्रीलंका और केन्या के बाद भारत चाय का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक भी है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A- केवल 1

B- केवल 2

C- 1 और 2

D- न तो 1, न ही 2

उत्तर- C

8. 'पुनीत सागर अभियान' की शुरुआत किसने की थी?

A- भारतीय सेना

B- भारतीय वायु सेना

C- भारतीय नौसेना

D- एनसीसी

उत्तर- D

9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति मुख्य विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना;

2. 3-6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना;

3. (5+3+3+4)-नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना;

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A- केवल 1 और 2

B- केवल 1 और 3

C- केवल 2 और 3

D- 1, 2 और 3

उत्तर- D

10. वाराणसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें?

1. वाराणसी उत्तर भारत में गंगा नदी पर स्थित एक सबसे प्राचीन जीवंत शहरों मे से एक है।

2. वाराणसी को एससीओ की 22वीं बैठक में 2023-2024 की अवधि के लिए पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A- केवल 1

B- केवल 2

C- 1 और 2

D- न तो 1, न ही 2

उत्तर- A

11. "विश्व पर्यटन दिवस" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह दिवस प्रतिवर्ष 27 मई को मनाया जाता है।

2. वर्ष 2022 की थीम "पर्यटन पर पुनर्विचार" है।

3. यह दिवस पहली बार 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा शुरू किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1 और 2

B- केवल 1 और 3

C- केवल 2 और 3

D- 1, 2 और 3

उत्तर: C

12. 'अम्बेडकर सर्किट' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसको पहली बार 2016 में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

2. हाल ही में, भारत सरकार ने इस सर्किट को बढ़ावा देने के लिए विशेष एसी ट्रेन को चलाने की घोषणा की है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1

B- केवल 2

C- 1 और 2

D- न तो 1, न ही 2

उत्तर: C

13. 'चीता पुनर्वास परियोजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इस परियोजना के तहत, 17 सितंबर, 2022 को 6 चीतों को मध्य प्रदेश स्थित कूनो नेशनल पार्क में पारिस्थितिकीय तंत्र के संवर्धन हेतु छोड़ा गया है।

2. वर्ष 1952 में, भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से चीतों के विलुप्त होने की घोषणा की थी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1

B- केवल 2

C- 1 और 2

D- न तो 1, न ही 2

उत्तर: C

14. हरिकेन फियोना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हाल ही के दिनों में, 'हरिकेन फियोना' ने अमेरिका के प्यूर्टो रिको तथा अन्य क्षेत्रों में भयंकर तबाही मचाई है।

2. जब किसी तूफान की अधिकतम गति 74 m/h होती है, तो उसे हरिकेन कहा जाता है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2
D- न तो 1, न ही 2

उत्तरः C

15. किस क्षेत्र में कौशल विकास हेतु, शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ने 20 सितंबर, 2022 को चेन्नई में 'स्केल ऐप' लांच किया है।

A- चमड़ा क्षेत्र में
B- कपड़ा क्षेत्र में
C- कृषि क्षेत्र में
D- शिक्षा क्षेत्र में

उत्तरः A

16. रामसेस द्वितीय-युग की गुफा की खोज के संदर्भ में, निम्न. लिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हाल ही के दिनों में, इजराइल के पुरातत्विदों की एक टीम ने रामसेस द्वितीय-युग की अति दुर्लभ लगभग 3,300 वर्ष पुरानी गुफा को तेल अवीव में स्थित पालमाहिम नेशनल पार्क में खोजा है।
2. रामसेस द्वितीय प्राचीन मिस्र के 19 वें राजवंश का तीसरा फैरो था।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2
D- न तो 1, न ही 2

उत्तरः C

17. हाल ही के दिनों में, किस देश ने अमेरिका के पिट्स. बर्ग में आयोजित ग्लोबल क्लीन एनर्जी ऐक्शन फोरम-2022 में "इनोवेशन रोड-मैप ऑफ दी मिशन इंटीग्रेटेट बायो-रीफायनरीज" के आरंभ की घोषणा की है।

A- भारत
B- जर्मनी
C- फ्रांस
D- जापान

उत्तरः A

18. 'इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हाल ही के दिनों में, उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल हेतु भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है।
2. यह स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राज्य सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक संयुक्त पहल है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2
D- न तो 1, न ही 2

उत्तरः C

19. 'पीएम प्रणाम योजना' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाने के लिये भारत सरकार पीएम प्रणाम योजना शुरू करने जा रही है।
2. कृषि प्रबंधन हेतु वैकल्पिक पोषक तत्वों का संवर्धन 'पीएम प्रणाम' योजना का विस्तृत नाम है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2
D- न तो 1, न ही 2

उत्तरः B

20. 'जंगली आर्कटिक भेड़िया' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. हाल ही के दिनों में, बीजिंग में एक जीन फर्म सिनोजेन बायोटेक्नोलॉजी ने दुनिया के पहले जंगली आर्कटिक मादा भेड़िया के क्लोन बनाने की घोषणा की है।
2. इस मादा भेड़िया का नाम 'माया' रखा गया है।
उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

A- केवल 1
B- केवल 2
C- 1 और 2
D- न तो 1, न ही 2

उत्तरः C

व्यक्तित्व

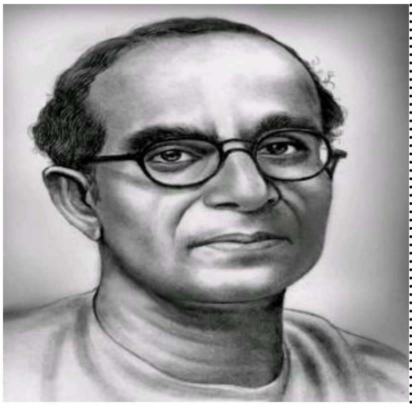

युसूफ मेहर अली
(1903–1950)

3 फरवरी, 1928 की रात जब बंबई के मोल बंदरगाह पर पानी के जहाज से साइमन कमीशन के सदस्य उतरे, तभी एक नौजवान ने जोर से नारा लगाया साइमन गो बैक। यह नारा देने और लगाने वाले व्यक्ति थे यूसुफ मेहर अली। कॉलेज में फीस वृद्धि और बेंगलौर में छात्रों पर पुलिस की गोलीबारी के विरोध तथा हड़ताली मिल मजदूरों के समर्थन में जनसभाएं आयोजित कर यूसुफ ने अपनी संगठन क्षमता का परिचय दिया था।

युसूफ मेहर अली ने भारत की आजादी की लड़ाई में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने ही भारत छोड़ो या क्विट इंडिया का नारा दिया था जिसे गांधीजी ने अंतिम रूप से स्वीकार कर भारत छोड़ो आंदोलन को मूर्त रूप दिया था। युसूफ मेहर अली ने किसान संगठनों और ट्रेड यूनियंस में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

यूसुफ मेहर अली का जन्म 23 सितंबर, 1903 को मुम्बई के अभिजात्य वर्गीय परिवार में हुए था। उन्होंने कलकत्ता और मुम्बई से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी।

1928 में उन्होंने ही 'साइमन गो बैक' नारे को भी गढ़ा था। उन्होंने ब्रिटिश शासन पर दबाव भी डाला ताकि ब्रिटिश शासन भारतीयों के संदर्भ में एक मोरल प्रेशर महसूस करे।

यूसुफ ने सविनय अवज्ञा और दांडी सत्याग्रह आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जिसके चलते उन्हें 1930 में गिरफ्तार कर चार माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। यही नहीं उनके वकालत के पेशे पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यह एक अप्रत्याशित बात थी चूंकि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कई आंदोलनकारी वकील थे लेकिन किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया।

यूसुफ मेहर अली के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनी थी जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद, मीनू मसानी, जे.बी. कृपलानी, जय प्रकाश नारायण, अरूणा आसफ अली जैसे नेता संस्थापक सदस्य के रूप में थे। इस संगठन का उद्देश्य भारतीय स्वाधीनता आंदोलन को समाजवादी मूल्यों से जोड़ना था और अंग्रेजों के साथ साथ देश के अंदर सामाजिक समता, आर्थिक समानता के दुश्मनों अर्थात पूंजीपति, जमींदारों, जागीरदारों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़नी थी। उन्होंने नेशनल मिलिशिया, बॉम्बे यूथ लीग का गठन किया था।

युसूफ मेहर अली ने भारत की आजादी के आंदोलन के अलग-अलग चरणों में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हुए 8 बार जेल गए। 1942 में महज 39 साल की उम्र में वह पहले ऐसे समाजवादी थे जो बॉम्बे के मेयर चुने गए थे और उस समय वह यरवदा जेल में थे। उन्होंने अपने सहयोगियों राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहते हुए भी आंदोलन को दिशा देने की कोशिश की थी। 1946 में वह जेल से छूटे और उसके बाद वह एमएलए बने।

लीडर्स ऑफ इंडिया : दि प्राइस ऑफ लिबर्टी एंड अंडरग्राउंड मूवमेंट उनकी महत्त्वपूर्ण पुस्तक का नाम है। 2 जुलाई, 1950 को युसूफ मेहर अली का 47 साल की अल्पायु में निधन हो गया। उनके निधन के शोक में शहर में फैक्ट्री, स्कूल-कॉलेज, यातायात से लेकर बंबई शेयर बाजार का स्टॉक एक्सचेंज भी उनके सम्मान में बंद रहा।

देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

केंद्र सरकार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात् सीडीएस नियुक्त किया है। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद, इस पद पर नियुक्त होने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं।

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान:

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का जन्म 18 मई, 1961 में उत्तराखंड के पौढ़ी गढ़वाल में हुआ था। साल 1981 में उन्होंने भारतीय सेना की 11-गोरखा राइफल्स को ज्वॉइन किया। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के इलाकों में आतंकवाद के सफाए को लेकर उन्होंने बेहतरीन काम किया है।

उन्होंने डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन का प्रभार भी संभाला है। सेना में विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।

सेना में 4 दशक तक सेवा देने के बाद वे पिछले वर्ष 31 मई, 2021 को ही रिटायर हुए थे। अपने रिटायरमेंट के बाद भी वे देश की सुरक्षा और रणनीति को तय करने का काम करते रहे हैं।

सीडीएस पद:

देश में सीडीएस पद की घोषणा 15 अगस्त, 2019 को की गयी थी। वह भारतीय सशस्त्र बलों का मुख्य प्रधान तथा सेना में सर्वोच्च पद का अधिकारी होता है। सीडीएस मुख्य रूप से सभी

त्रि-सेवा मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इसके साथ-साथ वह रक्षा मंत्रालय में सैन्य मामलों के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत ने 1 जनवरी, 2020 को पदभार ग्रहण किया था जिनकी पिछले वर्ष प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी।

भारत के नए महान्यायवादी

हाल ही में, वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणि को भारत का नया महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। भारत के महान्यायवादी के रूप में उनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। वे के. के. वेणुगोपाल का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो गया है।

आर वेंकटरमणि:

आर. वेंकटरमणि का जन्म 13 अप्रैल, 1950 को पांडिचेरी में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में उनके पास 42 वर्ष की वकालत का अनुभव है। आर. वेंकटरमणि ने 2010 और 2013 में भारत के विधि आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष केंद्र सरकार, कई राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रतिनिधित्व किया है।

महान्यायवादी पद:

भारत का महान्यायवादी संघीय कार्यकारिणी का एक अंग है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है।

संविधान के अनुच्छेद-76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

नियुक्ति एवं पात्रता:

वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का पांच वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत करने का 10 वर्षों का अनुभव हो अथवा राष्ट्रपति के विवेकानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो।

इसके कार्य की अवधि संविधान द्वारा तय नहीं की गयी है। महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया संविधान में वर्णित नहीं है। वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

कार्य:

राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने वाले कर्त्तव्यों का पालन करना। भारत सरकार के सभी मामलों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना।

निधन

डेम हिलेरी मेंटल

सबसे अधिक बिकने वाली तीन भागों में वुल्फ हॉल की लेखिका डेम हिलेरी मेंटल का 70 वर्ष की आयु में 22 सितम्बर, 2022 को निधन हो गया। वह ब्रिटेन की लोकप्रिय उपन्यासकार थी। मेंटल ने 2009 में 'वुल्फ हॉल' और 2012 में इसके 'सीक्वल ब्रिंग अप द बॉडीज' के लिए दो बार बुकर पुरस्कार जीता। दो बार बुकर पुरस्कार जीतने वाली वह पहली महिला है। मेंटल का जन्म हिलेरी मैरी थॉम्पसन के रूप में 6 जुलाई, 1952 को डर्बीशायर के एक गाँव ग्लॉसोप में हुआ था। वह एक आयरिश कैथोलिक परिवार में पली बढ़ी।

मेंटल को 'वुल्फ हॉल' के लिए ऐतिहासिक कथाओं को फिर से सक्रिय करने का श्रेय दिया जाता है। उनके प्रकाशक ने कहा कि मेंटल इस सदी के सबसे महान अंग्रेजी उपन्यासकारों में से एक थी।

17 पुस्तकों की लेखिका मेंटल ने 2009 में वुल्फ हॉल और 2012 में इसके सीक्वल ब्रिंग अप द बॉडीज के लिए दो बार बुकर पुरस्कार जीता। इसका अंतिम भाग, द मिरर एंड द लाइट 2020 में प्रकाशित हुआ था। वुल्फ हॉल उपन्यास की सफलता ने मेंटल को लोकप्रिय उपन्यासकार बना दिया।

इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्हें बचपन से ही एक लंबी और कठिन यात्रा तय करनी पड़ी थी। हिलेरी मेंटल बचपन से ही रोगग्रस्त थी। उन्होंने कई स्वास्थ्य संबंधी समस्यों का सामना किया जिसके कारण एक डॉक्टर ने उन्हें 'लिटिल मिस नेवरवेल' कहा था। मेंटल ने 2003 के एक संस्मरण, 'गिविंग अप द घोस्ट' में अपने बचपन के बारे में लिखा था।

इस बीमारी के कारण वह नौकरी करने में भी असमर्थ रही लेकिन इसी असमर्थता ने उन्हें एक लेखिका के रूप में प्रेरित किया। लेखिका के तौर पर भी उनका जीवन कठिनाईयों भरा था और मुख्यधारा में लेखिका के रूप में सफलता उन्हें तब तक नहीं मिली जब तक वह करीब 50 वर्ष की नहीं हुई।

समीक्षक पारुल सहगल ने 'द मिरर एंड द लाइट' 2020 की समीक्षा में लिखा है कि मेंटल ने विजय, साजिश और मनोविज्ञान को समृद्ध कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। सहगल ने कहा कि मेंटल न केवल ऐतिहासिक कथा साहित्य की लेखिका थीं, बल्कि मानव चरित्र में कौन सी शक्ति प्रकट होती है और क्या छुपाती है- व्यक्त करने में एक विशेषज्ञ थी। वुल्फ हॉल त्रयी का 41 भाषाओं में अनुवाद किया गया है और दुनिया भर में इसकी बिक्री 5 मिलियन से अधिक है। उनके कार्यों को आधुनिक क्लासिक्स माना जाता है जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Offline & Online

COMPREHENSIVE
UPPSC PRELIMS TEST SERIES 2023

Period :
October 2022 to May 2023

TOTAL TEST : 30

(13 Sectional with Current Affairs + 9 GS Full Test + 4 CSAT + 1 Full Current Affairs + 1 Government Schemes & Policies + 1 UP Special + 1 Economic Survey & Budget 2023)

Starting From
9th
OCT.

40% discount for those who are opting for both IAS & PCS test series (40% will be of combined fee of IAS and PCS Test Series).

Note : *Dhyeya Students will be eligible for one fee discount offer only. If he/she takes advantage of being Dhyeya Student, he/she will not be eligible for taking the benefit of 40% discount offer and vice versa.*

Visit Website

Fee Structure:
Offline : Rs. 10,000/-
Online : Rs. 6,000/-

For Dhyeya Students -
Offline Fee - 8,000/-
Online Fee - 4,800/-

Scholarship Test
Only for Offline Students
9th October, 2022

Scholarship Criteria
Rank-1-5 : 100% Discount | Rank-6-10 : 75% Discount
Rank-11-15 : 50% Discount | Rank-16-20 : 25% Discount

Registration Fee For Scholarship Test - Rs. 50/-

FACE TO FACE CENTRES
Delhi (Mukherjee Nagar) Ph: 9289580074 / 75 | Delhi (Laxmi Nagar) Ph: 9205212500 / 9205962002 | Greater Noida Ph: 9205336037 / 38 | Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 | Lucknow (Aliganj) Ph: 0522-4025825/9506256789 | Lucknow (Gomti Nagar) Ph: 7234000501/ 7234000502 | Lucknow (Alambagh) Ph: 7518373333/7518573333 | Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 | Gorakhpur Ph: 0551-2200385/7080847474

ध्येय IAS®

most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4500+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 45

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744